भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

बिहार सरकार

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय – I राज्य सरकार का वित्त		
बिहार का परिचय	1	1
प्रस्तावना	1.1	2
राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	14
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1.5	15
संसाधनों का उपयोग	1.6	15
व्यय की गुणवत्ता	1.7	20
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	22
परिसंपत्ति एवं देयता	1.9	25
ऋण प्रबंधन	1.10	28
राजकोषीय असंतुलन	1.11	30
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.12	33
अध्याय – II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	35
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	36
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	36
विशेष रूप से सहायता अनुदान से व्यय की त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	2.4	43
असमाशोधित व्यय	2.5	43
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	44
बजटीय प्रावधान की व्यपगत होने से बचने के लिए निधि का आहरण	2.7	44
कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम	2.8	45
अनुदान संख्या–2 "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" की समीक्षा	2.9	47
अनुदान संख्या–18 "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" की समीक्षा	2.10	50
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.11	54

विषय सूची

अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन		
असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र	3.1	55
उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति में विलंब	3.2	56
प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.3	56
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	3.4	57
अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदाय का असमायोजन	3.5	58
प्राप्तियों एवं व्यय का असमाशोधन	3.6	58
बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रक्रिया	3.7	59
गबन के मामलों का प्रतिवेदन	3.8	59
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.9	60

संख्या	परिशिष्ट	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	63
1.2	भाग–कः सरकारी लेखा की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	64
1.2	भाग–खः वित्त लेखा की रूपरेखा	1.1	64
1.3 भाग–क	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.)	1.1	66
1.3 भाग–ख	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति	1.1	67
1.4	वर्ष 2013–14 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार	1.1.1 एवं 1.6.2	68
1.5	वर्ष 2013–14 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.1.3	72
1.6	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	1.2.2	73
1.7	राज्य सरकार वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	1.3 एवं 1.3.1.1	74
1.8	31 मार्च 2014 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.9.1	76
2.1	₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	77
2.2	अनुदानों की सूची जहॉ वर्ष 2009–14 के दौरान सतत् बचत हुए	2.3.2	79
2.3	विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है।	2.3.3	80
2.4	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.4	81
2.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.5	83

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.5	86
2.7	वर्ष के दौरान प्रचुर अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.6	89
2.8	निधियों का शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.6	96
2.9	प्रत्येक मामलें में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित न किए गए बचत की विवरणी	2.3.8	104
2.10	31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामले	2.3.8	105
2.11	माह मार्च 2014 में सघन व्यय	2.3.9	108
2.12	वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.5	109
2.13	नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी	2.6	111
2.14	बजटीय प्रावधान को व्यपगत से बचाने के लिए धनराशि का आहरण	2.7	113
2.15	शत प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा	2.7	116
2.16	वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भुगतान के पक्ष में अभिश्रवों का समर्पण नहीं होना	2.8.1	117
2.17	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान का विवरणी	2.8.2	119
2.18	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का कम भुगतान से संबधित विवरणी	2.8.2	120
2.19	रिक्त पदों के लिए निधि का प्रावधान	2.8.3	121
2.20	मासिक कोषागार लेखाओं का विलंब से समर्पण	2.8.4	122
2.21	सी0वी0पी0/पेंशन के भुगतान का गलत वर्गीकरण	2.8.5	126
2.22	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण	2.9.4	127
2.23	निधि के अनुपयोग के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण	2.9.5	131
2.24	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता	2.9.6	132
2.25	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण	2.10.4	135
2.26	विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	2.10.6	137

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.1	प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.3	138
3.2	लघु शीर्ष 800–''अन्य व्यय'' की कार्य प्रक्रिया	3.7	139
3.3	लघु शीर्ष 800–''अन्य प्राप्तियाँ'' की कार्य प्रक्रिया	3.7	140
3.4	गबन, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि के मामलों का विभागवार विवरण	3.8	141
3.5	गबन, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि (31 मार्च 2014 के अन्त तक अंतिम निपटारा हेतु लंबित मामले) का वर्षवार विश्लेषण	3.8	142
3.6	गबन के मामलों का प्रतिवेदन	3.8	143
	संकेताक्षरों की शब्दावली		145

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखा तथा विनियोग लेखा की जाँच से उठे मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल है । जहाँ आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है ।

3. वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निर्देशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है ।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण को उचित परिपेक्ष्य में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2013–14 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन, सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2014 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय–II विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढ़ंग का वर्णन करता है। इसमें ''अनुदान संख्या–02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की समीक्षा'' तथा ''अनुदान संख्या–18 खाद्य एवं उपयोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा'' नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय–III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किए गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार का वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2013–14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, भारत के 11.54 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के विरूद्ध 15.84 प्रतिशत था।

(कंडिका 1)

- वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 6441.42 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 1806.00 करोड़ हो गया। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.88 प्रतिशत था, जो कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2012–13 के 2.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 2.4 प्रतिशत हो गया।

(कंडिका 1.1.2 तथा 1.11.1)

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को निधि का हस्तांतरण

- वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को सीधे ₹ 9464.50 करोड़ हस्तांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में चौदह प्रतिशत ज्यादा था। मुख्य प्राप्तकर्ताओं में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) (₹ 4606.37 करोड़ अर्थात 49 प्रतिशत), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (₹ 2610.13 करोड़ अर्थात 28 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 725.72 करोड़ अर्थात 8 प्रतिशत)।

(कंडिका 1.2.2)

संसाधन संग्रहण

- राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 68918.65 करोड़) में वर्ष 2013–14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 15.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट प्राक्लन से ₹ 11147.82 करोड़ कम था।

(कंडिका 1.1.1 तथा 1.1.3)

व्यय की गुणवता

- वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य की संचयी व्यय की प्रतिशतता के सापेक्ष में सामाजिक क्षेत्र में व्यय, सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत व्यय से कम था।

(कंडिका 1.7.1)

- वर्ष 2013–14 में पूँजीगत परिव्यय वर्ष 2012–13 के ₹ 9585 करोड़ से बढ़कर ₹ 14001 करोड़ हो गया, जबकि चुनिंदा आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत परिव्यय कुल व्यय का वर्ष 2012–13 के 40.49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 48.29 प्रतिशत हो गया। तथापि इनमें कमी मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और परिवहन में देखा गया।

(कंडिका 1.1.1 तथा 1.7.2)

- सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण के रूप में वृहद् राशि दी जाती है परन्तु वसूली नगण्य होने के कारण मार्च 2014 तक पुनर्भुगतान हेतु वृहद शेष ₹ 21379.36 करोड़ बकाया था।

(कंडिका 1.8.3)

राजकोषीय देयता

- राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2009–10 के ₹ 58689.91 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में ₹ 1341 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2012–13 के ₹ 6545 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 8351 करोड़ हो गए। तथापि वर्ष 2013–14 में राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलु उत्पाद का अनुपात (0.024), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था। राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया है।

(कंडिका 1.9.2, 1.9.4 तथा 1.11.1)

अध्याय II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहद् बचत

- वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 113152.92 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध वृहद् बचत ₹ 31479.52 करोड़ (27.82 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत वृहद् बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवा प्रदान करने वाले 10 विभागों में भी गत पाँच वर्षो से सतत बचत सूचित हुई।

(कंडिका 2.2 तथा 2.3.2)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013–14 के दौरान आकस्मिकता निधि से 51 अवसरों पर जो अप्रत्याशित प्रकृति के नहीं थे, के निर्वहन के लिए ₹ 689.79 करोड़ के अग्रिम आहरित किए गये।

(कंडिका 2.6)

आधिक्य प्रावधान का अपेक्षित नियमितिकरण

- वर्ष 1977–78 से 2010–11 के दौरान ₹ 1366.95 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत् नियमितिकरण हेतु अपेक्षित थे।

(कंडिका 2.3.3)

विभागीय आकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2013–14 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त के साथ 71 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 59020.53 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया।

(कंडिका 2.5)

पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बजटीय नियत्रंण में कमी

- पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था फलतः विभाग में बजटीय नियत्रंण का अभाव था।

(कंडिका 2.9 तथा 2.10)

अध्याय III वित्तीय प्रतिवेदन

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 3801.30 करोड़ की अहम राशि 31 मार्च 2014 तक लंबित थे।

(कंडिका 3.1)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध आहरित ₹ 59113.55 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 तक लंबित था। सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध वृहद् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति, अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान के ससमय व्यवहार के लिए नियम एवं पद्धति का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता प्रदर्शित करती है।

(कंडिका 3.2)

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

- सभी चार प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लेखा/लेखापरीक्षा की प्रस्तुति में नौ महीना से तीन वर्षों से अधिक विलंब था।

(कंडिका 3.3)

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों द्वारा 31 मार्च 2014 तक आहरित ₹ 221.30 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

(कंडिका 3.5)

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

1. बिहार का परिचय

बिहार भू–भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटी लम्बी अंतराष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2001) से बढ़कर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत की औसत गरीबी से अधिक है। तथापि राज्य ने 2004–05 से 2013–14 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 17.93 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों[1] का विकास दर 15.49 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि[2] 12.94 प्रतिशत की तुलना में 13.96 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2004–05 से 2013–14 के अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर 16.23 प्रतिशत, सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर 14.88 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समय की अवधि में राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। चालू मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2004–05) के वार्षिक विकास की प्रवृति नीचे **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	6108903	7248860	8391691	9388876	10472807
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	162923	203555	243269	296153	343054
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	14.51	24.94	19.51	21.74	15.84

(स्त्रोतः केन्द्र एवं राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिक आँकड़े)

[1] *ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड़, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।*

[2] *सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोवा, तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।*

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2 के भाग 'क'*** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2 के भाग 'ख'*** में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2010 (एफ.आर.बी.एम) बनाया है, जो कि ***परिशिष्ट 1.3 भाग 'क'*** में दर्शाया गया है। एफ. आर. बी. एम. (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति ***परिशिष्ट 1.3*** के ***भाग 'ख'*** में दी गयी है।

1.1.1 राजकोषीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2012–13) की तुलना में चालू वर्ष (2013–14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देन के सारांश को दर्शाता है जबकि चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2013–14 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
खण्ड–'क' राजस्व					**गैर–योजना**	**योजना**	**योग**
राजस्व प्राप्तियाँ	59566.66	68918.65	राजस्व व्यय	54466.15	43381.02	19096.21	62477.23
कर राजस्व	16253.08	19960.68	सामान्य सेवाएँ	18645.11	21896.37	122.10	22018.47
करेत्तर राजस्व	1135.27	1544.83	सामाजिक सेवाएँ	23107.37	12680.96	13713.89	26394.85
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	31900.39	34829.11	आर्थिक सेवाएँ	12709.96	8799.84	5260.22	14060.06
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	10277.92	12584.03	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.71	3.85	0.00	3.85
खण्ड–'ख' पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	9584.52	96.64	13904.36	14001.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24.70	15.03	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	2085.95	109.83	697.55	807.38
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9553.96	9907.09	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3069.96			3119.56
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00			0.00
आकस्मिकता निधि	2250.00	1450.43	आकस्मिकता निधि	2250.00			1450.43
लोक लेखा प्राप्तियाँ	27066.21	33457.78	लोक लेखा संवितरण	24798.82			29452.57
प्रारंभिक नकद शेष	1509.45	3715.58	अंतिम नकद शेष	3715.58			6156.39
योग	**99970.98**	**117464.56**	**योग**	**99970.98**			**117464.56**

(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2013–14)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15.70 प्रतिशत (₹ 9351.99 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अपने कर राजस्व में 22.81 प्रतिशत (₹ 3707.60 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 9.18 प्रतिशत (₹ 2928.72 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

- राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 19960.68 करोड) तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 11933.07 करोड़) से 62.27 प्रतिशत (₹ 8027.61 करोड) अधिक तथा बजट प्राक्कलन (₹ 20962.70 करोड़) से 4.78 प्रतिशत (₹ 1002.02 करोड़) कम था। अपने कर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण माल एवं यात्री कर में 125.10 प्रतिशत (₹ 2417.00 करोड़), मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में 24.80 प्रतिशत (₹ 539.00 करोड़), राज्य उत्पाद में 30 प्रतिशत (₹ 738.00 करोड़) तथा वाहन कर में 24.37 प्रतिशत (₹ 164.00 करोड़) की वृद्धि है ।

- पूर्व वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व (₹ 1544.83 करोड़) 36.08 प्रतिशत (₹ 409.56 करोड़) से अधिक हो गया । यद्यपि करेत्तर राजस्व 54.78 प्रतिशत (₹ 1871.25 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 3416.08 करोड़) से कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 2132.49 करोड़) के निर्धारण से 27.56 प्रतिशत (₹ 587.66 करोड़) नीचे था। करेत्तर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के योगदान तथा वसूली में क्रमशः ₹ 249.14 करोड़ तथा ब्याज प्राप्ति में ₹ 102.36 करोड़ की वृद्धि था ।

- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 62477.23 करोड़) में 14.71 प्रतिशत (₹ 8011.08 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओ पर व्यय में 18.09 प्रतिशत (₹ 3373.36 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 14.23 प्रतिशत (₹ 3287.48 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 10.62 प्रतिशत (₹ 1350.10 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 73257.62 करोड़) से 14.72 प्रतिशत (₹ 10780.39 करोड़) कम था।

- वर्ष 2013–14 के तुलना में गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 15.43 प्रतिशत (₹ 5810.83 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 25.08 प्रतिशत (₹ 6616.73 करोड़) की वृद्धि हुई।

- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 39.15 प्रतिशत (₹ 9.67 करोड़) की कमी हुई। इसी प्रकार ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 61.29 प्रतिशत (₹ 1278.57 करोड़) की कमी हुई। परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में संवितरण में ₹ 1288.24 करोड़ की निवल कमी हुई।

- वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 46.08 प्रतिशत (₹ 4416.48 करोड़) की वृद्धि हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियों में 23.61 प्रतिशत (₹ 6391.57 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 18.77 प्रतिशत (₹ 4653.75 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामतः पूर्व वर्ष की तुलना में लोक लेखा में ₹ 1737.82 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 3.70 प्रतिशत (₹ 353.13 करोड़) की वृद्धि हुई परिणामतः इसके पुनर्भुगतान में 1.62 प्रतिशत (₹ 49.60 करोड़) की वृद्धि हुई जिसके कारण लोक ऋण में ₹ 303.53 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

- इन लेन–देन के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 65.69 प्रतिशत (₹ 2440.81 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बिहार सरकार ने बिहार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 बनाया। एफ. आर. बी. एम. अधिनियम, 2006 का संशोधन वर्ष 2010 में किया गया तथा इसका नाम बिहार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 रखा गया।

इस अधिनियम के अनुपालन में, राज्य सरकार ने छः वर्ष विलंब के पश्चात् वर्ष 2013–14 की अवधि में प्रक्षेपण हेतु एक मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम टी एफ पी) फरवरी 2014 में बनाया था। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य को राजस्व घाटा दूर करना था तथा राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के तीन प्रतिशत के भीतर रखना था।

एफ. आर. बी. एम. अधिनियम 2006 की धारा (12) निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने हेतु अधिसूचना जारी कर नियम बनाएगी। परन्तु सितम्बर 2014 तक अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाया गया।

तालिका 1.3: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय परिवर्ती कारक	2013-14				
	राज्य हेतु तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफ आर बी एम अधिनियम में विहित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/एम टी एफ पी में बनाये गये प्रक्षेपण	वास्तविकी
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	6808.85	6808.85	6441.42
राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	3.00	3.00	2.79	2.79	1.88
जी.एस.डी.पी. की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	43.00	43.00	21.18	20.96	25.34

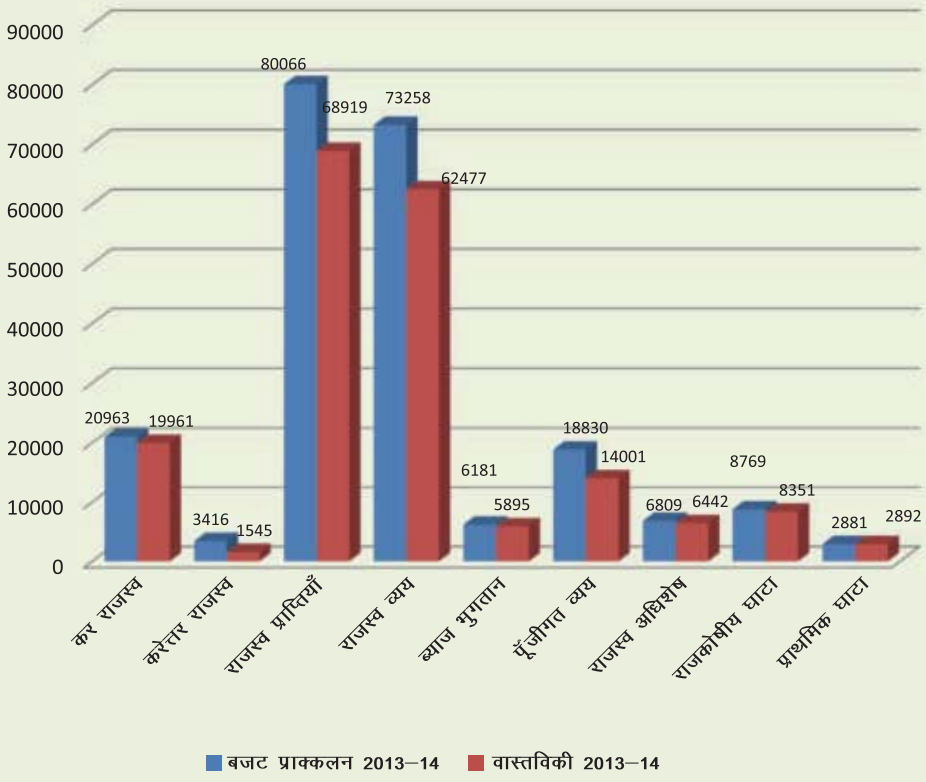
(स्त्रोतः वर्ष 2013–14 के लिए तेरहवाँ वित्त आयोग, एफ आर बी एम अधिनियम, बजट तथा एम टी एफ पी आँकड़े)

राज्य सरकार को वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक राजस्व अधिशेष हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा एफ आर बी एम अधिनियम के विहित सीमा के भीतर ही रहा।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण अथवा प्राक्कलन का विवरण प्रदान करता है। राजस्व तथा व्यय के आकलन में विशुद्धता की महत्ता समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते है। बजट प्राक्कलन से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा इष्टतम उपयोग नहीं होने का सूचक है। **चार्ट 1.1** वर्ष 2013–14 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी को प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है। बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में भी दिया गया है।

चार्ट 1.1: बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः बजट तथा राज्य का वित्त लेखा, 2013–14)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरूद्ध वास्तविक आँकड़ो में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिसकी समीक्षा नीचे की गयी हैः

- राजस्व प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 11147 करोड़ (14 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण ₹ 1871 करोड़ (55 प्रतिशत) के करेत्तर राजस्व तथा कर राजस्व में ₹ 1002 करोड़ (पाँच प्रतिशत) का बजट प्राक्कलन की तुलना में कमी होना हैं।
- राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 10780 करोड़ (15 प्रतिशत) एवं ₹ 4829 करोड़ (26 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 117.09 करोड़ सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 24.21 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 54.90 करोड़ का कम व्यय था।
- राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 367 करोड़ (पाँच प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 11147 करोड़ की कमी तथा राजस्व व्यय में बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 10781 करोड़ की कमी था।
- बजट प्राक्कलन (₹ 8769 करोड़) में किये गये प्रक्षेपण से राजकोषीय घाटा ₹ 418 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण राजस्व अधिशेष में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1341 करोड़ की अधिकता थी।
- बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा में ₹ 11 करोड़ की कमी हो गयी।

1.1.4 जेन्डर बजटिंग

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से जेन्डर बजटिंग की शुरूआत की गयी है। पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से महिलाओं के लाभ पर व्यय हेतु योजनाओं को राज्य के जेन्डर बजट में शामिल किया गया है।

जेन्डर बजट दस्तावेज में आवंटन एवं उसकी उपयोगिता का वर्षवार विवरण **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: वर्ष 2008–14 के दौरान जेन्डर बजटीय आवंटन एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	के तहत उपव्यय			के तहत व्यय			उपयोग की प्रतिशतता
	श्रेणी 1	श्रेणी 2	योग	श्रेणी 1	श्रेणी 2	योग	
2008-09	1115.85	3727.01	**4842.86**	907.27	1765.22	**2672.49**	55
2009-10	1949.14	2321.89	**4271.03**	1506.80	2115.98	**3622.78**	85
2010-11	1805.72	3481.91	**5287.63**	1678.78	3478.52	**5157.30**	98
2011-12	2189.85	5979.44	**8169.29**	2005.04	3996.16	**6001.20**	73
2012-13	2622.80	6488.48	**9111.28**	1907.51	5923.77	**7831.28**	86
2013-14	3130.60	8250.00	**11380.60**	2569.54	6387.67	**8957.21**	79

(स्त्रोतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ)
(श्रेणी 1– महिलाओं के लाभ के लिए 100 प्रतिशत आंवटन हेतु योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान)
(श्रेणी 2– महिलाओं के लाभ के लिए 30 प्रतिशत आंवटन हेतु योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि उक्त अवधि के दौरान महिलाओं के लाभ हेतु उद्दिष्ट निधि का उपयोग 55 से 98 प्रतिशत किया गया था।

हालांकि, जेन्डर बजट के तहत् योजनाओं के पर्याप्त क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार के राज्य स्तर पर कोई समर्पित जेन्डर बजट कोषांग का गठन नहीं किया गया है। राज्य सरकार, जेन्डर बजट के लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदान करने की स्थिति में नहीं था। लाभार्थियों के ब्यौरा के अभाव में, यह निश्चय नहीं हो सका कि जेन्डर बजट राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए सहायक था।

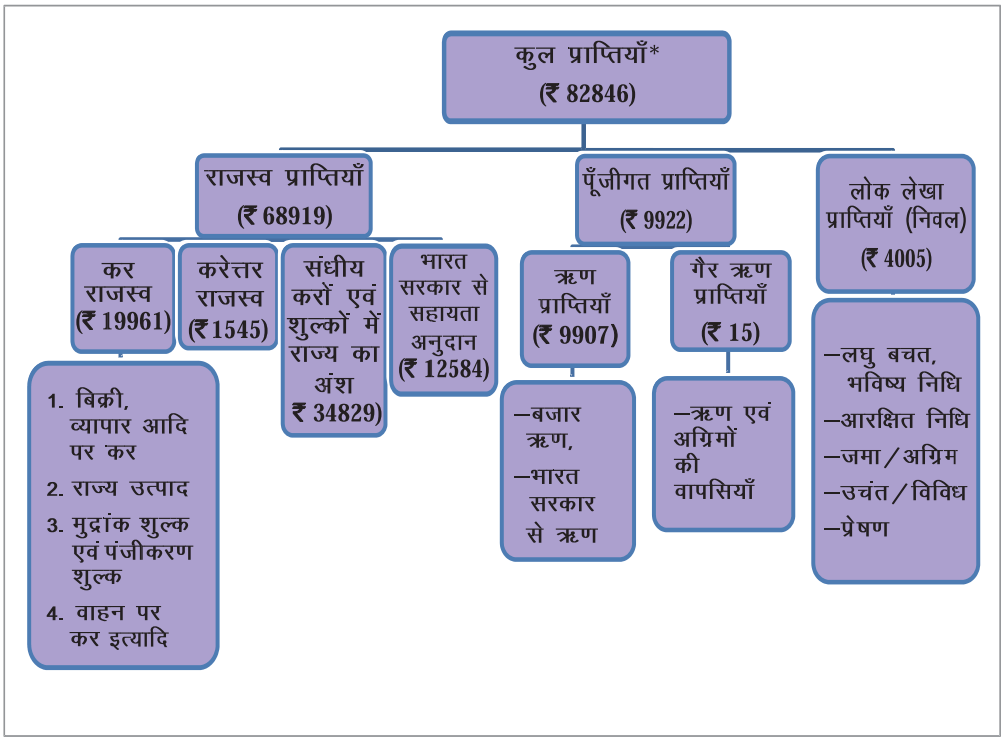
1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के आधार पर राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन, प्राप्तियों के दो प्रवाह–राजस्व और पूँजीगत से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्ति तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संवितरण के पश्चात् लोक लेखा में उपलब्ध निधि का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण में किया गया। जैसा कि वार्षिक वित्त लेखा में अभिलिखित है, **तालिका 1.2** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ तथा संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.2** वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृति को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप–घटक

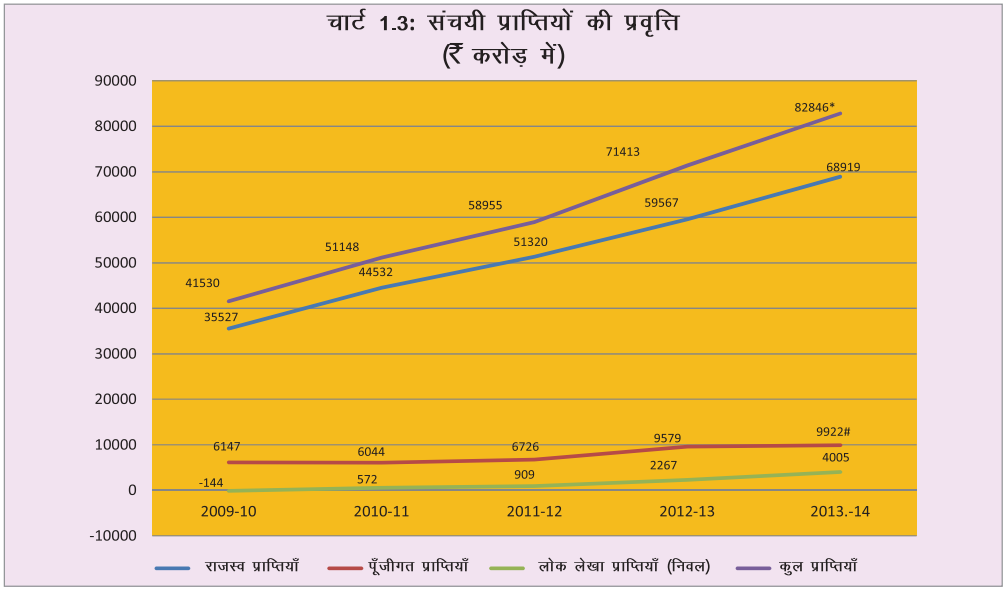
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2013–14)

* *कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं ।*

चार्ट 1.3 वर्ष 2009–14 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृति को प्रदर्शित करता है तथा **चार्ट 1.4** वर्ष 2013–14 के दौरान इनके प्राप्तियों के घटक को इंगित करता हैं ।



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

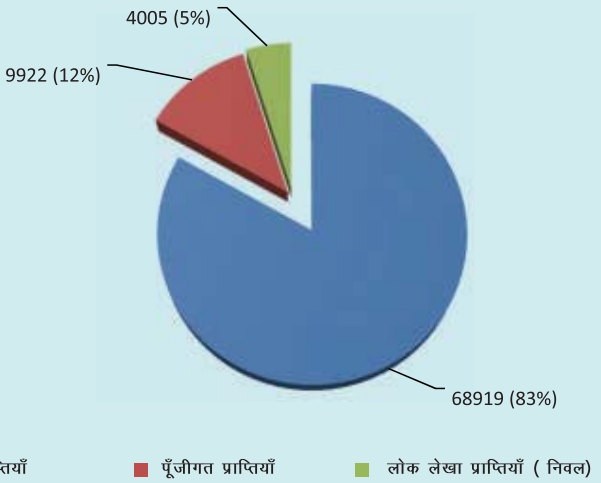
* *कुल प्राप्तियों में, राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल है ।*

\# *पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन शामिल है ।*

कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2009–10 में ₹ 41530 करोड़ से 99 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 82846 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में ₹ 11433 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित **चार्ट** वर्ष 2013–14 के कुल प्राप्तियों (₹ 82846 करोड़) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियों के घटक की स्थिति को दर्शाता है ।

चार्ट 1.4: वर्ष 2013–14 के दौरान संचयी प्राप्तियों की प्रवृत्ति
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2013–14)

वर्ष 2013–14 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 83 प्रतिशत था तथा यह वर्ष 2012–13 के ₹ 59567 करोड़ से 16 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 68919 करोड़ हो गया।

वर्ष 2013–14 में पूँजीगत प्राप्तियों, का अंश कुल प्राप्तियों का 12 प्रतिशत था तथा यह चार प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 के ₹ 9579 करोड़ से वर्ष 2013–14 में ₹ 9922 करोड़ हो गया ।

लोक लेखा प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए सरकार लोक धन हेतु बैंकर/न्यासी की भूमिका अदा करती है। उपर्युक्त चार्ट में औसतन यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान यह कुल प्राप्तियों का पाँच प्रतिशत था। वर्ष 2013–14 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में लोक लेखा प्राप्तियों (निबल) में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[3] को हस्तांतरित किया जाता है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि वर्तमान प्रक्रिया में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती है, और सरकार के लेखे में प्रदर्शित नहीं हो पाती है। इस प्रकार, राज्य का वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संसाधनों का पूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण ***परिशिष्ट 1.6*** में दर्शाया गया है।

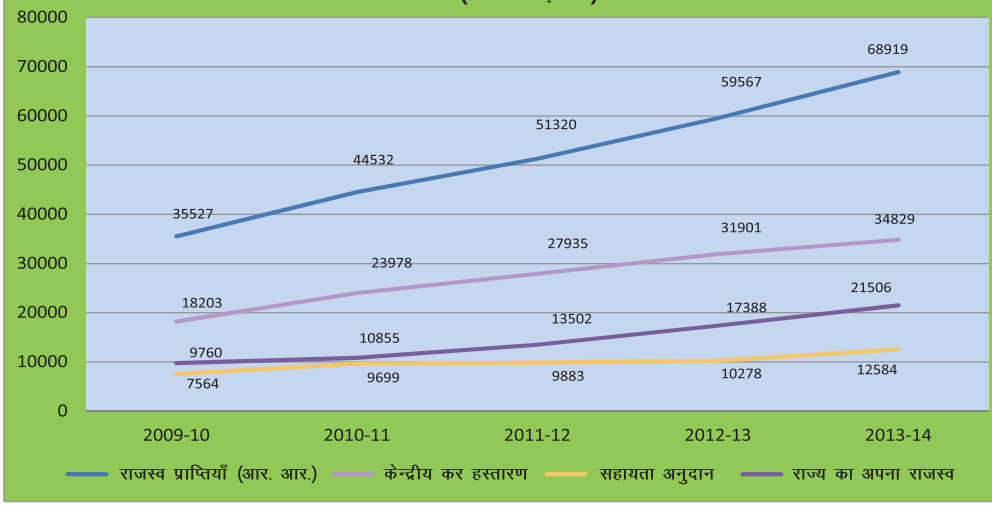
[3] *राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ सहित वैसी गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।*

वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 9464.50 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक था। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (ड़ी.आर.डी.ए.) (₹ 4606.37 करोड़ अर्थात् 49 प्रतिशत), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (₹ 2610.13 करोड़ अर्थात् 28 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 725.72 करोड़ अर्थात् आठ प्रतिशत) थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

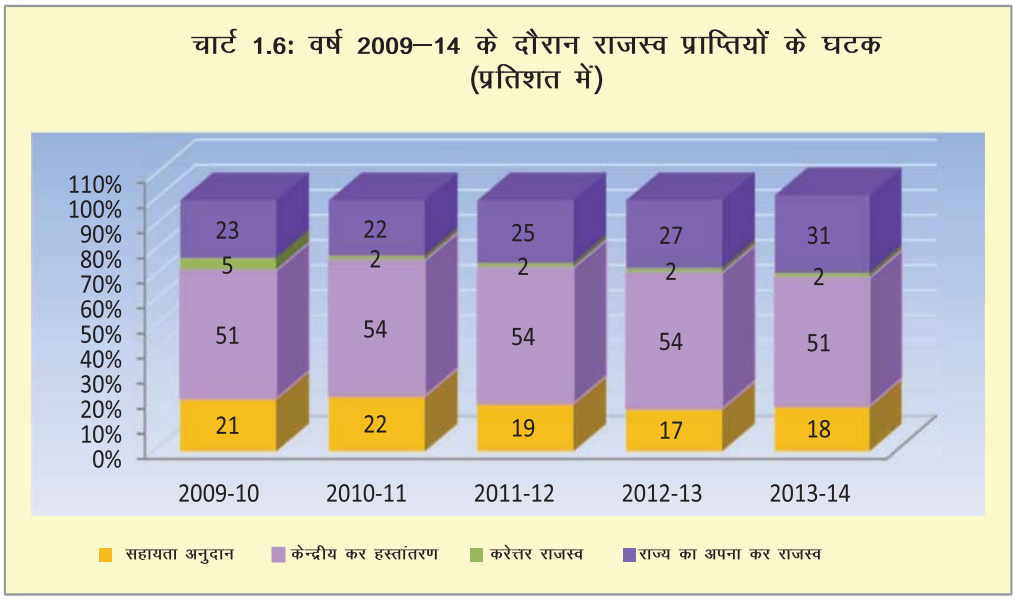
वित्त लेखा का विवरण–11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2009–14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः ***परिशिष्ट 1.7*** तथा **चार्ट 1.5** तथा **1.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: वर्ष 2009–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.6: वर्ष 2009–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक (प्रतिशत में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.5 तथा 1.6 से प्रदर्शित होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2009–10 में ₹ 35527 करोड़ से वर्ष 2013–14 में ₹ 68919 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2009–10 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 18 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने स्रोत में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश वर्ष 2009–14 के दौरान 22 प्रतिशत से 31 प्रतिशत के बीच रहा। राज्य ने केन्द्रीय कर हस्तांतरण का उच्च विकास दर हासिल किया जो यह वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक 54 प्रतिशत रहा, केवल वर्ष 2009–10 तथा 2013–14 के दौरान यह 51 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में करेत्तर राजस्व वर्ष 2009–10 में पाँच प्रतिशत था परन्तु यह वर्ष 2010–11 से 2013–14 के बीच घटकर दो प्रतिशत पर स्थिर हो गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**35527**	**44532**	**51320**	**59567**	**68919**
राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.72	25.35	15.24	16.07	15.70
राज्य का अपना कर	8090	9870	12612	16253	19961
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	31.05	22.00	27.78	28.87	22.81
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	162923	203555	243269	296153	343054
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.51	24.94	19.51	21.74	15.84
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	21.81	21.88	21.10	20.11	20.09
उत्पलावकता अनुपात[4]					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता	0.53	1.02	0.78	0.74	0.99
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना कर उत्पलावकता	2.14	0.88	1.42	1.33	1.44

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2009–14 के दौरान दो अंको में रहा सिवाय वर्ष 2009–10 (7.72 प्रतिशत) यह वर्ष 2010–11 के 25.35 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 15.70 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2009–10 तथा 2013–14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलावकता अनुपात 0.88 प्रतिशत से 2.14 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता हैं, संसाधन के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन स्वयं कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए।

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य सरकार के बजट प्रक्षेपण को नीचे की **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: वर्ष 2013–14 के दौरान प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	11933.07	20962.70	19960.68
करेत्तर राजस्व	2132.49	3416.08	1544.83

(स्रोतः राज्य वित्त लेखा, बजट तथा तेहरवें वित्त आयोग के आँकड़े)

[4] *उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। जैसे–राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।*

यद्यपि राज्य का कर राजस्व वर्ष 2013–14 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 8027.61 करोड़ ज्यादा तथा बजट प्रक्षेपण से ₹ 1002.02 करोड़ कम था तथापि करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण तथा राज्य के प्रक्षेपण से चिंताजनक रूप से क्रमशः ₹ 587.66 करोड़ तथा ₹ 1871.25 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेपण को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2013–14 में करेत्तर राजस्व संग्रह पूर्व वर्ष से ₹ 409.56 करोड़ अधिक था जो मुख्यतः पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ में योगदान तथा वसूली में ₹ 249.14 करोड़ की तथा ब्याज प्राप्तियों में ₹ 102.36 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

1.3.1.1 कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 147 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 8090 करोड़ से वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 19961 करोड़ हो गया। वृद्धि के मुख्य घटक **तालिका 1.7** तथा **चार्ट 1.7** में दर्शाये गये है।

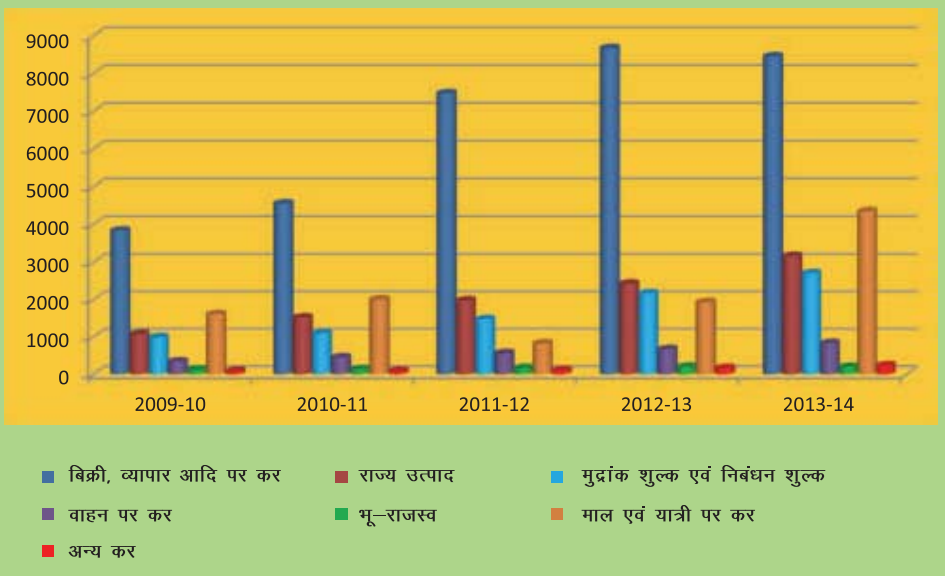
तालिका 1.7: वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य के अपने कर संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3839	4557	7476	8671	8453	(-) 3
राज्य उत्पाद	1082	1523	1981	2430	3168	30
मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क	998	1099	1480	2173	2712	25
वाहन पर कर	345	456	569	673	837	24
भू–राजस्व	124	139	168	205	202	(-) 1
माल एवं यात्री पर कर	1613	2006	828	1932	4349	125
अन्य कर	89	90	110	169	240	42
योग	**8090**	**9870**	**12612**	**16253**	**19961**	**23**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष का राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.7: वर्ष 2009–14 के दौरान कर राजस्व के मुख्य संघटक
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.7 वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट** में कर राजस्व के घटकों के अध्ययन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का मुख्य अंश बिक्री, व्यापार आदि पर कर था तथा यह वर्ष 2009–10 में 48 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 42 प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद का अंश वर्ष 2009–10 के 13 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 16 प्रतिशत हो गया।
- मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क का अंश वर्ष 2009–10 के 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 14 प्रतिशत हो गया।
- वाहनों पर कर का अंश वर्ष 2009–10 से 2013–14 के बीच चार प्रतिशत पर स्थिर रहा, केवल वर्ष 2010–11 को छोडकर।
- माल एवं यात्री पर कर का अंश भी वर्ष 2009–10 में 20 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2013–14 में 22 प्रतिशत हो गया।
- अन्य करों का अंश वर्ष 2009–14 के दौरान एक प्रतिशत पर स्थिर रहा।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2013–14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व (₹ 1545 करोड़) 2.24 प्रतिशत था। करेत्तर राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष से ₹ 410 करोड़ अधिक था। वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व के विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.8** तथा **चार्ट 1.8** में प्रदर्शित किया गया है। करेत्तर राजस्व के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 249 करोड़) तथा ब्याज प्राप्तियों (₹ 102 करोड़) में वृद्धि हुई।

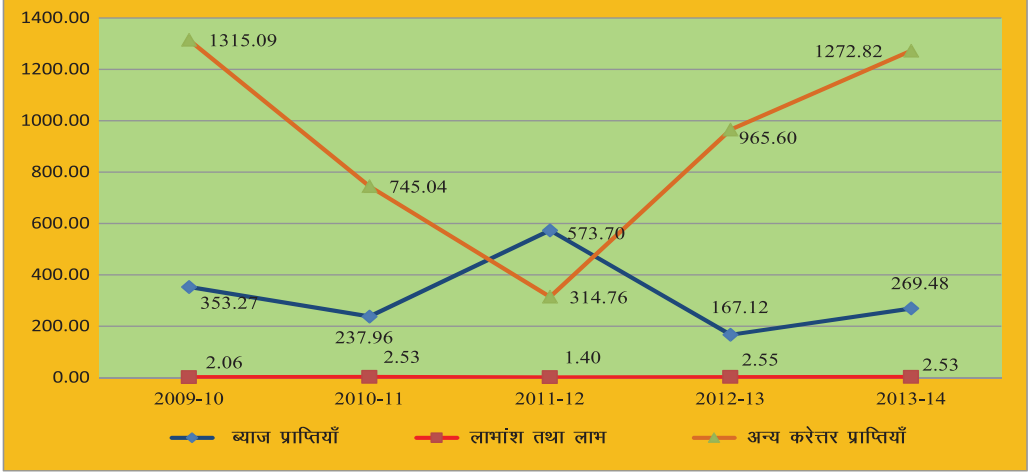
तालिका 1.8 : करेत्तर राजस्व का विकास दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष (करेत्तर राजस्व)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियाँ	353.27	237.96	573.70	167.12	269.48	61.25
लाभांश एवं लाभ	2.06	2.53	1.40	2.55	2.53	(-) 0.78
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1315.09	745.04	314.76	965.60	1272.82	31.82
योग	**1670.42**	**985.53**	**889.86**	**1135.27**	**1544.83**	**36.08**

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.8: वर्ष 2009–14 के दौरान करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2009–10 में ₹ 7564.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 12584.03 करोड़ हो गया जिसे **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर–योजना अनुदान	2256.20	1924.78	2562.62	2412.58	3288.13
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	3720.97	5456.95	5065.39	5051.97	6238.39
केन्द्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	137.71	175.70	95.78	35.69	136.65
केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	1449.28	2141.13	2159.19	2777.68	2920.86
विशेष योजना मदों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**7564.16**	**9698.56**	**9882.98**	**10277.92**	**12584.03**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशतता	(-) 5.00	28.22	1.90	4.00	22.44
राजस्व प्राप्तियाँ	35527	44532	51320	59567	68919
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान की प्रतिशतता	21.29	21.78	19.26	17.25	18.26

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा अनुदान में ₹ 23061.11 करोड़ की वृद्धि हुई इसका मुख्य कारण केन्द्र प्रायोजित योजना (₹ 143.18 करोड़) हेतु सहायता अनुदान, गैर–योजना (₹ 875.55 करोड़) तथा केन्द्रीय योजनागत योजना (₹ 100.96 करोड़) हेतु अनुदान में वृद्धि था। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान में 2011–12 तथा 2012–13 में कमी हुई लेकिन वर्ष 2013–14 में वृद्धि जो भारत सरकार के अनुदान पर निम्न निर्भरता का सूचक है।

1.3.3 ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय ऋण के ऋण राहत की योजना बनायी गयी जिसे ऋण समेकन एवं राहत सुविधाएँ कहा गया तथा यह राज्य में घाटा की कमी से संबंधित राज्य राजकोषीय निष्पादन पर आधारित था। तेरहवें वित्त आयोग ने इस सुविधा का विस्तार कुछ राज्यों तक किया जिसमें बिहार सरकार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2013–14 के दौरान ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं का लाभ बिहार सरकार ने उठाया। जैसे कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष में ₹ 12.60 करोड़ का ब्याज राहत देना।

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य के संघीय कर का अंश 30.50 प्रतिशत जैसा कि बारहवें वित्त आयोग में अनुशंसा की गयी थी से बढाकर 32 प्रतिशत किया जाना था। राज्य सरकार के संघीय कर निवल प्राप्ति (सेवा कर के सिवा) एवं सेवा कर निवल प्राप्ति का अंश कमशः 10.917 प्रतिशत तथा 11.089 प्रतिशत नियत किया गया हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त संघीय कर का अंश (₹ 34829.11 करोड़) प्राक्कलन (₹ 37980.98 करोड़) से (₹ 3151.87 करोड़) कम था। तथापि पूर्व वर्ष की तुलना में संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के अंश में ₹ 2929 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 255 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 853 करोड़) सेवा कर (₹ 1016 करोड़) तथा सीमा शुल्क (₹ 382 करोड़) के अंतर्गत हुई।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का इष्टतनीकरण

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य को हस्तांतरण के रूप में ₹ 2800.04 करोड़ की अनुशंसा की गयी थी। तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य को हस्तांतरित राशि के वास्तविक विमुक्ति एवं उपयोगिता **तालिका 1.10** में सारांशित किया गया है।

तालिका 1.10: हस्तांतरण एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	हस्तांतरण	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	वास्तविक विमुक्ति	व्यय	अव्यवहृत अनुदान
1.	बुनियादी अनुदान (यू.एल.बी.)	108.86	111.35	111.35	0.00
2.	निष्पादन अनुदान (यू.एल.बी.)	74.36	0.00	0.00	0.00
3.	बुनियादी अनुदान (पी.आर.आई.)	740.77	757.75	757.75	0.00
4.	निष्पादन अनुदान (पी.आर.आई.)	506.04	371.52	371.52	0.00
5.	पथ एवं पुल	119.00	119.00	119.00	0.00
6.	प्रारंभिक शिक्षा	946.00	946.00	946.00	0.00
7.	आपदा राहत	295.41	295.41	295.41	0.00
8.	पर्यावरण (वन) संबंधित अनुदान	9.60	4.06	4.06	0.00
9.	शिशु मृत्यु दर में गिरावट	0.00	10.38	0.00	10.38
योग		**2800.04**	**2615.47**	**2605.09**	**10.38**

(स्त्रोतः बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार द्वारा की गयी विमुक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा संबंधित लेखा शीर्ष के तहत् इसकी उपयोगिता से संबंधित उपरोक्त सूचना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि ₹ 2615.47 करोड़ में से ₹ 10.38 करोड़ को छोड़कर ₹ 2605.99 करोड़ (99.60 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया था। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के लिए सहायता अनुदान की पूर्ण राशि ₹ 10.38 करोड़ अव्यवहृत रही।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2009–10 में ₹ 6148 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 9922 करोड़ (61 प्रतिशत) हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ का विकास एवं रचना की प्रवृत्ति **तालिका 1.11** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.11: प्राप्तियों के विकास एवं रचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्त्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर)	6148	6044	6726	9579	9922
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	764.32	781.53	826.56	508.02	549.66
ऋण एवं अग्रिम की वापसियाँ	13	12	23	25	15
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6134	6032	6628	9554	9907
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	03	(-) 2	10	44	04
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	-	-
जी.एस.डी.पी.	162923	203555	243269	296153	343054
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	14.51	24.94	19.51	21.74	15.84
सी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	04	(-) 2	11	42	04

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

1.4.1 ऋण तथा अग्रिम की वसूली

ऋण तथा अग्रिम की वसूली वर्ष 2012–13 में ₹ 24.70 करोड़ से 39.15 प्रतिशत घटकर वर्ष 2013–14 में ₹ 15.03 करोड़ हो गयी। वसूली मुख्यतः ₹ 0.65 करोड़ के सहकारिता के लिए ऋण, ₹ 0.30 करोड़ के अन्य ऋण तथा ₹ 14.08 करोड़ के सरकारी सेवक को ऋण सम्मिलित है।

1.4.2 आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 में ₹ 9554 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 9907 करोड़ (चार प्रतिशत) हो गयी जिसमें मुख्यतः ₹ 6500 करोड़ का बाजार ऋण, ₹ 1471 करोड़ का वित्तीय संस्था से ऋण, ₹ 1386 करोड़ के केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ तथा ₹ 550 करोड के राज्य योजनार्गत योजना का ऋण सम्मिलित थी।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन–देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है तथा लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा , उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्ति तथा संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते है तथा राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता। यहाँ सरकार एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है। **तालिका 1.12** वर्ष 2009–14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों (निवल) के घटकों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.12 : लोक लेखा प्राप्तियों के घटक (निवल)

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)					
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 262.86	252.70	(-) 2.13	(-) 215.64	(-) 297.90
ख. आरक्षित निधि	98.31	183.72	572.36	530.89	698.58
ग. जमा एवं अग्रिम	(-) 134.15	50.94	932.91	2199.05	3668.40
घ. उचंत एवं विविध	99.53	4.91	(-) 556.93	(-) 266.52	(-) 44.86
ड. प्रेषण	54.82	79.96	(-) 36.82	19.52	(-) 19.01
योग	(-) **144.35**	**572.23**	**909.39**	**2267.39**	**4005.21**

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) वर्ष 2009–10 में ₹ (-) 144.35 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 4005.21 करोड़ हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2013–14 के दौरान जमा एवं अग्रिम में ₹ 3802.55 करोड़ तथा आरक्षित निधि में ₹ 600.27 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

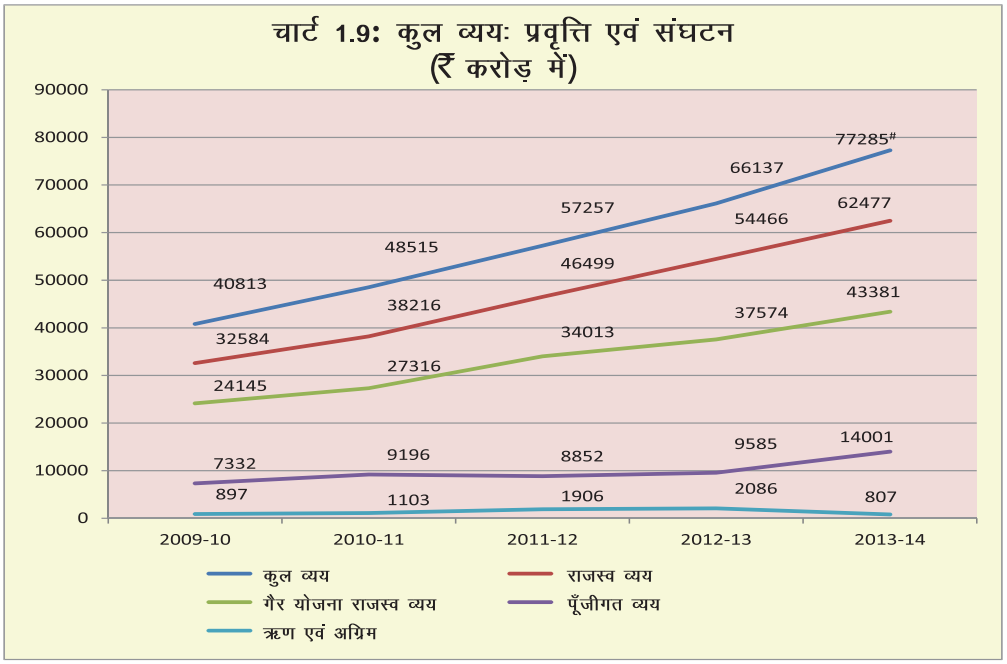
1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी। तथापि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढ़ीकरण, प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.6.1 व्यय के संघटन एवं वृद्धि

चार्ट 1.9 पाँच वर्षों (2009–14) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.9: कुल व्ययः प्रवृत्ति एवं संघटन
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, वर्ष 2009–10 में ₹ 40813 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 77285 करोड़ हो गया।

- पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान कुल व्यय में ₹ 11148 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 8011 करोड़ (15 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 4416 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि था।

- मुख्य पूँजीगत व्यय की बढोतरी खाद्य भंडार तथा भंडारण हेतु में 2012–13 के ₹ 34.72 करोड़ से 2013–14 में 404.05 करोड़, विद्युत परियोजनाओं हेतु 2012–13 के ₹ 173.63 करोड़ से 2013–14 में ₹ 1897.48 करोड़ (993 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु 2012–13 के ₹ 258.37 करोड़ से 2013–14 में ₹ 618.15 करोड़ (139 प्रतिशत) थी।

- मुख्य राजस्व व्यय में बढ़ोतरी स्वास्थ्य एवं लोक स्वास्थ्य हेतु 2012–13 के ₹ 151.72 करोड़ से 2013–14 में ₹ 1752.69 करोड़ (1055 प्रतिशत), जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु ₹ 301.58 करोड़ से 2013–14 में 514.23 करोड़ (71 प्रतिशत) तथा सड़क एवं पुलों हेतु ₹ 822.84 करोड़ से 2013–14 में ₹ 1375.10 करोड़ (67 प्रतिशत) थी।

1.6.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्त्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। राजस्व व्यय के आधारभूत मापदण्ड की प्रवृत्ति नीचे **तालिका 1.13** में दर्शायी गयी है।

कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं है ।

तालिका 1.13: राजस्व व्यय– आधारभूत मापदण्ड

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय (आर.ई.) जिसमें (₹ करोड़ में)	32584	38216	46499	54466	62477
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	24145	27316	34012	37574	43381
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	8439	10900	12487	16892	19096
वृद्धि दर					
राजस्व व्यय (प्रतिशत)	14.28	17.28	21.67	17.13	14.71
गैर योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	13.72	13.13	24.51	10.47	15.45
योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	15.92	29.16	14.56	35.28	13.05
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत	79.84	78.77	81.21	82.35	80.84
गैर योजना राजस्व व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	14.82	13.42	13.98	12.69	12.65
कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशत	59.16	56.30	59.40	56.81	56.13
राजस्व प्राप्तियों में गैर–योजना व्यय का प्रतिशत	67.96	61.34	66.27	63.08	62.94
राजस्व व्यय की उत्पलावकता के साथ					
जी.एस.डी.पी (अनुपात)	0.98	0.69	1.11	0.79	0.93
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.85	0.68	1.42	1.07	0.94

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान राजस्व व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 8011 करोड़ (14.71 प्रतिशत) तथा कुल व्यय का 80.84 प्रतिशत बढ़ गया।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2013–14 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 5807 करोड़ (15.45 प्रतिशत) बढ़ गया इसका मुख्य कारण पोषण एवं समाज कल्याण सेवाएँ में ₹ 610.44 करोड़ से (231 प्रतिशत) परिवहन ₹ 552.55 करोड़ से (67 प्रतिशत), तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास ₹ 151.04 करोड़ से (22 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

गैर योजना राजस्व व्यय (₹ 43381 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 53082 करोड़) में किये गये मानकी प्रक्षेप से 18 प्रतिशत कम था। तथापि कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2009–10 में 59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 56 प्रतिशत हो गया।

योजना राजस्व व्यय

योजना राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में ₹ 2204 करोड़ (13.05 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण ऊर्जा हेतु ₹ 48.92 करोड़ (4573 प्रतिशत), परिवहन हेतु ₹ 2.79 करोड़ (498 प्रतिशत) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु ₹ 73.58 करोड़ (116 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय वृद्धि था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी का व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल है। **तालिका 1.14** तथा **चार्ट 1.10** वर्ष 2009–14 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।

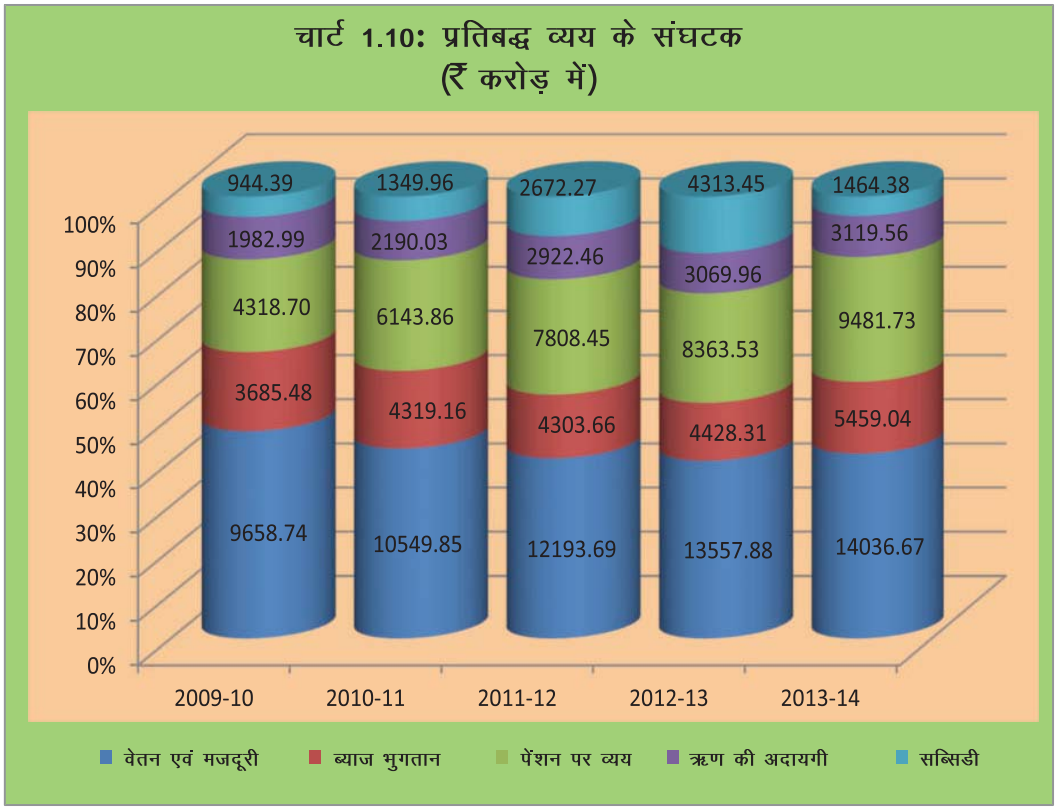
तालिका 1.14: वर्ष 2009–14 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
						बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	9658.74 *(27.19)*	10549.85 *(23.69)*	12193.69 *(23.76)*	13557.88 *(22.76)*	17676.17	14036.67 *(20.37)*
1 (क)	गैर–योजना शीर्ष	*9001.42 (25.34)*	*9954.35 (22.35)*	*11494.50 (22.40)*	12865.06 *(21.60)*	16836.92	13315.36 *(19.32)*
1 (ख)	योजना शीर्ष	*657.32 (1.85)*	*595.51 (1.34)*	*699.19 (1.36)*	692.82 *(1.16)*	839.25	721.31 *(1.05)*
2	ब्याज भुगतान	3685.48 *(10.37)*	4319.16 *(9.70)*	4303.66 *(8.39)*	4428.31 *(7.43)*	5887.97	5459.04 *(7.92)*
3	पेंशन पर व्यय	4318.70 *(12.16)*	6143.86 *(13.80)*	7808.45 *(15.22)*	8363.53 *(14.04)*	11274.04	9481.73 *(13.76)*
4	ऋण की अदायगी	1982.99 *(20.53)*	2190.03 *(20.76)*	2922.46 *(23.97)*	3069.96 *(5.15)*	3238.73	3119.56 *(4.53)*
5	सब्सिडी	944.39 *(2.66)*	1349.96 *(3.03)*	2672.27 *(5.21)*	4313.45 *(7.24)*	0.00	1464.38 *(2.12)*
6	**योग (1+2+3+4+5)**	**20590.30** ***(57.96)***	**24552.86** ***(55.13)***	**29900.53** ***(58.26)***	**33733.13** ***(56.63)***	**38076.91**	**33561.38** ***(48.70)***
7	अन्य संघटक	11993.87 *(33.76)*	13663.06 *(30.68)*	16598.96 *(32.34)*	20733.02 *(34.81)*	35180.71	28915.85 *(41.96)*
8	**राजस्व व्यय**	**32584.17**	**38215.92**	**46499.49**	**54466.15**	**73257.62**	**62477.23**
9	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**35526.83**	**44532.32**	**51320.17**	**59566.66**	**80066.47**	**68918.65**

कोष्ठक में दिये गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता प्रदर्शित करते है।

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा तथा वर्ष 2013–14 का बजट)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

वेतन पर व्यय

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वेतन पर व्यय वर्ष 2012–13 में 22.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 के दौरान 20.37 प्रतिशत हो गयी । वेतन पर ₹ 14036.67 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग के अवलोकन (₹ 10891.89 करोड़) से ₹ 3144.78 करोड़ अधिक था परन्तु बजट प्राक्कलन (₹ 17676.17 करोड़) से ₹ 3639.50 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान पर व्यय

पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2009–10 में ₹ 4318.70 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 9481.73 करोड़ हो गया अर्थात् ₹ 5163.03 करोड़ (120 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान केवल पेंशन भुगतान ही राज्य के राजस्व प्राप्ति का 14 प्रतिशत था तथा पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1118.20 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पर व्यय (₹ 5459.04 करोड़) पिछले वर्ष से 23.28 प्रतिशत अधिक था। राजस्व प्राप्तियों की ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2009–10 में 10.37 प्रतिशत से घटकर 2013–14 में 7.92 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2013–14 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 5459.04 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (₹ 5528.62 करोड़) तथा बजट प्राक्कलन (₹ 5887.97 करोड़) द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर्गत था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2009–10 में 20.53 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 4.53 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट प्राक्कलन (₹ 3238.73 करोड़) से ₹ 119.17 करोड़ (3.68 प्रतिशत) की सामान्य कमी हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान न केवल प्रत्यक्ष परन्तु परोक्ष रूप से भी अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है की कम वसूली, अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 1464.38 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 66.05 प्रतिशत कम था तथा राजस्व प्राप्ति का 2.12 प्रतिशत था। इसमें से, ए.एम.जी./एम.एम.जी/वैट[5]/ अस्थगित राशि/पूँजीगत सब्सिडी/डीजल जेनरेटर सेट सब्सिडी आदि के संवितरण हेतु ₹ 405.92 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा0कृ0वि0यो0) हेतु ₹ 326.94 करोड़, कृषि यांत्रीकरण के संवर्धन हेतु ₹ 144.30 करोड़ तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु ₹ 114.48 करोड़ प्रदान किये गये। वर्ष 2013–14 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का सब्सिडी पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 275.04 करोड़ अधिक था।

अंतर्निहित सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा अंतर्निहित सब्सिडी पर की गयी व्यय का वर्णन नीचे **तालिका 1.15** में किया गया है:

तालिका 1.15: वर्ष 2013–14 में दिया गया अंतर्निहित सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना का नाम	व्यय
1.	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (प्राथमिक शिक्षा)	374.61
2.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (प्राथमिक शिक्षा)	224.90
3.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (माध्यमिक शिक्षा)	119.50

[5] *ए.एम.जी.–वार्षिक निम्नतम गारंटी, एम.एम.जी.–मासिक निम्नतम गारंटी, वी.ए.टी.–मूल्य वर्धित कर।*

क्रम. सं.	योजना का नाम	व्यय
4.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (माध्यमिक+2शिक्षा)	35.98
5.	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना (माध्यमिक शिक्षा)	139.67
6.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (माध्यमिक शिक्षा)	140.67
7.	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना (अ0जा0 के लिए माध्यमिक शिक्षा)	26.69
8.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (अ0जा0 के लिए माध्यमिक शिक्षा)	23.76
योग		**1085.78**

(स्त्रोतः शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका 1.15 में देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को पोशाक एवं साइकिल प्रदान करने के लिए ₹ 1085.78 करोड़ का व्यय किया गया।

1.6.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

वर्ष 2009–14 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के जरिये सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की स्थिति नीचे **तालिका 1.16** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज , विश्वविद्यालय)	613.07	1940.11	5581.07	8331.34	8420.44
नगर निगम एवं नगर निकाय	997.68	690.21	557.30	873.56	1009.88
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	1395.22	1515.34	2534.41	2595.15	3506.69
विकास एजेन्सियाँ	984.13	394.24	3029.74	3079.26	5683.72
अस्पताल एवं अन्य सहायतार्थ संस्थाएँ	33.44	53.67	25.00	0.00	67.12
अन्य संस्थाएँ	356.33	28.25	2716.16	2574.43	247.16
योग	**4379.87**	**4621.82**	**14443.68**	**17453.74**	**18935.01**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	13.44	12.09	31.06	32.05	30.31

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वर्ष 2012–13 में वित्तीय सहायता ₹ 17454 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 18935 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1481 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्था (₹ 89 करोड़), नगर निगम तथा नगर निकाय (₹ 136 करोड़) तथा विकास एजेन्सियों (₹ 2604 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। तथापि अन्य संस्थाओं की सहायता में ₹ 2327 करोड़ की कमी आई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

सामान्यतः राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय के गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन अवयवों पर निर्भर करता है, जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता एवं प्रभाव (चुनिंदा सेवाओं के लिए लागत–परिणाम संबंध का आकलन) ।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक प्रक्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.17 वर्ष 2013–14 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.17: वर्ष 2010–11 तथा 2013–14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई / जी. एस.डी.पी.	डी.ई# / ए.ई.	एस.एस. ई / ए.ई.	सी.ई. / ए.ई.	शिक्षा / ए.ई.	स्वास्थ्य / ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2010–11*	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
बिहार का औसत (अनुपात) 2010–11	23.83	67.64	33.31	18.96	16.99	3.44
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2013–14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
बिहार का औसत (अनुपात) 2013–14	22.53	69.77	36.56	18.12	19.47	3.33

* *जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के अनुसार*
ए.ई– संचयी व्यय, डी.ई.–विकास व्यय, एम.एस.ई–सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई–पूँजीगत व्यय,
\# *डी.ई.: विकासात्मक व्यय में शामिल है: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण तथा अग्रिम*

(स्त्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय, बिहार सरकार)

1.7.2 व्यय उपयोगिता की दक्षता

विकास शीर्षों[6] पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स[7] के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय[8] के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंवित होता है । कुल व्यय पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात, व्यय का बेहतर दक्षता होगा ।

चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता की स्थिति **तालिका 1.18** में दर्शायी गयी है।

[6] *विकास शीर्ष के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।*

[7] *कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते है कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि–व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि।*
मेरिट गुड्स वे सौदा है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुर्पुदगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल है।

[8] *व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर–विकास व्यय के रूप में अलग–अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है । विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर–विकास व्यय माना गया है ।*

तालिका 1.18 चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता

(प्रतिशतता)

प्रक्षेत्र	2012-13		2013-14	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
समाजिक सेवाएँ (एस.एस.)				
सामान्य शिक्षा	2.00	35.77	4.67	33.52
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	23.45	79.64	17.88	74.76
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	10.92	8.90	17.69	7.87
योग (एस.एस.)	**5.87**	**36.80**	**8.51**	**34.09**
आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)				
कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियाँ	2.81	14.76	13.00	14.93
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	67.97	65.89	63.39	56.27
विद्युत एवं ऊर्जा	5.15	0.00	36.96	0.00
परिवहन	80.05	24.59	74.76	15.44
योग (ई.एस.)	**40.49**	**15.70**	**48.29**	**14.40**
योग (एस.एस.+ई.एस.)	**20.23**	**30.27**	**26.33**	**27.90**

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रक्षेत्रवार व्यय पर विश्लेषण तथा विकासात्मक सूचक से इसका संबंध यह प्रदर्शित करता है कि इन शीर्षों पर कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक–आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय वर्ष 2012–13 में 20.23 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 26.33 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के लिए ठीक है। इन शीर्षो के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2012–13 में 30.27 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 27.90 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकरात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012–13 में 5.87 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 8.51 प्रतिशत हो गयी। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012–13 में 40.49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 48.29 प्रतिशत हो गयी। तथापि, मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन के अंतर्गत कमी देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी का अंश वर्ष 2012–13 में 36.80 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 34.09 प्रतिशत हो गया जबकि चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी का अंश वर्ष 2012–13 में 15.70 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 14.40 प्रतिशत हो गई । यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में सामान्य शिक्षा (2.25 प्रतिशत) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (4.88 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति, स्वास्थ्य, आवास तथा शहरी विकास (1.03 प्रतिशत) के अंतर्गत एवं आर्थिक सेवाओं में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (9.62 प्रतिशत) तथा परिवहन (9.15 प्रतिशत) के अंतर्गत था।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यो पर निधि के अवरूद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रूके हुए कार्य सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा। **तालिका 1.19** में 31 मार्च 2014 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार सूचनाएँ दी गयी है। सम्मिलित रूप से 227 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3129.86 करोड़) को मार्च 2014 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1273.67 करोड़ अवरूद्ध हो गया। अपूर्ण कार्यों की भौतिक प्रगति मार्च 2014[$] को शून्य से 98 प्रतिशत के बीच रही ।

[$] *वित्त लेखा वर्ष 2013–14 का परिशिष्ट – X।*

तालिका 1.19 अपूर्ण परियोजनाओं का विभाग–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग / परियोजना	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2014 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	82	2196.90	955.42
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	69	353.23	131.54
पथ निर्माण	40	432.33	113.50
भवन निर्माण	21	97.90	35.36
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	9	19.38	6.09
ग्रामीण कार्य	5	20.89	23.08
राष्ट्रीय राजमार्ग	1	9.23	8.68
योग	**227**	**3129.86**	**1273.67**

(स्त्रोतः वर्ष 2013–14 के राज्य का वित्त लेखा)

कार्य पूर्ण करने में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के पूर्ण करने में विलंब के कारण परियोजनाओं से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार, समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2014 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 2867.18 करोड़ निवेश किया जो कि **तालिका 1.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश / प्रतिलाभ / उधार की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	856.18	905.24	920.82	941.17	2867.18
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	2.06	2.53	1.40	2.55	2.53
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.24	0.28	0.15	0.27	0.09
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर[9]	6.48	6.87	6.35	5.79	6.28
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ में अंतर (प्रतिशत)	6.24	6.59	6.20	5.52	6.19

(संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 2867.18 करोड़ के निवेश के विरूद्ध केवल ₹ 2.53 करोड़ का प्रतिलाभ हुआ।

जैसा कि उपर्युक्त **तालिका 1.20** में देखा जा सकता है कि इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.21 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2009–14 के दौरान सरकार ने अपने उधार पर 6.35 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। उधार पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ के दर के बीच के अंतर को वर्ष 2010–11 में 2009–10 की तुलना में 0.35 प्रतिशत बढ़ा परंतु वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में क्रमशः 0.39 प्रतिशत तथा 0.68 प्रतिशत उत्तरोत्तर घटा। तथापि, यह अंतर वर्ष 2013–14 में पुनः 0.67 प्रतिशत बढ़ा।

वर्ष 2013–14 तक विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये ₹ 2867.18 करोड़ में, 48 सरकारी कंपनियों में ₹ 2344.79 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं में ₹ 382.90 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.19 करोड़, नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा साझेदारी में ₹ 3.68 करोड़ का निवेश था । वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 1926.01 करोड़ का निवेश किया । इनमें से सरकारी कंपनियों में ₹ 1924.08 करोड़ का निवेश किया गया।

[9] *ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान* 100/ राजकोषीय उत्तरदायित्व।*

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, समितियों, सरकारी निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है।

तलिका 1.21 31 मार्च 2014 में लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज प्राप्तियों तथा ब्याज भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.21: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण लागत की राशि	2011-12	2012-13	2013-14
पूर्व शेष	16642.19	18525.76	20587.01
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम	1906.08	2085.95	807.38
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	22.51	24.70	15.03
अंतिम शेष	**18525.76**	**20587.01**	**21379.36**
निवल योग	1883.57	2061.25	792.35
ब्याज प्राप्तियाँ	573.70	167.12	269.48
बकाया ऋण तथा अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	3.10	0.81	1.26
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.35	5.79	6.28
ब्याज प्राप्ति तथा ब्याज भुगतान के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-) 3.25	(-) 4.98	(-) 5.02

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के राज्य का वित्त लेखा)

प्रदत्त ऋण की मात्रा वर्ष 2012–13 में ₹ 2085.95 करोड़ से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹ 807.38 करोड़ हो गयी। पुनर्भुगतान भी वर्ष 2012–13 में ₹ 24.70 करोड़ से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹ 15.03 करोड़ हो गयी। ब्याज प्राप्ति की वसूली कम होने के कारण ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर वर्ष 2012–13 में 4.98 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 5.02 प्रतिशत हो गया।

1.8.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.22 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है ।

तालिका 1.22 नगद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2014 को	वृद्धि/कमी
नगद शेष	3715.58	6156.39	2440.81
नगद शेष से निवेश (क से घ)	2074.37	4038.80	1964.43
क. भारत सरकार का कोषागार विपत्र	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	2069.72	4034.15	1964.43
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट शेष (क से ख) से निवेश का निधिवार विखंडन	931.48	1367.75	436.27
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	931.38	1367.65	436.27
ब्याज प्राप्ति	128.42	233.07	104.65
* *वृद्धि नहीं, 0.0961 का पूर्णांक आँकड़ा*			

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 3715.58 करोड़ से बढ़कर ₹ 6156.39 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2014 को ₹ 2069.72 करोड़ से बढ़कर ₹ 4034.15 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में उद्दिष्ट शेष में निवेश ₹ 436.27 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2013–14 के दौरान निवेश पर

₹ 233.07 करोड़ ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2012–13 के दौरान वसूले गये ब्याज (₹ 128.42 करोड़) से ₹ 104.65 करोड़ ज्यादा था।

1.9 परिसंपत्ति एवं देयता

1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं के संघटक तथा वृद्धि

सरकार की वर्त्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि और भवन जैसे अचल सम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है। तथापि, सरकारी लेखा में सरकार की वित्तीय देयता तथा की गई व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्ति का लेखांकन होता है। ***परिशिष्ट 1.8*** 31 मार्च 2013 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 तक की ऐसी देयता तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

कुल देयता राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयता है। संचित निधि देयता में आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय परिवहन तथा अन्य समकक्ष साधनों द्वारा उधारी शामिल है जिसमें पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार की होती है।

1.9.2 *राजकोषीय देयता*

तालिका 1.23 में राज्य के बकाये राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

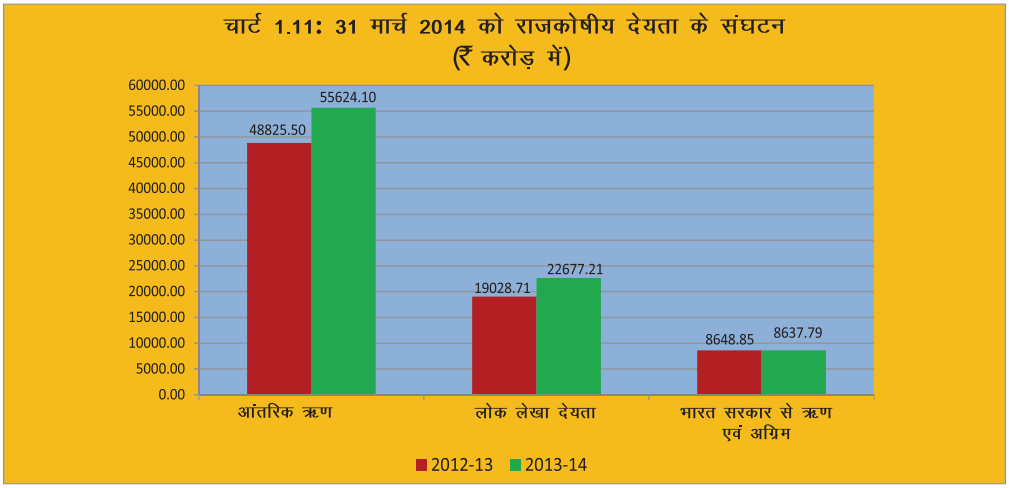
तालिका : 1.23 बकाया राजकोषीय देयता[10]

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राशि (₹ करोड़ में)	58689.91	62858.01	67811.84	76503.07	86939.10
वृद्धि दर	6.75	7.10	7.88	12.82	13.64
राजकोषीय देयता का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.360	0.309	0.279	0.258	0.253
राजस्व प्राप्ति	1.652	1.412	1.321	1.284	1.261
स्वयं के संसाधन	6.013	5.791	5.022	4.400	4.043
राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.465	0.285	0.404	0.590	0.861
राजस्व प्राप्ति	0.875	0.280	0.517	0.798	0.869
स्वयं के संसाधन	0.203	0.633	0.323	0.445	0.576

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2009–10 में ₹ 58689.91 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयता का संघटक **चार्ट 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.11: 31 मार्च 2014 को राजकोषीय देयता के संघटन
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

[10] *बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत से ऋण, भविष्य निधि आदि तथा अन्य देयता।*

उपर्युक्त **तालिका 1.23** में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयता वर्ष 2012–13 में ₹ 76503.07 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ हो गया। राजकोषीय देयता की वृद्धि दर 2012–13 के 12.82 प्रतिशत से बढ़कर 2013–14 में 13.64 प्रतिशत हो गया। तथापि राजकोषीय देयता एवं जी.एस.डी.पी. अनुपात वर्ष 2009–10 में 36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 के दौरान 25.33 प्रतिशत हो गया तथा यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रतिमान 43 प्रतिशत से कम था। यह चालू वर्ष में एफ.आर.बी.एम के लक्ष्य 43 प्रतिशत से भी बहुत कम था। वर्ष 2013–14 के अंत में देयता राजस्व प्राप्ति का 1.26 गुणा तथा राज्य के अपने स्रोतों का 4.04 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पलावकता पूर्व वर्ष के दौरान 0.590 की तुलना में इस वर्ष के दौरान 0.861 थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजकोषीय देयता के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति राज्य के अपने देयताओं को निर्वाह करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन

आरक्षित एवं आरक्षित निधि का सृजन राज्य सरकार (लोक लेखा) के लेखा में **'ञ'** प्रक्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इन निधियों में भारत अथवा राज्य अथवा बाहरी एजेंसियों द्वारा संचित निधि योगदान एवं अनुदान द्वारा पोषित होते है। इसके अतिरिक्त इन निधियों को ब्याज वाली निधि तथा बिना ब्याज निधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः आरक्षित निधि निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत होते है जो उन स्त्रोत पर आधारित होते है जिसमें से पोषित होते है।

- अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा साथ ही लोक अभिदान जैसेः केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी से बनी निधि, से संचित की गयी निधि।
- विशिष्ट उदेश्यों जैसे शून्यह्रास निधि हेतु की गयी व्यय के लिए संचय प्रदान करने हेतु भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से संघ/राज्य द्वारा अलग रखी गयी राशि से संचित की गयी।
- राज्य सरकार को बाह्य एजेंसियो द्वारा दी गयी योगदान से संचित की गयी निधि।

वित्त लेखा के अनुसार, राज्य सरकार के लेखा में छह आरक्षित निधि[11] सृजित किये गये तथा उनका संधारण किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

इस निधि का प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2013 को ₹ 1792.38 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 387.21 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 124.90 करोड़ का संवितरण किया गया जिससे 31 मार्च 2014 को ₹ 2054.69 करोड़ का शेष रह गया। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 387.21 करोड़ में से केवल ₹ 124.90 करोड़ (32 प्रतिशत) का उपयोग किया गया जो अनावश्यक प्रावधान को सूचित करता है।

ऋण–निक्षेप निधि

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष ₹ 931.38 करोड़ था तथा ₹ 436.27 करोड़ की राशि निक्षेप निधि निवेश लेखा में निवेषित की गयी। निक्षेप निधि में 31 मार्च 2014 को अंत शेष ₹ 1367.65 करोड़ था ।

[11] *राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास तथा कल्याण निधि, सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ एवं मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि । वर्ष के दौरान शेष निधियों में कोई लेन–देन नहीं है। इसलिए इसपर कोई टिप्पणी नहीं है ।*

1.9.4 आकस्मिक देयता

• प्रत्याभूति की स्थिति

यदि उधार लेने वाले जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गयी गत तीन वर्षो की प्रत्याभूति की स्थिति **तालिका 1.24** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.24: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2011-12	2012-13	2013-14
प्रत्याभूत अधिकतम राशि	2049.03	2046.44	2586.84
प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1092.34	1089.23	1090.23
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	3.99 (*51320*)	3.44 (*59567*)	3.75 (*68919*)
(कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते है)			

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य का वित्त लेखा)

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 9 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सरकार ने वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के संबंध में स्थिति/सूचना प्रस्तुत नहीं किया तथा मार्च 2014 के अंत तक प्रत्याभूत अधिकतम राशि पूर्व वर्ष से ₹ 540.40 करोड़ ज्यादा कर दी गई । 31 मार्च 2014 को प्रत्याभूति की ₹ 1090.23 करोड़ की बकाया राशि मुख्यतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (₹ 500 करोड़), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 194.68 करोड़), बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़) तथा क्रेडिट सहकारी (₹ 157.89 करोड़) से संबंधित था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई भी देयता से मुक्ति हेतु प्रत्याभूति शुल्क के जरिये प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

• ऑफ–बजट उधारी

सरकारी कंपनी/निगम राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधि उधार लेती है। इस तरह का कई उधारी कभी–कभी राज्य सरकार का देयता हो जाता है जिसे ऑफ–बजट उधारी कहा जाता है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 2009–14 के दौरान इसने किसी ऑफ–बजट उधारी का सहारा नहीं लिया।

1.9.5 बाजार उधारी सहित सरकार की उधारी का विश्लेषण

वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य द्वारा नकद शेष तथा की गयी उधारी, **तालिका 1.25** में दी गयी है।

तालिका 1.25: नगद शेष एवं उधारी की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल उधारी (बाजार उधारी सहित)	राजकोषीय घाटा से अधिक उधारी	मार्च का नकद शेष
2009-10	5273	6842	1569	2291
2010-11	3971	6871	2900	2735
2011-12	5914	7660	1746	1509
2012-13	6545	10850	4305	3716
2013-14	8351	30249	21898	6156

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वृहत नकद शेष रहने के बावजूद राजकोषीय घाटा से उधारी ₹ 1569 करोड़, ₹ 2900 करोड़, ₹ 1746 करोड़, ₹ 4305 करोड़ तथा ₹ 21898 करोड़ क्रमशः वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के

दौरान बढ़ गया। वर्ष 2009–14 के दौरान ₹ 1509 करोड़ एवं ₹ 6156 करोड़ के बीच वृहत नकद शेष को राजकोषीय घाटा के स्तर तक हुए आधिक्य उधारी पर आरोपित की जा सकती थी जिसे **तालिका 1.25** में दर्शायी गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटा सामान्यतः राज्य द्वारा उधारी के माध्यम से पोषित होता है । ऋण की वृद्धि दर, ऋण पुनर्भुगतान देयता, लोक ऋण पुनर्भुगतान, चालू व्यय को वित्त पोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता (पूँजीगत व्यय नहीं) सरकारी प्रतिभूति पर एस.पी.भी द्वारा बढ़ाये गये ऋण के कारण तथा ऋण चुकाने पर वचनबाध्यता नीचे प्रदर्शित की गयी है।

• *ऋण विवरणिका*

प्रति व्यक्ति ऋण को दिखाने के लिए विगत पाँच वर्षो का समयवार विश्लेषण नीचे **तालिका 1.26** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.26 : ऋण विवरणिका : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण विवरणिका के प्रदर्शक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उधार ली गयी राशि की निवल उपलब्धता[$]	28	71	651	4263	4977
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो का राज्य का वित्त लेखा)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता वर्ष 2012–13 में ₹ 4263 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 4977 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2013–14 में वित्त लेखा की विवरणी संख्या 6 के अनुसार, सरकार द्वारा ₹ 9357 करोड़ का आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ₹ 550 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम, ₹ 20342 करोड का अन्य देनदारियाँ ली गई, तथा ₹ 2559 करोड़ का आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार को ₹ 561 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान किया, ₹ 16694 करोड़ मूल्य की अन्य देनदारियों को चुकाया तथा ₹ 4226 करोड़ मूल्य के आंतरिक ऋण पर ब्याज, केन्द्र सरकार से ₹ 434 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज तथा ₹ 790 करोड़ मूल्य के लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज का पुनर्भुगतान किया।

• *ऋण निर्वाहता*

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता[12] का निर्धारण करते है। प्रतिवेदन का यह खण्ड, ऋण स्थिरता,[13] गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता,[14] उधार ली गई

[$] *उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ–(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैरयोजना शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।*

[12] *किसी समयावधि तक ऋण और जी. एस. डी. पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।*

[13] *स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार (जी. एस. डी. पी. वृद्धि दर ब्याज दर) एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है तो ऋण जी. एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक घाटा के साथ विस्तार, ऋणात्मक हो तो ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात अंततः घटेगा।*

[14] *राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एंव बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।*

राशियों की निवल अनुपलब्धता[15], ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण निर्वाहता की संवहनीयता का आकलन करता है।

तालिका 1.27 वर्ष 2009–14 की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण निर्वाहता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.27 ऋण निर्वाहता : सुचकांक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार+प्रारंभिक अधिशेष)	(-) 226.39	9449.84	7910.80	8318.02	5419.37
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	(-)1524.00	3372.00	(-) 1485.07	282.02	1331.24
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	28.00	71.00	651.00	4263.00	4977.00
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व पारित अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा* (वर्षो में)					
शून्य से एक वर्ष (2014)					1198.64 (3.83)
एक से तीन वर्ष (2015–2017)					2396.76 (7.66)
तीन से पाँच वर्ष (2018–2019)					7488.93 (23.94)
पाँच से सात वर्ष (2020–2021)					4319.00 (13.81)
सात वर्ष से अधिक (2022 के आगे)					15881.00 (50.76)
कुल बाजार ऋण					***31284.33 (100.00)#***

** तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2013–14 में वित्तीय लेखा में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।*
कोष्ठक में दिये आँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते है ।

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष का राज्य का वित्त लेखा)

प्रत्येक सूचक की स्थिति निम्नवत थी–

यदि प्रारंभिक घाटा के साथ–साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगा या ऋण यथावत स्थिर होगा। वर्ष 2011–12 की तुलना में परिणाम विस्तार के साथ प्रारंभिक अधिशेष ₹ 7910.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 8318.02 करोड़ हुआ यह दर्शाता है कि ऋण निर्वाहता में वृद्धि हुई। परन्तु वर्ष 2013–14 में इसमें कमी हुई।

तालिका 1.27 के अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता यह दर्शाता है कि कुल ऋण का लगभग 35.43 प्रतिशत आने वाले पाँच वर्षो के अंदर पुनर्भुगतान किया जाना था तथा शेष 64.57 प्रतिशत का भुगतान इसके बाद होना था। राज्य, वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान ₹ 7488.93 करोड़, वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 4319 करोड़ तथा वर्ष 2022 के दौरान एवं उसके बाद ₹ 15881 करोड़ का ऋण पुनर्भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। आने वाले वर्षो में राज्य को ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि सूचित करने के लिए अपना ऋण निर्वाहता सुधारण होगा। इन क्रमिक वर्षो में परिपक्व ऋण के अतिरिक्त और उधारी नहीं लेना पड़े इसके लिए सरकार को ऋण पुनर्भुगतान हेतु सुदृढ़ योजना तैयार करना होगा।

1.10.1 ऋण सुदृढ़ीकरण तथा राहत सुविधा

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से उपलब्ध ऋण पर ब्याज राहत तथा भारत सरकार द्वारा बकाया ऋण का बट्टे खाते में डालना तथा राज्य विशिष्ट अनुदान को वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक की अवधि में

[15] *उधार निधियों की निवल उपलब्धता – इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन, ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।*

ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात के लक्ष्य को सम्मिलित करने हेतु एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में आवश्यक संशोधन/अधिनियम लाकर राज्यो को उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सरकार ऋण –जी.एस.डी.पी. अनुपात को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2006 जो 2010 में सुधारा गया के अनुसार 2012–13 में 44.60 तथा वर्ष 2013–14 में 43.00 की सीमा के भीतर रखने हेतु सक्षम था। वर्ष 2013–14 के दौरान बिहार सरकार ने ऋण सुदृढ़ीकरण तथा राहत सुविधा प्राप्त किया, भारत सरकार के एन.एस.एस.एफ. ऋण पर ब्याज पर राहत के लिए ₹ 12.60 करोड़ के रूप में दिये गये।

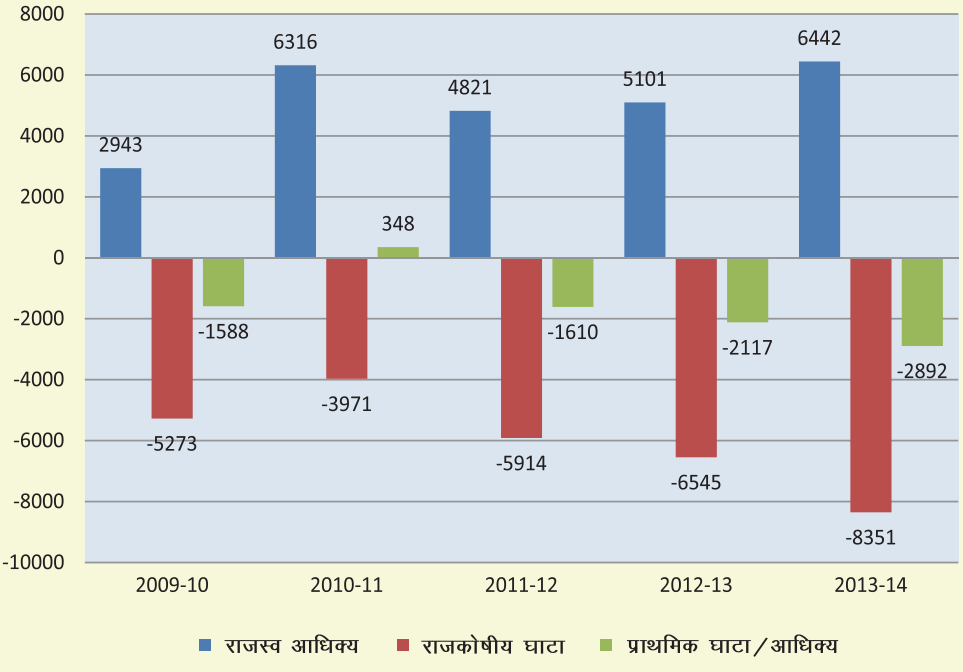
1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने–राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा–किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है । यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य को वर्ष 2009–10 से राजस्व अधिशेष प्राप्त था तथा इसके बाद भी राजस्व अधिशेष बना रहा। **चार्ट 1.12** से प्रकट होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 280 करोड़ तथा वर्ष 2013–14 में ₹ 1341 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 6442 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेप ₹ 6809 करोड़ से काफी कम था।

चार्ट 1.12: घाटे की प्रवृत्ति के सूचक
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.28: वर्ष 2009–14 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.018	0.031	0.020	0.017	0.019
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.032	(-) 0.020	(-) 0.024	(-) 0.022	(-) 0.024
प्राथमिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.010	0.002	(-) 0.007	(-) 0.007	(-) 0.008

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.12 एवं तालिका 1.28 में दर्शाया गया है कि वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1341 करोड़ बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2012–13 में ₹ 6545 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 8351 करोड़ हो गया। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.024), वर्ष 2013–14 हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः ₹ 2117 करोड़ का प्रारंभिक घाटा (2012–13) बढ़कर ₹ 2892 करोड़ हो गया (2013–14) ।

1.11.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्तपोषण प्रतिमान

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पोषण प्रतिमान में समग्र परिवर्त्तन हुए है जिसे **तालिका 1.29** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटा के घटक तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटा की संरचना		**(-)5273.01**	**(-) 3970.31**	**(-) 5914.90**	**(-) 6545.26**	**(-) 8351.92**
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	2942.66	6316.40	4820.68	5100.51	6441.42
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-)7332.09	(-) 9195.94	(-) 8852.01	(-) 9584.52	(-)14001.00
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)883.58	(-) 1090.77	(-) 1883.57	(-) 2061.25	(-) 792.34
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान*						
1	बाजार उधारी	2501.91	1707.78	2593.90	5763.88	5346.77
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 49.35	316.03	361.08	23.30	(-) 11.07
3	एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति	1472.52	1533.39	505.56	292.87	631.52
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	226.32	285.20	244.96	403.96	820.31
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 262.86	252.70	(-) 2.13	(-) 215.55	(-) 297.90
6	जमा एवं अग्रिम	(-) 134.15	50.94	932.91	2199.05	3668.40
7	उचंत तथा विविध	(-) 290.89	1830.68	1238.71	(-) 1936.34	(-) 2007.59
8	प्रेषण	(-) 54.82	79.96	(-) 36.82	19.51	(-)19.01
9	आरक्षित निधि	(-) 41.69	23.72	335.93	275.94	262.31
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	74.02	-	-
11	**संपूर्ण अधिशेष/घाटा**	**(-) 1906.02**	**6080.37**	**6248.12**	**6826.62**	**8393.74**
12	नकद शेष में वृद्धि/कमी #		(-) 2110.06	333.22	281.36	41.82
13	**सकल राजकोषीय घाटा**		**3970.31**	**5914.90**	**6545.26**	**8351.92**

**ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बर्हिगमन के निवल से विवरण*
नगद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.30: वर्ष 2013–14 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्तपोषण देने वाले प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारी	6500.00	1153.23	5346.77
2	भारत सरकार से ऋण	549.66	560.73	(-) 11.07
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूति	1386.49	754.97	631.52
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1470.94	650.63	820.31
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1072.30	1370.20	(-) 297.90
6	जमा एवं अग्रिम	18609.37	14940.97	3668.40
7	उचंत तथा विविध	122952.12	124959.71	(-) 2007.59
8	प्रेषण	12373.58	12392.59	(-)19.01
9	आरक्षित निधि	823.48	561.17	262.31
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन			-
11	**संपूर्ण अधिशेष (–) घाटा (+)**			**8393.74**
12	नकद शेष मे वृद्धि/कमी			41.82
13	**सकल राजकोषीय घाटा**			**8351.92**

(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2013–14)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता हैं, वह वर्ष 2012–13 में ₹ 6545.26 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 8351.93 करोड़ हो गया परंतु यह बजट प्राक्कलन (₹ 8769.45 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था। वर्ष 2012–13 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 68.29 प्रतिशत था परंतु यह वर्ष 2013–14 के दौरान घटकर 59.65 प्रतिशत हो गया। **तालिका 1.30** में देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत सरकार से ऋण एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति वित्तीय संस्था से ऋण, जमा एवं अग्रिम, उचंत तथा आरक्षित निधि में वृद्धि हुई परंतु बाजार उधारी तथा लघु बचत, भाविष्य निधि आदि में कमी आई।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व घाटा[16] में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते है। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात उस विस्तार को बताता है जो चालू उपयोग हेतु उधार ली गयी निधि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लागातार घट रहा था तथा उधारी का एक अंश (राजकोषीय देयता) के पास कोई परिसंपत्ति पूर्तिकर नहीं था। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (**तालिका 1.31**) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

[16] *प्रारंभिक राजस्व राज्य के घाटा गैर ब्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्रारंभिक व्यय को पूरा करने में समग्र है ।*

तालिका 1.31: प्रारंभिक घाटा/अधिशेष–कारकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति[17]	प्रारंभिक राजस्व व्यय[18]	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (–) अधिशेष (+)	प्रारंभिक घाटा (–) अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	35540	28899	7332	897	37128	6641	(-)1588
2010-11	44544	33897	9196	1103	44196	10647	(+)348
2011-12	51343	42195	8852	1906	52953	9148	(-)1610
2012-13	59592	50038	9585	2086	61709	9554	(-)2117
2013-14	68934	57018	14001	807	71826	11916	(-)2892

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2009–10 में ₹ 6641 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर ₹ 10647 करोड़ हो गया परंतु वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में घटकर क्रमशः ₹ 9148 करोड़ तथा ₹ 9554 करोड़ हो गया। तथापि, वर्ष 2013–14 में प्रारंभिक राजस्व अधिशेष एक बार फिर बढ़कर ₹ 11916 करोड़ हो गया। विवरण से प्रकट होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ, प्रारंभिक राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों के कुछ अंश का उपयोग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में हुआ। यद्यपि वर्ष 2010–11 में राज्य का प्रारंभिक अधिशेष ₹ 348 करोड़ था तथापि यह वर्ष 2013–14 में ₹ 2892 करोड़ के प्रारंभिक घाटे के रूप में परिणत हुआ।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2013–14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, भारत के 11.54 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के विरूद्ध 15.84 प्रतिशत था।

 सरकार को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास को बनाए रखना चाहिए।

- वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 6441.42 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 1806.00 करोड़ हो गया। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.88 प्रतिशत था, जो कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2012–13 के 2.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 2.4 प्रतिशत हो गया।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को निधि का हस्तांतरण

- वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को सीधे ₹ 9464.50 करोड़ हस्तांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में चौदह प्रतिशत ज्यादा था। मुख्य प्राप्तकर्ताओं में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) (₹ 4606.37 करोड़ अर्थात 49 प्रतिशत), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (₹ 2610.13 करोड़ अर्थात 28 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 725.72 करोड़ अर्थात 8 प्रतिशत)।

 भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को इस्तांतरित निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित लेखा और निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

[17] *राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है ।*

[18] *प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं ब्याज भुगतान में अंतर है ।*

संसाधन संग्रहण

- राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 68918.65 करोड़) में वर्ष 2013–14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 15.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट प्राक्लन से 11147.82 करोड़ कम था।

 सरकार को बजट दस्तावेज में प्रस्तुत प्राप्तियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

व्यय की गुणवता

- वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य की संचयी व्यय की प्रतिशतता के सापेक्ष में सामाजिक क्षेत्र में व्यय, सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत व्यय से कम था।

- वर्ष 2013–14 में पूँजीगत परिव्यय 2012–13 के ₹ 9585 करोड़ से बढ़कर ₹ 14001 करोड़ हो गया, जबकि चुनिंदा आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत परिव्यय कुल व्यय का वर्ष 2012–13 के 40.49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 48.29 प्रतिशत हो गया। तथापि इनमें कमी मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और परिवहन में देखा गया।

 सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुखता के साथ सामाजिक क्षेत्र व्यय को अधिक प्राथमिकता देना चाहिए ताकि ये सामान्य श्रेणी के राज्यों के बराबर हो सके।

- सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण के रूप में वृहद् राशि दी जाती है परन्तु वसूली नगण्य होने के कारण मार्च 2014 तक पुनर्भुगतान हेतु वृहद शेष ₹ 21379.36 करोड़ बकाया था।

 बकाया ऋण वसूली हेतु सरकार द्वारा उन संस्थाओं/संगठनों के विरूद्ध उचित कदम उठानी चाहिए जो सरकार द्वारा प्राप्त ऋण की मूल एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं करते है।

राजकोषीय देयता

- राज्य की राजकोषीय देयता 2009–10 के ₹ 58689.91 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में ₹ 1341 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जबकि राजकोषीय घाटा 2012–13 के ₹ 6545 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 8351 करोड़ हो गए। तथापि वर्ष 2013–14 में राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलु उत्पाद का अनुपात (0.024), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था। राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया है।

 राज्य द्वारा किसी भी देयता निर्वहन हेतु एक प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करना चाहिए।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 यह अध्याय विनियोग लेखा की लेखा परीक्षा पर आधारित है तथा विनियोग का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है साथ ही उस रीति को भी प्रकट करता है जिससे विनिहित स्त्रोतो का प्रबंधन सेवा प्रदाता विभाग द्वारा हुआ। इसके अतिरिक्त, बजटीय कार्यविधि तथा बजट पूर्वधारणा की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणी इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग की विनिर्दिष्ट अनुसूची में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है। ये लेखे, मूल अनुदान, पूरक अनुदानों, बचतों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते है तथा विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के साथ–साथ बिहार विनियोग अधिनियम, 2013 द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मदों को बताते है। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते हैं, वे वित्त लेखा के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखा की लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय बिहार विनियोग अधिनियम 2013 की प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है तथा संविधान के अनुरूप भारित है। लेखा परीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि, किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.1.3 बिहार बजट नियमावली 1963 के अनुसार विभिन्न विभागों से बजट अनुमान का आकलन प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग उत्तरदायी है। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आय एवं व्यय का विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर तैयार कर वांछित तिथियों को वित्त विभाग को समर्पित की जानी है । वित्त विभाग विस्तृत अनुमान संचित कर "अनुदानों की माँग" तैयार करता है। बजट तैयार करने में, जहाँ तक संभव हो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुँचना चाहिए। इस दुर्लभ कार्य, राजस्व प्राक्कलन एवं व्यय पूर्वानुमान, दोंनों में दूरदर्शिता अपेक्षित है। किसी प्राक्कलन में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही बजटीय अनियमितता है जितनी कि स्वीकृत व्यय में अधिकता। बजट प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट मद पर व्यय के आकलन में प्रदत्त राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय कर दी जाय। व्यय किये जाने वाले धन की बचत से उतनी ही वित्तीय अनियमितता होती है जितनी व्यय में अधिकता से। प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन वर्त्तमान कर, शूल्क, फीस आदि के दर पर आधारित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाये गये बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियाँ तथा बजट नियमावली के उल्लंघन की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों /विनियोजनों के विरूद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधान की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	व्यय	बचत (–) आधिक्य (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दत्तमत	I राजस्व	67310.15	10350.23	77660.38	57250.72	(-) 20409.66
	II पूँजीगत	14197.20	9856.87	24054.07	14381.53	(-) 9672.54
	III ऋण एवं अग्रिम	1394.38	303.74	1698.12	807.38	(-) 890.74
कुल दत्तमत		**82901.73**	**20510.84**	**103412.57**	**72439.63**	**(-) 30972.94**
भारित	IV *राजस्व*	*6334.68*	*151.05*	*6485.73*	*6114.21*	*(-) 371.52*
	V *पूँजीगत*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	VI *लोक ऋण पुनर्भुगतान*	*3238.72*	*15.90*	*3254.62*	*3119.56*	*(-) 135.06*
कुल भारित		***9573.40***	***166.95***	***9740.35***	***9233.77***	***(-) 506.58***
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)						
महायोग		**92475.13**	**20677.79**	**113152.92**	**81673.40**	**(-) 31479.52**

नोटः कुल व्यय में ₹ 887.71 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 380.53 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है।

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2013–14)

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 20677.79 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 22.36 प्रतिशत था। कुल बचत ₹ 31479.52 करोड़ की हुई जो कि ₹ 113152.92 करोड़ के कुल प्रावधान का 27.82 प्रतिशत था। ₹ 20781.18 करोड़ की बचत राजस्व भाग के अंतर्गत 46 अनुदान तथा आठ विनियोग में तथा पूँजीगत भाग के अंतर्गत 31 अनुदान (₹ 9672.54 करोड़) तथा एक विनियोग (₹ 135.06 करोड़) में और ₹ 890.74 करोड़ ऋण भाग के अंतर्गत सात अनुदानों में हुई।

मूल प्रावधान ₹ 92475.13 करोड़ के विरूद्ध ₹ 81673.40 करोड़ का व्यय हुआ। पूरक प्रावधान ₹ 20677.79 करोड़ कुल बचत ₹ 31479.52 करोड़ का 65.69 प्रतिशत था, जो स्पष्ट रूप से निधि के त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन पर नियंत्रण तंत्र की कमी को प्रदर्शित करता है। अनावश्यक पूरक प्रावधानों के मामलों की चर्चा **कंडिका 2.3.4** में की गयी है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों को बचत/आधिक्य की सूचना दी गयी थी (अगस्त, 2014) परन्तु आधिक्य/बचत संबंधी उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2014)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोजन तथा आवंटन प्राथमिकता

बिहार बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को संवितरण पदाधिकारी से प्राप्त बजट प्राक्कलन की जाँच करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि वे औपचारिक रूप से सही है। सभी विवरण एवं स्पष्टीकरण दिये गये है एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त है। यदि वे अपर्याप्त है तो प्रावधान बदलना चाहिए। पुनः, बिहार बजट नियमावली के नियम 78 के अंतर्गत वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राक्कलन की प्रतियों की जाँच की जानी चाहिए तथा यदि किसी बिन्दु पर जाँच की आवश्यकता हो, तो उसे तुरंत

कर लेनी चाहिए। प्रशासनिक विभाग को, जिन बिन्दुओं की जाँच होनी चाहिए, उन्हें पता लगाने के लिए वित्त विभाग की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी प्राप्ति पर तुरंत प्राक्कलन की जाँच शुरू कर देनी चाहिए।

प्रशासनिक विभाग द्वारा किये गये जाँच का उद्देश्य बजट प्राक्कलन तथा इनके पुनरीक्षण में अधिक अथवा अपर्याप्त प्रावधानो का पता लगाना हैं, जिसे वे वित्त विभाग से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उन्हे वास्तविक स्थिति का ज्यादा गहरा ज्ञान है। यह भी आवश्यक है कि वित्त विभाग द्वारा जारी बजट पर्चियों के उत्तर देने में विलंब न हो। इसकी प्राप्ति तभी संभव है जब वित्त विभाग द्वारा संदर्भित बिन्दुओं पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया हो एवं उनके द्वारा पूर्व में ही जाँच कर ली गयी हो। यह अत्यंत आवश्यक है कि साधारणतः बजट पर्ची का उत्तर इसकी प्राप्ति से एक सप्ताह में दे दिया जाए और किसी भी स्थिति में पर्ची को एक पखवारा से अधिक अनुत्तरित न रखा जाए।

विनियोजन लेखा परीक्षा के निष्कर्ष से प्रकट हुआ कि वर्ष 2013–14 के दौरान 32 मामलों में बचत प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था (***परिशिष्ट 2.1***) । बचत के 18 मामले थें, 17 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत प्रत्येक मामला ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक का था जो वर्ष 2013–14 के दौरान कुल प्रावधान (₹ 76772.07 करोड़) का ₹ 25143.52 करोड़ (32.75 प्रतिशत) था। वृहत्त् अव्ययित प्रावधान शिक्षा विभाग (₹ 4389.62 करोड़), पेंशन (₹ 4245.25 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 1853.56 करोड़) ऊर्जा विभाग (₹ 1670.51 करोड़), कृषि विभाग (₹ 1474.44 करोड़) तथा योजना एवं विकास विभाग (₹ 2237.02 करोड़) के क्षेत्र में थे जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 : ₹ 500 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	व्यय	बचत	बचत में से अर्भ्यपण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजस्व दत्तमत							
1	1–कृषि विभाग	2550.19	852.12	3402.31	1927.87	1474.44	1266.26
2	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	966.37	5.11	971.48	363.79	607.69	614.62
3	15–पेंशन	11263.67	2500.55	13764.22	9518.97	4245.25	2500.38
4	16–पंचायती राज विभाग	3317.04	757.09	4074.13	3003.35	1070.78	961.66
5	20–स्वास्थ्य विभाग	2785.09	8.64	2793.73	2170.49	623.24	591.50
6	21–शिक्षा विभाग	17977.78	682.22	18660.00	14270.38	4389.62	3902.60
7	22–गृह विभाग	4801.02	58.40	4859.42	4248.27	611.15	64.00
8	35–योजना एवं विकास विभाग	930.96	14.13	945.09	174.01	771.08	743.91
9	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	2114.91	422.49	2537.40	1717.44	819.96	858.46
10	50–लघु जल संसाधन विभाग	498.02	512.67	1010.69	342.55	668.14	665.91
11	51–समाज कल्याण विभाग	4133.31	1104.28	5237.59	3913.51	1324.08	1237.66
योग		**51338.36**	**6917.70**	**58256.06**	**41650.63**	**16605.43**	**13406.96**
पूँजीगत–दत्तमत							
12	3–भवन निर्माण विभाग	1057.54	555.40	1612.94	953.42	659.52	589.65
13	10–ऊर्जा विभाग	1850.83	2446.55	4297.38	2626.87	1670.51	1659.12
14	12–वित्त विभाग	24.00	1450.07	1474.07	10.97	1463.10	12.37
15	18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	578.50	0.00	578.50	0.00	578.50	578.50
16	35–योजना एवं विकास विभाग	974.91	1191.00	2165.91	699.97	1465.94	1399.98

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	व्यय	बचत	बचत में से अर्भ्यपण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	41–पथ निर्माण विभाग	4230.22	700.00	4930.22	4083.26	846.96	844.75
18	49–जल संसाधन विभाग	2500.35	956.64	3456.99	1603.43	1853.56	1683.66
योग		**11216.35**	**7299.66**	**18516.01**	**9977.92**	**8538.09**	**6768.03**
महायोग		**62554.71**	**14217.36**	**76772.07**	**51628.55**	**25143.52**	**20174.99**

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2013–14)

₹ 500 करोड़ से अधिक बचत वाले कुछ मामलों की समीक्षा निम्नवत हैः–

(i) अनुदान संख्या 21–"शिक्षा विभाग" (राजस्व–दत्तमत)

मूल प्रावधान ₹ 17977.78 करोड़ के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 14270.38 करोड़ था जिसके कारण ₹ 3707.40 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान पूरक अनुदान के जरिये निधि का प्रावधान (₹ 682.22 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के दौरान पूरी राशि अव्यवहृत रह गई तथा ₹ 4389.62 करोड़ के अंतिम बचत में से ₹ 3902.60 करोड़ अभ्यर्पित कर दिये गये।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गई है (अगस्त 2014)।

(ii) अनुदान संख्या 15–"पेंशन" (राजस्व दत्तमत)

इस अनुदान के अंतर्गत बचत (₹ 4245.25 करोड़) मुख्यतः 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ–01–सिविल–101–अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ता–0001–15/11/2000 से पूर्व पेंशनधारियों को भुगतान (₹ 653.77 करोड़), 0002–उत्तरवर्ती बिहार राज्य से अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भुगतान (₹ 170.72 करोड़), 102–पेंशन का सांराशीकृत मूल्य–0002–15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत हुए कर्मियों का रूपांतरित मूल्य का भुगतान (₹ 126.92 करोड़), 104–उपादान–0002–उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को भुगतान (₹ 323.89 करोड़), 115–छुट्टी नकदीकरण हितलाभ–0001–15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (₹ 86.51 करोड़), 0002–15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत/ मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (₹ 201.68 करोड़) इत्यादि के अन्तर्गत था। ₹ 2500.55 करोड़ का पूरक प्रावधान भी अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय की राशि (₹ 9518.97 करोड़), मूल प्रावधान (₹ 11263.67 करोड़) से कम था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गई है (अगस्त 2014)।

(iii) अनुदान संख्या 49–"जल संसाधन विभाग" (पूँजीगत–दत्तमत)

पूरक प्रावधान ₹ 956.64 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 1603.43 करोड़ का कुल व्यय मूल प्रावधान (₹ 2500.35 करोड़) से कम था। बचत ₹ 1853.56 करोड़ मुख्यतः शीर्ष, 4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–02–गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)–051–निर्माण–गंडक बेसिन कार्य की सिंचाई परियोजना (ए0आई0बी0पी0) (₹ 122.36 करोड़), 03–सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)–051–निर्माण–0102–सोन बेसिन कार्य की सिंचाई परियोजना (ए0आई0बी0पी0) (₹ 68.03 करोड़), 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101–सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (₹ 102.90 करोड़), एवं 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–051–निर्माण–0103–बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (कार्य) (ए0आई0बी0पी0) (₹ 119.24 करोड़) के अंतर्गत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2014) ।

(iv) अनुदान संख्या 01–"कृषि विभाग" (राजस्व दत्तमत)

मूल प्रावधान ₹ 2550.19 करोड़ के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 1927.87 करोड़ हो सका जिसके कारण ₹ 1474.44 करोड़ की बचत हुई। इस प्रकार पूरक अनुदान के जरिये निधि का प्रावधान (₹ 852.12 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के दौरान पूरी राशि अव्यवहृत रह गई।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2014)।

(v) अनुदान संख्या 35–"योजना एवं विकास विभाग" (पूँजीगत–दत्तमत)

पूरक प्रावधान का ₹ 1191.00 करोड़ अनावश्यक रह गया क्योंकि ₹ 699.97 करोड़ का कुल व्यय ₹ 974.91 करोड़ के मूल प्रावधान से कम था। ₹ 1465.94 करोड़ का बचत मुख्यतः शीर्ष, 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–051–निर्माण–0109–जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण (₹ 7.57 करोड़), 4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय–051–निर्माण–0102–कृषि विभाग का भवन (₹ 2.90 करोड़), 4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय– 101–पंचायती राज–0105–पंचायत सरकार भवनों का निर्माण–वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग) (₹ 5.70 करोड़), 102–सामुदायिक विकास–0101–अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (₹ 9.56 करोड़), 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं 0103–पंचायत सरकार भवनों का निर्माण–वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग) (₹ 41.58 करोड़), के अंतर्गत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2014) ।

2.3.2 सतत बचत

दस अनुदानों/विनियोजनों में प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक की सतत बचत हुई तथा यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल अनुदान का 11 से 76 प्रतिशत के बीच था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** में दर्शाया गया है।

2.3.3 पिछले वर्ष से संबंधित आधिक्य प्रावधान का अपेक्षित नियमितिकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार किसी राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदानों/विनियोजनों के आधिक्य को विधानमंडल द्वारा नियमित कराए। तथापि, पूर्व वर्षों (1977–78 से 2010–11) में ₹ 1366.95 करोड़ की आधिक्य व्यय राशि का नियमितिकरण होना बाकी था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। यथेष्ट अवधि तक आधिक्य व्यय का नियमितिकरण नहीं होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

2.3.4 पूरक प्रावधान का औचित्य

बिहार बजट नियमावली के नियम 117 में पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित है। इस नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग मानता है कि पूरक अनुदान आवश्यक है तो उसे पहले वित्त विभाग से परामर्श करना चाहिए, चाहे व्यय के किसी नये विशिष्ट मद को शामिल करना पड़े अथवा अप्रत्याशित कारणो से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करना पड़े।

वर्ष के दौरान 50 मामलों में (38 अनुदानों/विनियोजनों) प्राप्त कुल ₹ 13007.21 करोड़ का पूरक प्रावधान जिसके प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या आधिक्य शामिल था, अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियंत्री पदाधिकारी बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किये बगैर पूरक प्रावधानो की माँग नियंत्री पदाधिकारियों के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.3.5 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को, किसी विशिष्ट धनराशि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधि का हस्तांतरण जो विनियोजन के एक इकाई से दूसरी इकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करता है, के रूप में परिभाषित करता है।

विस्तृत विनियोजन लेखा तथा अनुदान लेखापरीक्षा पंजी के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 73 उपशीर्षों सहित 23 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत जो ₹ 1822.66 करोड़ की अतिरिक्त निधि पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदान की गयी थी वह अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि अंतिम बचत ₹ 473.51 करोड़ थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन के जरिये 16 मामलों में ₹ 290.69 करोड़ अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गयी जबकि ₹ 17.64 करोड़ का आधिक्य व्यय था जैसा कि **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01	2402-00-102-0112- भूमि संरक्षण कार्य (राज्य योजना)	58.10	14.52	41.56	2.17	0.15
2	19	2406-01-101-0001- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा	65.73	0.11	0.37	65.71	0.46
3		2406-01-800-0101- नहर तट फार्म	28.58	2.31	0.33	27.35	1.41
4		2406-01-800-0105- पथ तट फार्म (राज्य योजना)	39.61	1.40	3.62	35.90	1.32
5	21	2202-01-001-0103- शैक्षणिक विकास हेतु विशेषज्ञों की सेवा	1.67	0.25	1.41	0.77	0.76
6	22	2056-00-101-0001- केन्द्रीय कारा	64.74	0.52	7.01	57.30	0.10
7		2235-60-200-0011- मानवता के दृष्टिकोण से राहत	2.00	0.50	0.46	1.10	0.05
8	32	2011-02-101-0005- सदस्यगण	40.52	0.08	5.57	37.01	2.13
9	35	3454-02-205-0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना	51.42	1.49	35.61	14.93	0.61
10	36	2215-01-101-0006- सरकारी भवनों में जलापूर्ति का रख-रखाव	12.33	1.52	2.21	15.60	7.00
11	40	2029-00-104-0001- राजस्व प्रशासन पर व्यय	466.39	0.02	73.88	394.76	2.26
12	41	5054-03-337-0107- राष्ट्रीय सम विकास योजना	1074.33	265.00	594.33	215.62	0.62
13	43	2203-00-004-0101- बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना रिमोट सेंसिग केन्द्र/इन्दिरा गॉधी विज्ञान केन्द्र, प्लेनेटोरियम, पटना	28.20	0.12	22.11	6.12	0.15
14		2203-00-112-0001- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	22.61	0.85	2.30	19.51	0.06

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	47	2041-00-001-0001- राज्य परिवहन प्राधिकरण	6.28	0.75	1.39	4.64	0.50
16	49	2700-02-101-0002- अन्य रख-रखाव व्यय	24.12	1.25	3.47	19.47	0.06
योग			**1986.63**	**290.69**	**795.63**	**917.96**	**17.64**

(स्त्रोतः अनुदान पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2013–14)

अनुदान संख्या–19 के शीर्ष "2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी–01–वानिकी–800–अन्य व्यय– 0101–नहर तट फार्म" के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 2.31 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 1.41 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार अनुदान संख्या–36 के शीर्ष "2215–जलापूर्ति तथा स्वच्छता–01–जलापूर्ति–101–शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–0006–सरकारी भवनों में जलापूर्ति" के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 1.52 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 7 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करने के बावजूद भी निधि की निकासी द्वारा दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शित हुआ।

इसके अतिरिक्त, 56 मामलों में अनुपयोगित प्रावधान का समुचित आकलन नहीं हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1705.04 करोड़ की निकासी के बाद भी यह अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि इन अनुदानों के संगत विस्तृत शीर्षो के अंतर्गत ₹ 1312.26 करोड़ की बचत रह गयी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.6*** में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नियंत्री पदाधिकारी वास्तविक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे तथा उन्हे व्यय एवं पुनर्विनियोजन संबधी अद्यतन सूचना नहीं थी।

2.3.6 वृहत् अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली 1963 के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोजनो या उनके भाग की बचत की संभावना होने पर वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किये बिना वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है, जब तक कि इस बात का निश्चित पूर्वानुमान न कर लिया जाय कि दूसरी इकाई या इकाईयों के आधिक्य को पूरा करने के लिए वे जरूरी है। कोई भी बचत संभावित आधिक्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

एक सौ तेरह मामलों में ₹ 6790.32 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 4920.75 करोड़ (72.47 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.7*** में दर्शाया गया है। प्रत्येक इकाई के अंतर्गत अभ्यर्पण 51.22 से 99.90 प्रतिशत के बीच रहा (₹ पाँच करोड़ एवं प्रत्येक मामले में कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक)।

इसके अतिरिक्त 32 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 227 योजनाओं में शत प्रतिशत निधि (₹ 5867.24 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ (***परिशिष्ट 2.8***) जिससे लाभार्थी इन योजनाओं से होने वाले लाभों एवं सेवाओं से वंचित रहें।

2.3.7 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

दस मामलों में अविवेकपूर्ण अभ्यर्पित की गयी राशि (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो इन विभागों में कमी या अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाती है। बचत की राशि ₹ 2419.08 करोड़ के विरूद्व अभ्यर्पित राशि ₹ 2570.18 करोड़ थी, फलतः ₹ 151.10 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वास्तविक बचत (₹ एक करोड़ या अधिक) से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान /विनियोजन संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि (5–4)=6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व –दत्तमत					
1	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	971.48	607.69	614.62	6.93
2	11–पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1440.94	179.32	187.83	8.51
3	32–विधानमंडल	113.72	10.82	13.04	2.22
4	38–निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध विभाग	152.46	51.67	54.12	2.45
5	40–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	625.73	132.67	133.93	1.26
6	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	2537.40	819.96	858.46	38.50
योग		**5841.73**	**1802.13**	**1862.00**	**59.87**
	पूँजीगत–दत्तमत				
7	01–कृषि विभाग	100.00	92.44	95.27	2.83
8	22–गृह विभाग	547.71	27.13	71.97	44.84
9	37–ग्रामीण कार्य विभाग	2097.88	435.37	475.00	39.63
10	43–विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	90.88	62.01	65.94	3.93
योग		**2836.47**	**616.95**	**708.18**	**91.23**
महायोग		**8678.20**	**2419.08**	**2570.18**	**151.10**

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2013–14)

अस्तित्वहीन अधिशेष निधि का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

2.3.8 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना/विलंबित अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली 1963 के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोजनों या उसके भाग की बचत की संभावना होने पर वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है। वर्ष 2013–14 के अंत में बचत के 11 मामलों में ₹ 1034.68 करोड़ में से ₹ 926.78 करोड़ (89.57 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.9*** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त 80 मामलों में, जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक, ₹ 17311.50 करोड़ (कुल प्रावधान का 34.25 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतिम कार्य दिवस में किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.10*** में दर्शाया गया है।

इससे पता चलता है कि नियंत्री पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वहन में विफल रहें। इन निधियों का उपयोग न तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए जिनके लिए ये आवंटित की गयी थी न ही अन्य जरूरतमंद शीर्षो के उपयोग के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2.3.9 सघन व्यय

बिहार बजट नियमावली 1963 के नियम 113 के अनुसार धन को जल्दबाजी में अथवा बिना विचार किये सिर्फ इसलिए व्यय नहीं करना चाहिए कि धन उपलब्ध है अथवा अनुदान के व्यपगत होने का खतरा है। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में सघन व्यय वित्तीय नियमितता–भंग के रूप में माना जाता है। ग्यारह मुख्य शीर्षो के अंतर्गत मार्च 2014 के दौरान कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ जिसे ***परिशिष्ट 2.11*** में सूचीबद्ध किया गया है। इन मामलों में, 11 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 992.39 करोड़, कुल व्यय ₹ 1407.32 करोड़ का (70.52 प्रतिशत) मार्च 2014 में व्यय हुआ। इस प्रकार, वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2.4 विशेष रूप से सहायता अनुदान से व्यय की त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस) 2–"लेखाकरण एवं सहायता अनुदान का वर्गीकरण" के अनुसार, अनुदाता द्वारा अनुदानग्राही को संवितरित सहायता अनुदान को उद्देश्य के निरपेक्ष अनुदाता की वित्तीय विवरणी में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित की जाएगी, जिसके लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर निधि सहायता अनुदान के रूप में संवितरित की जाती है उसे सरकार की वित्तीय विवरणी में लेखा के पूँजीगत शीर्ष के नामे लिखना है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार सरकार के लेखा के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 7.50 करोड़ का सहायता अनुदान जिसे आई जी ए एस–2 प्रतिमान के अनुसार राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी, उसे पूँजीगत व्यय माना गया। इसमें ₹ एक करोड़ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना से संबंधित और ₹ 6.50 करोड़, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक भवन एवं कार्यशाला के निर्माण से संबंधित था।

2.5 असमाशोधित व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली 475 (viii) के अनुसार विभाग के प्रधान के लेखा में दर्शाये गए आँकड़े और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के खाते में दर्शाये गए आँकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार उत्तरदायी होंगे जब तक कि इसके विपरित कोई विशेष आदेश या नियम न हो। पुनः बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के अनुसार, महालेखाकार के पुस्त से विभागीय लेखाओ के मिलान हेतु विभागाध्यक्षों को अपने कर्मचारियों कों प्रोत्साहित करना चाहिए।

यद्यपि, विभागीय आँकड़ों का समाशोधन नहीं किये जाने के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किया जाता रहा है, तथापि वर्ष 2013–14 के दौरान 71 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत विभागाध्यक्षों ने ₹ 59020.53 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.12*** में दर्शाया गया है। जिसमें में से ₹ 44416.05 करोड़ (75.26 प्रतिशत) 10 मुख्य शीर्षो से संबंधित है जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2013–14 के दौरान व्यय का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2049–ब्याज अदायगियां	4815.90	4565.04
2	2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	9463.50	9119.35
3	2202–सामान्य शिक्षा	14205.21	14100.27
4	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1752.69	1461.32
5	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2073.60	1843.83
6	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2697.84	2231.65
7	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3559.01	3517.27
8	2801–बिजली	3182.05	2297.23
9	3054–पथ तथा सेतु	1375.10	1196.84
10	5054–पथों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4083.25	4083.25
योग		**47208.15**	**44416.05**

(स्त्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा उपलब्ध सूचना)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि यदि सरकार ने व्यय के समाशोधन का मुद्दा केवल दस विभागों से ही किया होता तो कुल असमाशोधित व्यय के 75.26 प्रतिशत का समाशोधन हो गया होता।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (2012 में संशोधित) के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि का सृजन की गयी। सिर्फ अपूर्वानुमानित प्रकृति के व्यय, जिसे विधानमंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए निधि से अग्रिम दिया जा सकता है। यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है। 01 अप्रैल 2013 के आरंभिक वर्ष को शेष ₹ 350 करोड़ था। चालू वित्तीय वर्ष में कैबिनेट द्वारा सहायता और पुनर्वास के लिए आकस्मिकता निधि काय को अस्थाई तौर पर ₹ 1450 करोड़ से बढ़ा दिया गया (दिसंबर 2013)। यद्यपि, वित्तीय वर्ष के अंत में अंत शेष ₹ 350 करोड़ था।

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 1141.58 करोड़ के 93 आहरण हुए जिसमें आकस्मिकता निधि के कुल निकासी का ₹ 689.79 करोड़ (60.42 प्रतिशत) के 51 आहरण (***परिशिष्ट 2.13***) नित्य व्यय हेतु थे जैसे किसानों का बोनस, छात्रवृति का भुगतान, किसानों को डीजल, जनगणना, गाड़ियों का क्रय, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्तों का भुगतान, यात्रा विपत्रों, चिकित्सा विपत्रों, विद्युत विपत्रों, न्यायिक आयोग की स्थापना, भूमि अधिग्रहण, ऋण के पूनर्भुगतान और सूद के भूगतान इत्यादि। चूँकि इन मदों में व्यय का पूर्वानुमान किया जा सकता था, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी अनियमित एवं गलत था।

2.7 बजटीय प्रावधान की व्यपगत होने से बचने के लिए निधि का आहरण

बिहार कोषागार संहिता, 2011 (बी0टी0सी0, 2011) के नियम 176 के अनुसार उपगत सभी व्यय की निकासी तुरंत करके उनका भुगतान अवश्य कर देना चाहिए और जब तक तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो, कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। बी0टी0सी0, 2011 के नियम 177 के अनुसार माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों का व्यपगत हो जाने से बचाने के लिए कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन अग्रिम राशि की निकासी की जाती है, तो इस प्रकार निकासी की गयी राशि में से खर्च नहीं की गई राशि को अगले विपत्र में या चालान के साथ अल्पकालिक निकासी (शॉर्ट ड्रावल) द्वारा कोषागार में

शीघ्रताशीघ्र वापस कर देना चाहिए और किसी भी तरह जिस वित्तीय वर्ष में उस राशि की निकासी हुई हो, उसके अंत के पहले ही कर देना चाहिए। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर निकासी की गई राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और खर्च नहीं हुई राशि वर्ष के 31 मार्च के पहले कोषागार में भेज दी जाएगी।

यद्यपि यह देखा गया कि वर्ष 2002–03 से 2012–13 की अवधि में बजटीय प्रावधान को व्यपगत हो जाने से बचाने के लिए 71 मामलों में ए0सी0 विपत्रों पर ₹ 698.13 करोड की निकासी की गई परन्तु ₹ 264.49 करोड़ की राशि को दो माह से आठ वर्ष तक अनावश्यक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (***परिशिष्ट 2.14***)।

वर्ष 2002–03 से 2012–13 की अवधि के दौरान 24 मामलों में ए0सी0 विपत्रों पर निकासी की गई पूर्ण राशि ₹ 63.23 करोड़ को छः माह से आठ वर्ष तक की अवधि में प्रेषित किया गया (***परिशिष्ट 2.15***)।

मामलों की सूचना विभाग को दी गई थी (जून 2014 से जुलाई 2014); उनका जवाब प्रतीक्षित है (सितम्बर 2014)।

2.8 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

मार्च 2014 तक में राज्य में कुल 65 कोषागार है। महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना ने वर्ष 2013–14 के दौरान 32 कोषागारों का निरीक्षण किया। कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताएँ एवं त्रुटियाँ उत्तरवर्ती कंडिकाओं में निर्दिष्ट की गयी है:

2.8.1 भुगतान के पक्ष में वाउचरों को समर्पित नहीं किया जाना

बी0टी0सी0 2011 के नियम 26 उल्लेख करता है कि भुगतान सूची और नकद लेखा से संबंधित वाउचरों, चालानों तथा अनुसूचियों को अलग अलग मासिक श्रृखंला में लगातार क्रम से संख्याकित किया जायेगा और प्रेषित किये जाने तक तालाबंद रखा जायेगा। भेजने से पूर्व कोषागार पदाधिकारी निरीक्षण कर अपना समाधान कर लेंगे कि सभी अपेक्षित वाउचर संलग्न कर दिये गए हैं। माह के दौरान वह समय समय पर देख लेंगे कि सभी वाउचर मौजूद हैं तथा उचित क्रम में हैं। कोषागार से मासिक लेखा प्राप्त होने पर भुगतान के पक्ष में संलग्न नहीं रहने वाले वाउचर का विवरण महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा संबंधित कोषागार को सूचित किया जाता है कि ताकि इसे ससमय समेकन हेतु महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को प्रेषित किया जा सके।

वर्ष 2013–14 में 65 कोषागारों से 9579 मदों के ₹ 488.77 करोड़ के वाउचर प्राप्त नहीं हुए जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में दर्शाया गया है, जिसमें से ₹ 183.16 करोड़ के 1360 वाउचर चार कोषागारों (सिंचाई भवन पटना, विकास भवन पटना, मुजफ्फरपुर तथा पटना कोषागारों) से संबंधित थे।

इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2014), विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा बताया गया कि सभी कोषागार पदाधिकारियों से भुगतान के पक्ष में वाउचर समर्पित नहीं किये जाने का स्पष्टीकरण माँगा गया है (सितंबर 2014)।

2.8.2 आधिक्य/कम पेंशन का भुगतान

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में कोषागार के निरीक्षण के दौरान राशि ₹ 13.02 लाख तथा ₹ 0.27 लाख का क्रमशः आधिक्य एवं कम पेंशन भुगतान पाया गया जो पेंशन का त्रुटिपूर्ण गणना, सारांशीकृत मूल्य के घटे पेंशन का बिलंब से आरंभ, निर्दिष्ट तिथि के आगे पारिवारिक पेंशन का बढें दरों पर भुगतान, पेंशन के सांराशीकृत मूल्य का समायोजन न होना/विनियमन नही होना, समेकित पेंशन पर मँहगाई राहत के असंशोधित दर पर भुगतान एवं अन्य विविध कारणों से है, जो कि ***परिशिष्ट 2.17*** एवं ***परिशिष्ट 2.18*** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2014), विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि आधिक्य/कम पेंशन का भुगतान की सूची संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को इस निदेश के साथ अग्रसारित किया गया है कि पेंशन भुगतानों का सुधार कर लिया जाए।

2.8.3 रिक्त पदो के लिए निधि का प्रावधान

बिहार बजट नियमावली के नियम 57 के अनुसार निधियों की आवश्यकता से अधिक प्राक्कलन की प्रवृति से बचना चाहिए। साधारणतः किसी योजना हेतु प्रावधान जिसे सविस्तार प्रतिपादित नहीं किया गया हो तथा जिसकी संस्वीकृति नहीं हो गई हो उसे नहीं करना चाहिए।

वर्ष 2013–14 के दौरान वित्त विभाग द्वारा संधारित बचत के अभ्यर्पणों के प्रतिवेदन की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2013–14 के दौरान रिक्त पदो के लिए पाँच विभागों के अंतर्गत 15 शीर्षो के संबंध में ₹ 196.06 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसका ब्यौरा ***परिशिष्ट 2.19*** में वर्णित है। इससे निधि की वास्तविक आवश्यकता हेतु अनुश्रवण की कमी प्रदर्शित हुयी।

सचिव (व्यय), वित्त विभाग को मामला संदर्भित किया गया (जुलाई 2014); उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2014)।

2.8.4 मासिक कोषागार लेखाओं का बिलंब से समर्पण

बी0टी0सी0 के नियम 25 के अनुसार महालेखाकार और अन्य प्राधिकारों को विभिन्न विहीत तिथियों को भेजी जाने वाले कोषागार लेखे और विवरणियों की संपूर्ण सूची प्रत्येक कोषागार में रखी जायेगी। कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रेषित किए जाने वाले लेखों एवं विवरणी की सूची आगामी माह के दूसरे तारीख तक भेजी जानी है और मार्च माह के लेखा के संबंध में इसे महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के समक्ष लेखा के समेकन हेतु प्रत्येक वर्ष के 10 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी है ताकि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के स्तर पर लेखा की सही स्थिति पहुँच सके।

वर्ष के दौरान कोषागारों से लेखा सात दिनों से अठाईस दिनों के बिलंब से महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा प्राप्त किए गये। प्रारंभिक लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब होने के कारण महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा मासिक सिविल लेखा के समेकन में परिणामतः विलंब एवं विघटन हुआ। सात दिनों से अधिक विलंब से प्रस्तुत लेखाओं की सूची ***परिशिष्ट 2.20*** में विस्तार से वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2014), विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा बताया गया कि सभी कोषागार पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि मासिक कोषागार लेखा को विलंब से समर्पित किए जाने का अनुपालन समर्पित करें।

2.8.5 पेंशन सारांशीकरण मूल्य (सी0वी0पी0) के अंतर्गत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2013–14 में कोषागार के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषागार पदाधिकारी द्वारा ₹ 0.55 करोड़ की राशि पेंशनभोगी लेखा शीर्ष के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकृत किया गया था जैसा कि ***तालिका 2.6*** और ***परिशिष्ट 2.21*** मे विस्तार से वर्णित है।

तालिका 2.6: पेंशन भोगी लेखा शीर्ष के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

कम सं0	कोषागार का नाम	व्यय की प्रकृति	उचित लेखा शीर्ष	लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत राशि, त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विकास भवन पटना	सी0वी0पी0	2071-01-102-0001	2071-01-102-0002	0.34
2	सिंचाई भवन	सी0वी0पी0	2071-01-102-0001	2071-01-102-0002	0.20
3	सारण	सी0वी0पी0	2071-01-101-0001	2071-01-101-0002	0.01
योग					**0.55**

(स्त्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 के आँकड़े)

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2014) विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए सभी कोषागार पदाधिकारी को निर्देशित किया कि (सितम्बर 2014)उचित लेखा शीर्ष में सी0वी0पी0 दर्ज करें।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2013–14 के दौरान बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या – 2 "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" तथा अनुदान संख्या–18 "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त 2014)। समीक्षा के परिणाम निम्नवत हैः

2.9 अनुदान संख्या–2 "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" की समीक्षा

पशुधन के उत्पादन, संरक्षण, बिमारियों से सुरक्षा, सुधार और डेयरी विकास के प्रति विभाग जिम्मेवार है। यह समुद्री एवं अन्तर्देशीय मत्स्य एवं मत्स्य पालन से संबंधित सभी मामलों का भी देखरेख करता है।

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2013–14 के दौरान बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के आधार पर अनुदान संख्या– 02 ''पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग'' के संबंध में की गयी (अगस्त 2014)।

तालिका 2.7: वर्ष 2013–14 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (2+3)	कुल व्यय	बचत	प्रतिशतता में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	966.37	5.11	971.48	363.79	607.69	63
पूँजीगत दत्तमत	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	100
योग	**973.37**	**5.11**	**978.48**	**363.79**	**614.69**	**63**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2013–14)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत हैं:

2.9.1 वृहत् बचत

राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 971.48 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 363.79 करोड़ का व्यय हुआ (37 प्रतिशत) तथा पूँजीगत दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7.00 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध कोई भी राशि व्यय नहीं की गई जिसके कारण पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत शत प्रतिशत बचत हुआ जो राज्य पशुपालन प्रशिक्षण काम्पलेक्स के निर्माण के लिए था। ₹ 363.79 करोड़ का समग्र व्यय वर्ष 2013–14 के कुल प्रावधान

₹ 978.48 करोड़ का केवल 37 प्रतिशत था जिसके कारण ₹ 614.69 करोड़ (63 प्रतिशत) की वृहत बचत हुई जिसका विवरण ***तालिका 2.7*** मे दिया गया है।

उप सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने वृहत बचत के कारण का श्रेय योजना की स्वीकृति नहीं मिलने, वित्त विभाग द्वारा माह फरवरी 2014 में कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, वाहन एवं दूरभाष मदों में निकासी पर प्रतिबन्ध पर दिया (अक्टूबर 2014)।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि यह विभाग द्वारा प्रावधान हेतु उचित प्राक्कलन में कमी को दर्शाता है।

2.9.2 अनावश्यक पूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली का नियम 117, पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस नियम के अनुसार जब प्रशासनिक विभाग किसी पूरक अनुदान को आवश्यक मानता है, चाहे वह व्यय के नये विशिष्ट मद को पूरा करने के लिए हो अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए, इसे पहले वित्त विभाग से संपर्क करना चाहिए।

अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 5.04 करोड़ की राशि का प्रावधान तृतीय पूरक प्रावधान के जरिये दो मुख्य शीर्ष 2404 तथा 2405 के अंतर्गत किया गया जबकि ₹ 42.02 करोड़ के कुल मूल प्रावधान के विरूद्ध सिर्फ ₹ 36.76 करोड़ ही व्यय किए गये जैसा कि **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 2.8 अनावश्यक पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2404 – डेरी विकास –00–191–समितियों और अन्य निकायों की सहायता – 0102–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	25.00	4.70	29.70	23.35
2	2405–मत्स्य –00–001–निदेशन तथा प्रशासन – 0001– मत्स्य विकास योजना	17.02	0.34	17.36	13.41
योग		**42.02**	**5.04**	**47.06**	**36.76**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा 2013–14 एवं विभागीय आँकड़ें)

वर्ष के दौरान दो मुख्य शीर्षों में प्राप्त कुल ₹ 5.04 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आया । फिर भी निधि को व्यय की प्रत्याशा के आधार पर पूरक प्रावधान के जरियें बढ़ाया गया था।

उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) की योजना एवं विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत योजना उदव्यय संशोधित किया गया था।

यह राज्य सरकार के दोनो विभागों के बीच समन्वय की कमी दर्शाता है।

2.9.3 निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को एक विशेष धन राशि का सक्षम पदाधिकरी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से अन्य के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है।

नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि विस्तृत शीर्ष ''2404–00–001–0001'' तथा ''2405–00–001–0102'' के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदत्त ₹ 2.52 करोड़ की अतिरिक्त निधि अनावश्यक सिद्ध हुई जैसा कि **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2404–डेरी विकास –00–001 – निदेशन तथा प्रशासन – 0001– मुख्यालय स्थापना	2.65	0.02	2.67	2.33
2	2405– मत्स्य–00–001 – निदेशन तथा प्रशासन – 0102–मत्स्य प्रसार	4.00	2.50	6.50	2.09
योग		**6.65**	**2.52**	**9.17**	**4.42**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा वर्ष 2013–14 एवं विभागीय आँकड़े)

उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि निधि की जरूरत के आधार पर निधि को पुनर्विनियोजन के जरिये बढ़ाया गया लेकिन उस शीर्ष में प्रावधान की कमी के कारण बढ़ायी गई निधि खर्च नहीं की जा सकी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना की रूपरेखा का उचित आकलन नहीं किया गया था।

2.9.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार खर्च करने वाले विभागों को बचत प्रत्याशित होने पर वर्ष के अंत की प्रतीक्षा किये बिना अनुदान/विनियोजन अथवा इसके अंश को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए जब तक कुछ इकाई अथवा इकाईयों के अंतर्गत आधिक्य को पूरा करना आवश्यक न हो जो कि निश्चित रूप से उस समय प्रत्याशित होता है। भविष्य के संभावित आधिक्य व्यय की प्रत्याशा में बचत संचित नहीं किया जाना चाहिए।

जैसा कि ***परिशिष्ट 2.22*** में दर्शाया गया है कि ₹ 621.63 करोड़ (68 मामलों में) के कुल अभ्यर्पण में ₹ 616.85 करोड़ (99 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतिम दिन (65 मामले) में अभ्यर्पित किये गये। इनमें से, 11 मामलों में ₹ 499.93 करोड़(कुल अभ्यर्पित राशि का 81 प्रतिशत) जो कि औषधालय एवं अन्य स्थापना मद, शीतकरण केन्द्र, बैकयार्ड बकरी पालन, फ्रोजेन सीमेन बैंक, तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार आदि से संबंधित था।

उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने (अक्टूबर 2014) बताया कि राशि का अभ्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग से योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुआ।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह विभाग और योजना एवं विकास विभाग के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है ।

2.9.5 निधि के अनुपयोग के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2013–14 के दौरान मूल प्रावधान, पूरक प्रावधान एवं अभ्यर्पण संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पाँच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 24 उपशीर्षों का ₹ 217.90 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे पूर्णतः अभ्यर्पित किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.23*** में दर्शाया गया है।

चार योजनाओं जिसके संदर्भ में ₹ 167.42 करोड़ (कुल अभ्यर्पित राशि का 77 प्रतिशत) अभ्यर्पित किए गये फ्रोजेन सीमेन बैंक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बैकयार्ड बकरी पालन, बिहार पशु विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हैं ।

उप सचिव, पशु एवं मत्स्य सं ाधन विभाग द्वारा शत प्रतिशत अभ्यर्पण का श्रेय योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती एवं योजना की स्वीकृति नहीं होने को दिया गया।

2.9.6 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) निर्दिष्ट करता है कि विभागाध्यक्ष, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त के ऑकड़े तथा उनके संबंधित लेखा में दिये गये आँकड़े के समाशोधन हेतु जिम्मेवार होंगें, जब तक किसी मामले में इसके विपरीत कोई नियम अथवा आदेश न हो। इसके अतिरिक्त, बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागों को यह सुनिश्चित करना है कि मूल प्रावधान, पूरक प्रावधान, पुनर्विनियोजन, व्यय, अभ्यर्पण एवं बचत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद आँकड़ें महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय द्वारा तैयार की गयी विस्तृत विनियोग लेखा से समाशोधित है। इस प्रक्रिया को समय सीमा में करने हेतु वर्ष 2013–14 से संबंधित आँकड़ों के समाशोधन की अंतिम तिथि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार द्वारा 25 जून 2014 निर्धारित की गयी थी तथापि, विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया फलस्वरूप छह मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 10.78 करोड़ के व्यय के आँकड़ों में अंतर आ गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.24*** में दर्शाया गया है।

उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2014) कि विभागीय आँकड़ों का समाशोधन महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त के आँकड़ों के साथ कर लिया गया था ।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 10.78 करोड़ का समाशोधन अभी भी शेष है ।

2.10 अनुदान संख्या–18 "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" की समीक्षा

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार का मुख्य कार्य गरीब व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण, किसानों को अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना, पेट्रोल एवं डीजल के मिलावट पर नियंत्रण एवं उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनका कल्याण करना है । इस अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में चार मुख्य शीर्ष 2408, 3451, 3456 एवं 6408 संचालित हो रहे थे ।

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण से संबंधित समीक्षा वर्ष 2013–14 के दौरान बचत, आधिक्य एवं माँग के विस्तार तथा पूरक मांग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या–18 "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त 2014) ।

तालिका 2.10: वर्ष 2013–14 के लिये सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (2+3)	व्यय	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता के रूप में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	847.96	262.65	1110.61	651.53	459.08	41.34
पूँजीगत दत्तमत	578.50	0.00	578.50	0.00	578.50	100.00
योग	**1426.46**	**262.65**	**1689.11**	**651.53**	**1037.58**	**61.43**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2013–14)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत है :

2.10.1 वृहत् बचत

कुल प्रावधान ₹ 1689.11 करोड़ (मूल ₹ 1426.46 करोड़ एवं पूरक ₹ 262.65 करोड़) के विरूद्ध ₹ 651.53 करोड़ का व्यय हुआ जिससे वर्ष 2013–14 में ₹ 1037.58 करोड़ (कुल प्रावधान का 61.43 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है ।

मूल तथा पूरक प्रावधान एवं व्यय की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1110.61 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 651.53 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण ₹ 459.08 करोड़ (41.34 प्रतिशत) की बचत हुई तथा पूँजीगत दत्तमत शीर्ष के अंर्तगत ₹ 578.50 करोड के कुल प्रावधान के विरूद्ध कोई भी राशि का व्यय नहीं हुआ जिसके कारण ₹ 578.50 करोड़ (100 प्रतिशत) की बचत हुई, जो कि खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह हेतु ऋण के लिये था । शत प्रतिशत राशि के अभ्यर्पण का मुख्य कारण खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्माण कार्य को अपने उपलब्ध संसाधन से कराया जाना था । इससे पता चलता है कि विभाग द्वारा योजना के विरूद्ध प्रावधान का अनुचित प्राक्कलन किया गया ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (सितम्बर 2014) एवं अनुस्मारक दिनांक 15 अक्टूबर 2014 को निर्गत किया गया, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2014) ।

2.10.2 अनावश्यक पूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली का नियम 117, पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है । इस नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग किसी पूरक अनुदान को आवश्यक मानता है, चाहे वह व्यय के नये विशिष्ट मद को पूरा करने के लिये हो अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिये, इसे पहले वित विभाग से संपर्क करना चाहिये ।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 1.15 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पूरक प्रावधान के जरिये मुख्य शीर्ष 3451 तथा 3456 के अंर्तगत किया गया जबकि ₹ 100.22 करोड़ के कुल मूल प्रावधान के विरूद्ध सिर्फ ₹ 43.50 करोड़ ही व्यय किये गये जैसा कि ***तालिका 2.11*** में दर्शाया गया है ।

तालिका 2.11: अनावश्यक पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	प्रथम पूरक	द्वितीय पूरक	तृतीय पूरक	कुल पूरक (3+4+5)	कुल प्रावधान (2+6)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएं–00–090–सचिवालय–0011–खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग	6.38	0.00	0.00	0.02	0.02	6.40	5.00
3456–सिविल पूर्ति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–0001–मुख्यालय प्रभारों	79.00	0.00	1.05	0.00	1.05	80.05	28.88
3456–सिविल पूर्ति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–0003–जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	14.84	0.06	0.02	0.00	0.08	14.92	9.62
योग	**100.22**	**0.06**	**1.07**	**0.02**	**1.15**	**101.37**	**43.50**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, वर्ष 2013–14, बिहार सरकार एवं विभागीय आँकड़े)

वर्ष के दौरान दो मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत तीन उपशीर्षों में प्राप्त कुल ₹ 1.15 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (सितम्बर 2014) एवं अनुस्मारक दिनांक 15 अक्टूबर 2014 को निर्गत किया गया, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2014) ।

2.10.3 निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को एक विशेष धन राशि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा विनियोग की एक इकाई से अन्य के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है ।

एक मुख्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत दो उपशीर्षों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पुनर्विनियोजन के जरिये बढायी गयी ₹ 18.67 करोड़ की अतिरिक्त निधियाँ अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि ₹ 47.16 करोड़ का कुल (मूल+पूरक) प्रावधान ₹ 43.63 करोड़ के व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त था जैसा कि **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है ।

तालिका 2.12: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	पुनर्विनियोजन की तिथि	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3456–सिविल पूर्ति–00–102–सिविल पूर्ति योजना–0004–पी0डी0एस0 सिस्टम का कम्प्यूटरीकरण	5.84	2.00	04 मार्च 2014	7.84	1.73
3456–सिविल पूर्ति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–0002–जिला प्रभार	41.32	3.50	31 जनवरी 2014	57.99	41.90
		12.00	04 मार्च 2014		
		1.17	25 मार्च 2014		
कुल	**47.16**	**18.67**		**65.83**	**43.63**

(स्रोतः अनुदान लेखापरीक्षा पंजी, वर्ष 2013–14, बिहार सरकार एवं विभागीय आँकड़े)

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (सितम्बर 2014) एवं अनुस्मारक दिनांक 15 अक्टूबर 2014 को निर्गत किया गया, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2014) ।

2.10.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार खर्च करने वाले विभागों को बचत प्रत्याशित होने पर वर्ष के अन्त की प्रतीक्षा किये बिना अनुदान/विनियोजन अथवा इसके अंश को वित विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये जब तक कुछ इकाई अथवा इकाईयों के अंतर्गत आधिक्य को पूरा करना आवश्यक न हो जो कि निश्चित रूप से उस समय प्रत्याशित होता है । बचत को भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु सुरक्षित नहीं रखना चाहिए।

जैसा कि ***परिशिष्ट 2.25*** में दर्शाया गया है, ₹ 1028.29 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 778.29 करोड़ (75.69 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतिम दिवस (13 मामले) में अभ्यर्पित किये गये ।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को ₹ 778.29 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से तीन मामलों की राशि ₹ 697.03 करोड़ (89.56 प्रतिशत) बी0पी0एल0 परिवारों को अन्न प्रदान किये जाने और खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ऋण से संबंधित था ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (सितम्बर 2014) एवं अनुस्मारक दिनांक 15 अक्टूबर 2014 को निर्गत किया गया, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2014) ।

2.10.5 निधि के अनुपयोग के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2013–14 के दौरान अनुदान के मूल प्रावधान, पूरक प्रावधान एवं अभ्यर्पण राशि से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मुख्य शीर्ष 3456 के अंतर्गत पाँच उपशीर्षों का एवं मुख्य शीर्ष 6408 के अन्तर्गत एक उपशीर्ष का ₹ 778.25 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे पूर्णतः अभ्यर्पित किया गया जैसा कि ***तालिका 2.13*** में दर्शाया गया है ।

तालिका 2.13: शत प्रतिशत अनुपयोगित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	3456–सिविल पूर्ति–00–102–सिविल पूर्ति योजना (राज्य योजना)–0102–बी0पी0एल0 परिवारों को राज्य की अधिप्राप्ति व्यवस्था से खाद्यान्न की आपूर्ति	175.00	0.00	175.00	175.00
2	3456–सिविल पूर्ति–00–191–नगर निगम को सहायता (राज्य योजना)–0101–निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.50	0.00	0.50	0.50
3	3456–सिविल पूर्ति–00–192–नगरपालिकाओं/नगर परिषद को सहायता (राज्य योजना)–0101– निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	7.00	0.00	7.00	7.00
4	3456–सिविल पूर्ति–00–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र के समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (राज्य योजना)–0101– निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	7.25	0.00	7.25	7.25
5	3456–सिविल पूर्ति–00–198–ग्राम पंचायतों को सहायता (राज्य योजना)–0101– निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	10.00	0.00	10.00	10.00
6	6408–खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह के लिये कर्ज–01–खाद्य–101–अधिप्राप्ति तथा पूर्ति (राज्य योजना)–0101–खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ऋण	578.50	0.00	578.50	578.50
योग		**778.25**	**0.00**	**778.25**	**778.25**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2013–14)

शत प्रतिशत अभ्यर्पित राशि में से दो मामले (क्रम संख्या 1 एवं क्रम संख्या 6) की राशि ₹ 753.50 करोड़ (97 प्रतिशत) बी0पी0एल0 परिवारों को अन्न प्रदान करने और खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिये ऋण योजना से संबंधित था । ₹ 175.00 करोड़ के अभ्यर्पण का कारण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में उल्लेखित नहीं था एवं ₹ 578.50 करोड़ के अभ्यर्पण के संबंध में विभाग के अनुसार, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्माण कार्य अपने उपलब्ध संसाधनों से कराया गया था ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (सितम्बर 2014) एवं अनुस्मारक दिनांक 15 अक्टूबर 2014 को निर्गत किया गया, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2014) ।

2.10.6 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) निर्दिष्ट करता है कि विभागाध्यक्ष, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त के आँकड़ें तथा उनके संबंधित लेखा में दिये गये आँकड़ें के समाशोधन हेतु जिम्मेवार होंगे, जब तक किसी मामले में इसके विपरित कोई नियम अथवा आदेश न हो। इसके अतिरिक्त, बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के

प्रावधानों के अंतर्गत विभागों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रावधान, पूरक प्रावधान, पुनर्विनियोजन, व्यय, अभ्यर्पण एवं बचत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद आँकड़ें महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय द्वारा तैयार की गयी विस्तृत विनियोग लेखा से समाशोधित है। इस प्रकिया को तय समय सीमा में करने हेतु वर्ष 2013–14 से संबंधित आँकडों के समाशोधन की अंतिम तिथि, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार के कार्यालय द्वारा 25 जून 2014 निर्धारित की गयी थी । तथापि, विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप मुख्य शीर्ष 3451 के अन्तर्गत एक उपशीर्ष एवं मुख्य शीर्ष 3456 के अंतर्गत चार उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1.19 करोड़ के व्यय के आँकड़ों में अंतर आ गया ***(परिशिष्ट 2.26)*** ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (सितम्बर 2014) एवं अनुस्मारक दिनांक 15 अक्टूबर 2014 को निर्गत किया गया, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2014) ।

2.11 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहद् बचत

➢ वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 113152.92 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध वृहद् बचत ₹ 31479.52 करोड़ (27.82 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत वृहद् बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवा प्रदान करने वाले 10 विभागों में भी गत पाँच वर्षो से सतत बचत सूचित हुई।

सरकारी विभागों में बजटीय नियत्रंण तंत्र को वृहद् बचत से बचने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए विशेषतः जहाँ बचत सतत रूप से हो और पूरक अनुदान से बचा जाए जो अव्यवहृत रह जाए।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

➢ वर्ष 2013–14 के दौरान आकस्मिकता निधि से 51 अवसरों पर जो अप्रत्याशित प्रकृति के नहीं थे, के निर्वहन के लिए ₹ 689.79 करोड़ के अग्रिम आहरित किए गये।

सिर्फ अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय के निर्वहन करने के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया जाना चाहिए।

आधिक्य प्रावधान का अपेक्षित नियमितिकरण

➢ वर्ष 1977–78 से 2010–11 के दौरान ₹ 1366.95 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत् नियमितिकरण हेतु अपेक्षित थे।

विभागीय आकड़ों का असमाशोधन

➢ वर्ष 2013–14 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त के साथ 71 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 59020.53 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया।

नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा अपने व्ययित आँकड़ो को प्रत्येक माह महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त के साथ मिलान करना चाहिए।

पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बजटीय नियत्रंण में कमी

➢ पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था फलतः विभाग में बजटीय नियत्रंण का अभाव था।

पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन विभाग के बजट अनुश्रवण प्रणाली को अपनाकर करना चाहिए।

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक अच्छी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समय परता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय, राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के साथ पूर्व वर्षों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीने में सार विपत्र आहरित की गयी थी, उसके छह माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत कर दी जाएगी तथा छह माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई सार विपत्र आहरित नहीं की जाएगी यदि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं की जाती है।

सार आकस्मिक विपत्रों पर राशि के आहरण एवं समायोजन का वर्षवार ब्यौरा नीचे दी गयी है:

तालिका 3.1: लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र		समायोजित सार आकस्मिक विपत्र		लंबित सार आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12 तक	92154	30253.61	74604	27954.45	17550	2299.16
2012-13	1863	1692.49	978	913.01	885	779.48
2013-14	1294	728.61	60	5.95	1234	722.66
योग	**95311**	**32674.71**	**75642**	**28873.41**	**19669**	**3801.30**

(स्त्रोतः वर्ष 2013–14 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

तालिका 3.1 के अनुसार 95311 सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित ₹ 32674.71 करोड़ में से सिर्फ ₹ 28873.41 करोड़ के 75642 सार आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार द्वारा समायोजित किया गया। हालांकि, नियमित अंतराल पर यह मुद्दा उठाए जाने पर भी 31 मार्च 2014 तक 19669 सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 3801.30 करोड़ का विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत होना था।

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सार आकस्मिक विपत्र पर वर्ष 2013–14 में आहरित ₹ 728.61 करोड़ में से ₹ 199.77 करोड़ (27.42 प्रतिशत) की राशि मार्च 2014 में आहरित हुई। इसमें ₹ 44.65 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित हुई। वित्तीय वर्ष के अंतिम

माह के दौरान वृहत् आहरण अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन का सूचक है तथा दुर्विनियोजन के जोखिम से भी भरा है।

3.2 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति में विलंब

सहायता अनुदान मद में स्थानीय निकाय, धार्मिक, धर्मार्थ, या शैक्षणिक संस्थान को अनुदान, वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक प्रदर्शनियों को अंशदान इत्यादि सम्मिलित है। बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 341 (2) कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय का अनुमान है, बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 431 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पहले धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। पुनः वित्त विभाग का कार्यपालक आदेश संख्या 573 दिनांक 16 जनवरी 1975 ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र देने के लिए संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की। हालांकि, कार्यपालक आदेश संख्या 9736 दिनांक 19 अक्टूबर 2011 के द्वारा इस समय सीमा को संशोधित कर 18 माह कर दिया गया।

हालांकि वर्ष 2013–14 तक भुगतान किये गए सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 59113.55 करोड़ के 2128 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया था। उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समयवार बकाया **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समयवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वर्ष की श्रेणी	बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1(*)	408	18935.01
2	1-2(*)	430	18748.14
3	2 एवं अधिक	1290	21430.40
	योग	**2128**	**59113.55**

(स्त्रोतः वर्ष 2013–14 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

() जहाँ संस्वीकृति आदेश निर्दिष्ट हो, को छोड़कर, अन्यथा वर्ष 2012–13 (सितम्बर सिर्फ 2012 के बाद संस्वीकृति) तथा वर्ष 2013–14 के दौरान आहरित अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र सिर्फ वर्ष 2014–15 में देय होगा।*

उपयोगिता प्रमाण–पत्र के 32 प्रतिशत में से शिक्षा (₹ 11994.77 करोड़ के 323 उपयोगिता प्रमाण–पत्र) तथा पंचायती राज (₹ 7125.43 करोड़ के 151 उपयोगिता प्रमाण–पत्र) विभागों से संबंधित हैं। उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति नहीं होने से विभिन्न योजना/कार्यक्रमों के लिए विमुक्त निधि, अप्राधिकृत उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग अथवा विचलन का जोखिम था।

चूँकि वृहत् धनराशि अनुपयोगित था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का विचलन/दुरूपयोग नहीं हो, विमुक्ति/उपयोग में चूक तथा जवाबदेही की प्राथमिकता होनी चाहिए।

3.3 प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की

लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्त्तो–प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (बी.एस.के.भी.आई.बी.), बिहार राज्य आवास बोर्ड (बी.एस.एच.बी.) तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (आर.ए.यू.) पूसा, समस्तीपुर के क्रमशः वर्ष 2009–10, 2004–05 के आगे की अवधि तथा वर्ष 2011–12 के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति ***परिशिष्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

3.4 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

वित्त लेखा उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है । इन शीर्षो के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत लंबित ऋण तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया गया। विगत तीन वर्षो के अंत तक कुछ मुख्य उचंत शीर्ष के अंतर्गत (मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत) सकल आँकड़ों की स्थिति **तालिका 3.3** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.3: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658–101–वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	208.11	.	214.35	-	2.35.47	-
निवल	**(नामे) 208.11**		**(नामे) 214.35**		**(नामे) 235.47**	
8658–102–उचंत लेखा (सिविल)	1433.35	247.08	1707.43	253.37	1778.62	258.09
निवल	**(नामे) 1186.42**		**(नामे) 1454.06**		**(नामे) 1520.53**	
8658–110–रिजर्व बैंक उचंत–क्रेन्द्रीय लेखा कार्यालय	1223.35	894.70	1237.71	894.60	1225.14	894.60
निवल	**(नामे) 328.65**		**(नामे) 343.11**		**(नामे) 330.54**	
8782–102–लोक निर्माण प्रेषण	9736.93	9777.31	8624.88	8806.17	12047.47	12187.96
निवल	**(जमा) 328.65**		**(जमा) 343.11**		**(जमा) 330.54**	
8782–103–वन प्रेषण	73.45	74.61	127.82	119.95	208.11	185.49
निवल	**(जमा) 1.16**		**(जमा) 7.87**		**(जमा) 22.62**	

(स्त्रोतः वर्ष 2013–14 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

वर्ष 2012–13 की तुलना में 101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अंतर्गत ₹ 21.12 करोड़ (नामे) वृद्धि, 102–उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹ 66.47 करोड़ (नामे) तथा 110–आर.बी.उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 12.57 करोड़ (नामे) की निवल कमी हुई।

यदि ये राशि असमाशोधित रह जाते है तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगी। इस प्रकार, उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.5 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 के अनुसार, जब तक तुरंत भुगतान की आवश्यकता नहीं हो, कोषागार से धन आहरित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार कोषागार से व्यय की प्रत्याशा में कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिसे पूर्ण करने में बहुत समय लग सकता है अथवा विनियोजन की व्यपगत होने से बचने के लिए अग्रिम का आहरण करना स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष परिस्थिति में धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र अथवा चालान, जो पहले संभावित अवसर हो, में न्यून आहरण द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए। जिसमें यह आहरित हुई है।

यह पाया गया कि अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का ₹ 221.30 करोड़, आठ संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2014 तक आहरित किया गया । 31 मार्च 2014 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार विश्लेषण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	असमायोजित अग्रिम एवं अग्रदाय की कुल राशि
1	भवन निर्माण	12.46
2	सिंचाई	30.81
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.97
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	9.40
5	पथ निर्माण	132.96
6	ग्रामीण कार्य	22.78
7	योजना एवं विकास	6.79
8	नलकूप तथा लघु सिंचाई	5.13
	योग	**221.30**

(स्त्रोतः वर्ष 2013–14 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

अग्रिम एवं अग्रदाय के लंबित मामले, वृहत् राशि के अग्रिम के समायोजन संबंधी विधिक प्रावधान के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता प्रदर्शित करती है।

3.6 प्राप्तियों एवं व्यय का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित लेखा में दिये गए आँकड़ो तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त में दर्शायी गई आँकड़ों के समाशोधन हेतु विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार संयुक्त रूप से जिम्मेवार होगें। समाशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा, व्यय का कुशल विभागीय नियंत्रण प्रदान करने हेतु उपयुक्त रूप से सही है।

तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पूर्व प्रतिवेदनों में विभागीय लेखा के असमाशोधन के मामलों के इंगित किए जाने तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा अनुसरणों के बावजूद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ऐसी चूक वर्ष 2013–14 के दौरान भी जारी रही। वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 76478.23 करोड़ (राजस्व और पूँजीगत) के कुल व्यय के विरूद्व कुल व्यय का सिर्फ ₹ 23038.68 करोड़ (30 प्रतिशत) का समाशोधन हुआ।

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 68918.65 करोड़ (राजस्व और पूँजीगत) की कुल प्राप्ति में से नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा सिर्फ ₹ 55159.51 करोड़ (80 प्रतिशत) का समाशोधन किया गया।

3.7 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रक्रिया

लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ', तथा '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्तियाँ तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते है। यह शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होने वाले व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, व्यय भाग के 21 राजस्व तथा पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों (सरकार का कार्य प्रस्तुत करते हुए) के अंतर्गत कुल ₹ 506.16 करोड़ का व्यय लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 0.66 प्रतिशत था। एक मुख्य शीर्ष[1] में ₹ 46.47 करोड़ के व्यय को अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में सुधार हुआ तथापि सुधार की गुंजाइश बाकी है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान को छोड़कर) के 42 राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 433.61 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ लघु शीर्ष–'800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति का 0.63 प्रतिशत था। 14 मुख्य शीर्षो के ₹ 251.19 करोड़ की वृहत् प्राप्ति हुई जिसे 'अन्य प्राप्तियों' के रूप में वर्गीकृत की गयी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है।

बहुप्रयोजनित लघु शीर्श '800–अन्य व्यय/प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वृहत् राशि के वर्गीकरण से वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता प्रभावित हुई ।

3.8 गबन के मामलों का प्रतिवेदन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 और 32 में प्रावधान है कि सरकारी धन की कोई हानि या उसका संदेह होने पर या सरकारी धन के गबन होने पर संबंधित पदाधिकारी को अपने से उच्च पदाधिकारी को और वित्त विभाग को तथा साथ ही महालेखाकार को तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए, चाहे ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा क्यों न कर दी गयी हो। जाँचोपरांत ऐसी हानि की प्रकृति, सीमा तथा कारणों एवं इसकी वसूली को प्रभावित करने वाली संभावनाओं से संबंधित पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित कर देनी चाहिए। इन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन के कारणों या परिस्थितियों पर आवश्यक अथवा उचित विभागीय जाँच करने के पश्चात तथा जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को भेजना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 11.28 करोड की राशि के दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन इत्यादि के सात मामले जो अंतिम निपटारा हेतु लंबित थे, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया गया था। लंबित मामले के समयवार/श्रेणीवार विधटन ***परिशिष्ट 3.4, 3.5*** **एवं** ***3.6*** में वर्णित हैं तथा **तालिका 3.5** में सारांशीकृत हैं।

[1] *5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय ।*

तालिका 3.5: गबन, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि का प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

लंबित मामलों के समय प्रोफाइल			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षो की विस्तार	मामलों की संख्या	समाहित राशि	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	समाहित राशि
0-5	5	9.43	दुर्विनियोजन	-	-
5-10	1	0.01			
10-15	-	-	सम्पत्ति/सामग्री की हानि	1	0.01
15-20	1	1.84			
20-25	-	-	गबन	6	11.27
25 एवं अधिक	-	-			
योग	**7**	**11.28**	कुल लंबित मामलें	**7**	**11.28**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

सात लंबित मामलों में से छः मामले (₹ 11.27 करोड) गबन से संबंधित थे जो यह दर्शाता है कि संबंधित विभाग द्वारा सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नियमावली के प्रावधान के अनुसार उचित कदम नहीं उठाया गया था। मामलों के लंबित रहने का कारण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 3.6: गबन, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि के लंबित मामलों के कारण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विलंब/बकाया मामलों के कारण	मामलों की संख्या	राशि
1	विभागीय एवं आपराधिक अनुसंधान की प्रत्याशा	-	-
2	विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी परन्तु अंतिम निपटरा का न होना	6	9.44
3	आपराधिक अभियोजन पूर्ण परन्तु राशि की वसूली हेतु निलाम बाद का कार्यान्वयन लंबित	-	-
4	वसूली या अपलेखन के लिए आदेश की प्रत्याशा	-	-
5	न्यायालयों में लंबित	1	1.84
योग		**7**	**11.28**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

3.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 3801.30 करोड़ की अहम राशि 31 मार्च 2014 तक लंबित थे।

 राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नियमों एवं प्रावधान के अनुसार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध आहरित ₹ 59113.55 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 तक लंबित था। सहायता अनुदान

विपत्रों के विरूद्ध वृहद् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति, अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान के ससमय व्यवहार के लिए नियम एवं पद्धति का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता प्रदर्शित करती है।

राज्य सरकार द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान की ससमय उपयोगिता एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

- सभी चार प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लेखा/लेखापरीक्षा की प्रस्तुति में नौ महीना से तीन वर्षों से अधिक विलंब था।

सरकारी विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों द्वारा 31 मार्च 2014 तक आहरित ₹ 221.30 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

सरकारी विभागों द्वारा वर्ष के अंत तक अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की वसूली/समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रवीण कुमार सिंह

पटना
दिनांकः

(प्रवीण कुमार सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली
दिनांकः

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः कंडिका 1, पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ.	सामान्य आँकड़ें		
क्रम सं0	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		94163 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	अ	2001 के जनगणना के अनुसार	8.3 करोड़
	ब	2011 के जनगणना के अनुसार	10.38 करोड़
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ब	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	1102 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.92 प्रतिशत)		41.4 प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	47 प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.04 प्रतिशत)	63.82 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर)		42
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 63.5 वर्ष)		61.1 वर्ष
8	गिन्नी गुणांक[1]		
	अ	ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.30)	0.29
	ब	शहरी (संपूर्ण भारत = 0.37)	0.38
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2013–14 वर्तमान दर पर (₹ करोड़ में)		343054
10	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी.[2] सी.ए.जी.आर.[3] (2004–05 से 2013–14)	बिहार	16.23
		सामान्य कोटि के राज्य	14.88
11	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2004–05 से 2013–14)	बिहार	17.93
		सामान्य कोटि के राज्य	15.49
12	जनसंख्या वृद्धि (2004–05 से 2013–14)	बिहार	13.96
		सामान्य कोटि के राज्य	12.94

ब.	वित्तीय आँकड़ें				
क्रम सं0		विवरण	आँकड़े (प्रतिशत में)		
1	सी.ए.जी.आर.		2004–05 से 2012–13	2004–05 से 2013–14	
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	18.12	17.85
	ख	अपने कर राजस्व का	16.42	21.84	21.95
	ग	गैर कर राजस्व का	12.49	13.31	15.64
	घ	कुल व्यय का	15.37	18.53	18.35
	ड.	पूँजीगत व्यय का	17.01	29.60	31.33
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.44	20.62	18.38
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	14.83	14.86
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	14.73	13.26	12.14
	झ	पेंशन का	18.34	17.36	16.91

स्त्रोतः भारत एवं बिहार की जनगणना,केन्द्रीय साख्यिंकी संगठन.1 अगस्त 2014, योजना आयोग के जुलाई 2013 के तेन्दुलकर पद्धति पर बी0पी0एल0 2011–12, सामान्य निबंधन सिस्टम बुलेटिन सितम्बर 2013, आर्थिक सर्वेक्षण संकेतो 2010–11 के लिए जैसा की 2012–13 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाया गया है, योजना आयोग के आकॅडे 2009–10 भारत की कुल अनुमानित जनगणना 2001–26 तक 16 सामान्य कोटि के राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किया हुआ, वित्तीय आकॅडे बिहार सरकार के वित्त लेखे पर आधारित)

[1] *यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है ।*

[2] *जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।*

[3] *सी.ए.जी.आर = मिश्रित वार्षिक विकास दर।*

परिशिष्ट–1.2

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

भाग–कः सरकारी लेखा की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखा की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है ।

भाग II आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है । तत्पश्चात विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

भाग III लोक लेखा : कुछ विशेष लेन–देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखा की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखा दो भागों में वितरित है । भाग I सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । **भाग I** में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	**वित्तीय स्थिति का विवरण :** सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आंकड़े, जो वर्ष के अंत में रहता है, विवरणी में दिखाये गए हैं । ये परिसंपत्तियाँ सरकार की भौतिक परिसंपत्तियाँ को दर्शाने वाली उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय के आँकड़ों के लिए मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियॉ हैं । लेखा नीति के तहत परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाया गया है।
विवरण संख्या 2	**प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** यह सरकार द्वारा चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीनों भागों–संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरणी है । इसके अतिरिक्त राजस्व एवं पूँजीगत लेखा से संबंधित प्राप्तियों एवं व्ययों को संचित निधि के तहत पृथक रूप से दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 3	**प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** इसके अंतर्गत राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार द्वारा प्राप्त की गई उधार राशि जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियों की वसूलियाँ सम्मिलित हैं ।
विवरण संख्या 4	**व्यय की विवरण (समेकित निधि) प्रयोजनवार एवं प्रकृतिवार:** यह विवरण न केवल प्रयोजनवार व्यय को दर्शाती है बल्कि व्यय की गतिविधि की प्रकृति (विषय शीर्षवार व्यय) को भी सारांशीकृत करती है ।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट, परिशिष्ट–1 में लेखे की टिप्पणीयाँ भी सम्मिलित है। **खण्ड II** तीन भागों में विभक्त है । **भाग I** में छः विवरणी शामिल है जो निम्नलिखित हैं–	
विवरण संख्या 5	**प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण प्रगामी पूँजीगत व्यय को कार्यकारी शीर्षवार बतलाता है जिसकी समिष्टि विवरण–1 में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 6	**उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार द्वारा ली गई उधार स्वरूप बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं पेशगियाँ सम्मिलित हैं । इन दोनों को मिला कर राज्य सरकार का लोक ऋण निर्मित होता है । इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी अन्य दायित्वों जो लेखा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के शेषों को भी दर्शाता है । लोक लेखा के संबंध में सरकार निधि के संरक्षक या न्यासी के रूप में कार्य करती है । अतएव यह लेखा सरकार के दायित्वों को संस्थापित करती है । इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी टिप्पणी अर्थात् निवल ब्याज प्रभार जिन्हें राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाता है का भी उल्लेख है ।

परिशिष्ट 1.2 भाग–ख : वित्त लेखा की रूपरेखा	
विवरण	**रूपरेखा**
विवरण संख्या 7	**सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण :** सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों को विवरण संख्या 1 में दर्शाया गया है तथा तत्संबंधी वसूलियाँ एवं संवितरणों को विवरण संख्या 2, 3 तथा 4 में दर्शाया गया है । यहाँ कर्ज एवं पेशगियों को प्रभागवार–ऋणवार समूह में सारांशीकृत किया गया है । इसके अंतर्गत बकाये कर्ज की वसूलियाँ संबंधी टिप्पणी सम्मिलित है जिसके विस्तृत आँकड़ों का संधारण महालेखाकार कार्यालय एवं संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है ।
विवरण संख्या 8	**सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान का विवरण** : यह अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा समूहवार संघटित किया गया है । इसमें वस्तु के रूप में दिये गए अनुदान पर टिप्पणी भी अंकित है ।
विवरण संख्या 9	**सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण :** सरकार द्वारा वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों की ऋण वापसी हेतु दी गयी गारंटियों एवं वर्ष के अंत तक लंबित प्रत्याभूत राशियों का उल्लेख इस विवरणी में प्रदर्शित किया गया है ।
विवरण संख्या 10	**दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण :** इस विवरण के अंतर्गत सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को विस्तृत उल्लेख है ।
खण्ड II भाग II: इस भाग में नौ विवरण सम्मिलित हैं जो लघुशीर्षवार हुए संव्यवहारों को दर्शाता है जो खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरणों में सदृश अनुकूल है ।	
विवरण संख्या 11	**लघुशीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार विवरण :** यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत रूप में दर्शाता है ।
विवरण संख्या 12	**लघुशीर्षवार राजस्व व्यय का ब्योरेवार विवरण :** यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय को विस्तृत रूप में दर्शाता है। गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 13	**पूँजीगत व्यय का ब्योरेवार विवरण :** इसके अंतर्गत सरकार के पूँजीगत व्यय का विस्तृत उल्लेख है । गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग–अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष के अंत तक संचयी पूँजीगत व्यय का वर्णन भी सम्मिलित है ।
विवरण संख्या 14	**सरकारी निवेशों का ब्योरेवार विवरण :** विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी और डिबेंचर के रूप में सरकारी निवेशों की विगत एवं चालू वर्ष की स्थिति को इस विवरणी में दर्शाया गया है । इसके अंतर्गत शेयरों का प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश का भी उल्लेख किया गया है ।
विवरण संख्या 15	**उधार एवं अन्य दायित्वों का ब्योरेवार विवरण :** सरकार द्वारा प्राप्त उधार एवं अन्य दायित्वों (बाजार ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज) को लघुशीर्षवार, उसकी परिपक्वता एवं ऋण की वापसी संबंधी रूपरेखा इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है । यह विवरण खंड II के भाग I में विवरण संख्या 6 का विस्तृत रूप है ।
विवरण संख्या 16	**सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरेवार विवरण :** सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरा, ऋण शेशों में बदलाव, ऋण का अपलेखन, ऋणों पर प्राप्त ब्याज आदि को इस विवरण में दर्शाया गया है । इसमें योजनागत कर्ज को अलग से दर्शाया गया है । यह विवरणी खण्ड II के भाग I के विवरणी 7 का विस्तृत रूप है ।
विवरण संख्या 17	**व्यय हेतु निधियों के स्त्रोत तथा उनके अनुप्रयोग (राजस्व लेखे को छोड़कर) का ब्योरेवार विवरण :** पूँजीगत एवं अन्य व्यय (व्यय शीर्ष राजस्व लेखा को छोड़कर) व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों का उल्लेख इस विवरणी में किया गया है।
विवरण संख्या 18	**आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का ब्योरेवार विवरण:** इस विवरण के अंतर्गत वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि को विनियोजन, व्यय एवं वापस प्राप्त किये गये राशि को दर्शाया गया है । इसमें लोक लेखा के संव्यवहारों को भी विस्तृत रूप में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 19	**उदिदष्ट निधियों के शेषों का ब्योरेवार विवरण :** लोक लेखा में आरक्षित निधि में निवेश का विस्तृत ब्योरा इस विवरण में दर्शाया गया है।

(स्त्रोत : वित्त लेखा 2013–14)

(संदर्भ: कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम)

(2010 का बिहार अधिनियम संख्या 25)
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावना:–राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधियमित थे:–

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

 (ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

 (स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित को नियमित करें ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–2 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप–धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप–धारा (ड) जोड़ी जायेगी:

 (ड) "ऋण" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि ।

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–3 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :

 (अ) "राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011–12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा " ।

4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–9 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (अ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:

 (ब)"वित्तीय वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011–12 में यह तीन प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014–15 तक बनाये रखना होगा" ।

5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन ।–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–9 की उप–धारा 2 के खंड (अ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :

 (स)"ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6. 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी" ।

(संदर्भ: कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (***परिशिष्ट 1.2 का भाग ख***) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया ।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) चालू मूल्य पर

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	162923	203555	243269 (पी)	296153 (क्यू)	343054 (ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर	14.51	24.94	19.51	21.74	15.84

(स्त्रोत : निदेशालय सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार)

पी–अंतिम, क्यू–त्वरित, ए–अग्रिम

कुछ चुने हुए शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए है:–

शब्द	गणना का आधार
प्राचल की उत्पलावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (ब) के संदर्भ में प्राचल (अ) की उत्पलावकता	प्राचल (अ) की वृद्धि दर/ प्राचल (ब) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	समाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ **घटावें** मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट–1.4

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1 एवं 1.6.2; पृष्ठ 2 एवं 16)

वर्ष 2013–14 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2012-13			2013-14		2012-13			2013-14		
								गैर योजना	योजना	योग
		खण्डः अ राजस्व								
59566.66	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**		**68918.65**	**54466.15**	**I**	**राजस्व व्यय**	**43381.02**	**19096.21**	**62477.23**
16253.08		कर राजस्व	19960.68		18645.11		सामान्य सेवाएँ	21896.37	122.10	22018.47
1135.27		करेत्तर राजस्व	1544.83		23107.37		सामाजिक सेवाएँ	12680.96	13713.89	26394.85
31900.39		संघीय करों का राज्यांश	34829.11		14080.17		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	8857.01	5486.53	14343.54
2412.58		गैर योजना अनुदान	3288.13		1835.89		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1821.12	292.30	2113.42
5051.97		राज्य योजना हेतु अनुदान	6238.39		2304.15		जलापूर्ति, स्वच्छता,आवास एवं नगर विकास	823.03	2143.94	2966.97
2813.37		केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	3057.51		73.97		सूचना एवं प्रसारण	66.70	7.66	74.36
					1750.56		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	110.66	1962.94	2073.60
					93.35		श्रम एवं श्रम कल्याण	84.08	27.05	111.13
					3015.53		समाज कल्याण एवं पोषाहार	875.16	3851.02	4726.18
					(-) 46.25		अन्य	43.20	(-) 57.54	(-) 14.34
					12709.96		आर्थिक सेवाएँ	8799.84	5260.22	14060.06
					3170.22		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	698.56	2494.71	3193.27
					3432.25		ग्रामीण विकास	2377.18	1682.60	4059.78
					-		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
					914.18		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	902.12	136.91	1039.03
					3199.94		उर्जा	3185.74	50.00	3235.74
					533.89		उद्योग एवं खनिज	67.25	512.99	580.24
					825.51		परिवहन	1377.50	3.35	1380.85

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2012-13			2013-14		2012-13		2013-14			
								गैर योजना	योजना	योग
							विज्ञान, प्रावैधिकी एवं पर्यावरण			
					633.97		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	191.49	379.65	571.14
					3.71		सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.85		3.85
				68918.65	54466.15		**कुल**			**62477.23**
	II	**खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे**			**5100.51**	**II**	**खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष**			**6441.42**
59566.66		**कुल**		**68918.65**	**59566.66**		**कुल**			**68918.65**
		खंड ब अन्य								
1509.45	**III**	**स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष**		**3715.58**		**III**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट**			
	IV	**विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**			**9584.52**	**IV**	**पूँजीगत परिव्यय**	**96.64**	**13904.36**	**14001.00**
					717.34		सामान्य सेवाएँ	110.99	1221.54	1332.53
					1330.79		सामाजिक सेवाएँ	(-) 22.19	1880.08	1857.89
					364.44		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		703.64	703.64
					562.50		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(-) 1.05	461.22	460.17
					282.44		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	5.68	631.98	637.66
					शुन्य		सूचना एवं प्रसारण		.(-) 0.04	.(-) 0.04
					3.79		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		6.07	6.07
					24.24		समाज कल्याण एवं पोषाहार	(-)26.81	(-) 5.76	(-) 32.57
					93.38		अन्य सामाजिक सेवाएँ		82.96	82.96
					7536.39		आर्थिक सेवाएँ	7.83	10802.76	10810.59

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2012-13			2013-14		2012-13		2013-14			
								गैर योजना	योजना	योग
					91.66		कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलाप		476.97	476.97
					1874.40		ग्रामीण विकास		1933.51	1933.51
					-		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
					1940.04		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6.94	1791.97	1798.91
					173.63		उर्जा		1897.48	1897.48
					48.81		उद्योग एवं खनिज		535.00	535.00
					3312.81		परिवहन	0.93	4089.33	4090.26
					95.04		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	(-) 0.04	78.50	78.46
24.70	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूली**		**15.03**	**2085.95**	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**	**109.83**	**697.55**	**807.38**
		विद्युत परियोजनाओं से			1080.88		विद्युत परियोजनाओं हेतु	61.75	663.04	724.79
12.91		सरकारी सेवकों से	14.08		16.46		सरकारी सेवकों को	10.91	-	10.91
11.79		अन्य से	0.95		988.61		अन्य से	37.17	34.51	71.68
5100.51	**VI**	**राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए**		**6441.42**		**VI**	**राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए**			
9553.96	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**9907.09**	**3069.96**	**VII**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**			**3119.56**
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			
9045.94		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	9357.43		2585.23		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			2558.83
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन								
508.02		केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	549.66		484.73		केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			560.73
शून्य		**अंतर्राज्यीय समाशोधन**	शून्य		शून्य		**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			
2250.00	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		**1450.43**	**2250.00**	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**			**1450.43**

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2012-13			2013-14		2012-13		2013-14			
								गैर योजना	योजना	योग
	IX	आकस्मिकता निधि के राशि का स्थानांतरण				IX	आकस्मिकता निधि से व्यय			
27066.21	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**33457.78**	**24798.82**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**29452.57**
1296.09		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ		1072.30	1511.64		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ			1370.20
799.33		आरक्षित निधि		823.48	268.44		आरक्षित निधि			124.90
528.82		उचंत एवं विविध		579.05	795.34		उचन्त एवं विविध			623.91
8927.17		प्रेषण		12373.58	8907.65		प्रेषण			12392.59
15514.80		जमा एवं अग्रिम		18609.37	13315.75		जमा एवं अग्रिम			14940.97
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट**			**3715.58**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**6156.39**
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			
					188.21		रिजर्व बैंक के पास जमा		230.03	
					521.52		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित		519.81	
					3005.85		रोकड़ शेष निवेश		5406.55	
45504.83		**योग**		**54987.33**	**45504.83**		**योग**			**54987.33**

(स्त्रोतः वित्त लेखा 2013–14)

परिशिष्ट–1.5

(संदर्भः कंडिका 1.1.3, पृष्ठ 4)

वर्ष 2013–14 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा (–)	प्रतिशतता आधिक्य(+)/घाटा (–)
राजस्व प्राप्तियाँ	80066.47	68918.65	(-) 11147.82	(-) 13.92
निजी कर राजस्व	20962.70	19960.68	(-) 1002.02	(-) 4.78
करेत्तर राजस्व	3416.08	1544.83	(-) 1871.25	(-) 54.78
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	37980.98	34829.11	(-) 3151.87	(-) 8.30
भारत सरकार से सहायता अनुदान	17706.71	12584.03	(-) 5122.68	(-) 28.93
राजस्व व्यय	73257.62	62477.23	(-) 10780.39	(-)14.72
सामान्य सेवाएँ	25469.15	22018.47	(-) 3450.68	(-) 13.55
राज्य का अंग	992.45	768.27	(-) 224.18	(-) 22.59
राजकोषीय सेवाएँ	888.92	675.26	(-) 213.66	(-) 24.04
ब्याज भुगतान और कर्ज परिशोधन	6181.42	5895.32	(-) 286.10	(-) 4.63
प्रशासनिक सेवाएँ	6132.31	5197.90	(-) 934.41	(-) 15.24
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ	11274.05	9481.73	(-) 1792.32	(-) 15.90
सामाजिक सेवाएँ	32004.63	26394.85	(-) 5609.78	(-) 17.53
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	18322.62	14343.54	(-) 3979.08	(-) 21.72
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2767.41	2113.42	(-) 653.99	(-) 23.63
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	3459.85	2966.97	(-) 492.88	(-) 14.25
सूचना और प्रसारण	83.03	74.36	(-) 8.67	(-) 10.44
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1878.12	2073.60	195.48	10.41
श्रम एवं श्रम कल्याण	115.28	111.13	(-) 4.15	(-) 3.60
समाज कल्याण और पोषाहार	5279.40	4726.18	(-) 553.22	(-) 10.48
अन्य	98.92	(-) 14.34	(-) 113.26	(-) 114.50
आर्थिक सेवाएँ	15779.72	14060.05	(-) 1719.67	(-) 10.90
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	4175.18	3193.27	(-) 981.91	(-) 23.52
ग्रामीण विकास	4455.16	4059.78	(-)395.38	(-) 8.87
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1298.66	1039.03	(-) 259.63	(-) 19.99
ऊर्जा	2474.22	3235.74	761.52	30.78
उद्योग और खनिज	662.01	580.24	(-) 81.77	(-) 12.35
परिवहन	1389.82	1380.85	(-) 8.97	(-) 0.65
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1324.67	571.14	(-) 753.53	(-) 56.88
सहायता अनुदान और अंशदान	4.12	3.85	(-) 0.27	(-) 6.55
पूँजीगत व्यय	18830.30	14001.00	(-) 4829.30	(-) 25.65
सामान्य सेवाएँ	1449.62	1332.53	(-) 117.09	(-) 8.08
सामाजिक सेवाएँ	1882.09	1857.89	(-) 24.20	(-) 1.29
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	393.88	703.64	309.76	78.64
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	571.75	460.17	(-) 111.58	(-) 19.52
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	572.62	637.66	65.04	11.36
सूचना और प्रसारण	0.00	(-) 0.04	-0.04	
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22.56	6.07	(-) 16.49	(-) 73.09
समाज कल्याण और पोषाहार	321.28	(-) 32.57	(-) 353.85	(-) 110.14
अन्य	00.00	82.96	82.96	
आर्थिक सेवाएँ	10865.49	10810.59	(-) 54.90	(-) 0.51
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	375.84	476.97	101.13	26.91
ग्रामीण विकास	2227.91	1933.51	(-) 294.40	(-) 13.21
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2722.06	1798.91	(-) 923.15	(-) 33.91
ऊर्जा	1104.76	1897.48	792.72	71.75
उद्योग और खनिज	76.00	535.00	459.00	603.95
परिवहन	4250.89	4090.26	-160.63	-3.78
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	108.03	78.46	(-) 29.57	(-) 27.37
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)	6808.85	6442.00	(-) 366.85	(-) 5.39
राजकोषीय घाटा (–)	8769.45	8351.00	418.45	4.77
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (–)	(-) 2881.48	(-) 2892.00	(-)10.52	0.37

(स्त्रोतः बिहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेखा, 2013–14)

परिशिष्ट–1.6

(संदर्भः कंडिका 1.2.2, पृष्ठ 8)

राज्य कियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले एजेन्सियाँ	2012-13	2013-14
		केन्द्रांश	केन्द्रांश
सर्व शिक्षा अभियान	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद	**2754.62**	**2610.13**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	1227.81	1580.71
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		138.25	30.61
इंदिरा आवास योजना		1684.74	2957.04
समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम		17.03	16.78
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)		14.70	21.22
योग डी.आर.डी.ए.		**3082.53**	**4606.37**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य समिति	757.95	779.32
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	पंजीकृत समितियाँ	959.75	725.72
सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला मजिस्ट्रेट	224.00	326.50
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वंयसेवी संस्थाएँ)	0.31	0.51
ऑफ ग्रिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुर्ननवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण	5.90	3.64
कला और संस्कृति का प्रोन्नति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.16	1.58
स्मारिका तथा अन्य	नव नालंदा महाविहार	0.00	2.25
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या समिति	6.94	7.06
व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, एस.आर.सी. को सहयोग	जन शिक्षण संस्थान	4.83	6.54
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति	0.00	5.06
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ	0.00	15.22
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण	65.73	0.00
गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.)	बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, पटना (कम्फेड)	20.52	0.00
खादय प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	बिहार सरकार (उद्योग मित्र)	8.56	0.00
निर्यात के बुनियादी ढ़ाचा विकास के लिए राज्यों को सहायता (खाद्य विकास केन्द्र)	बिहार राज्य फल एवं सब्जी निगम	3.92	0.00
रेशम उद्योग के विकास के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	2.83	0.00
कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.भी.)	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	57.17	0.00
मॉडल स्कूल	बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्	203.53	0.00
प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.)	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	16.47	0.00
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्	137.66	0.00
राष्ट्रीय उद्यान मिशन	मिशन निदेशक, बिहार राज्य उद्यान मिशन सोसाइटी	-	20.00
राष्ट्रीय ग्राम पेय जल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.)	बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना	-	338.95
राष्ट्रीय वनीकरण योजनाएँ	बिहार वन विकास अभिकरण	-	12.84
राष्ट्रीय ग्रीन कोर (एन.जी.सी.)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-	2.30
पर्यावरण सूचना प्रणाली (ई.एन.भी.आई.एस.)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-	0.06
राशन संतुलन योजना	विक्रमशीला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भागलपुर	-	0.35
राशन संतुलन योजना	विक्रमशीला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बरौनी	-	0.05
राशन संतुलन योजना	विक्रमशीला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	-	0.05
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		**8314.38**	**9464.50**

(स्त्रोतः वित्त लेखा 2013–14)

परिशिष्ट– 1.7

(संदर्भः कंडिका 1.3 एवं 1.3.1.1, पृष्ठ 9 एवं 11)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
खण्ड अ प्राप्तियाँ					
1.राजस्व प्राप्तियाँ	**35527**	**44532**	**51320**	**59567**	**68919**
(i) कर राजस्व	**8090 (23)**	**9870 (22)**	**12612 (25)**	**16253(27)**	**19961(29)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3839 (48)	4557 (46)	7476 (59)	8671(53)	8453(42)
राज्य उत्पाद	1082 (13)	1523 (16)	1981 (16)	2430(15)	3168(16)
वाहन पर कर	345 (4)	456 (5)	569 (4)	673(4)	837(4)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	998 (12)	1099 (11)	1480 (12)	2173(14)	2712(14)
भू–राजस्व	124 (2)	139 (1)	168 (1)	205(1)	202(1)
माल एवं यात्री कर	1613 (20)	2006 (20)	828 (7)	1932(12)	4349(22)
अन्य कर	89 (1)	90 (1)	110 (1)	169(1)	240(1)
(ii) करेत्तर राजस्व	**1670 (5)**	**985 (2)**	**890 (2)**	**1135(2)**	**1545(2)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**18203(51)**	**23978(54)**	**27935 (54)**	**31901(54)**	**34829(51)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**7564 (21)**	**9699 (22)**	**9883 (19)**	**10278(17)**	**12584(18)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**13**	**12**	**23**	**25**	**15**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**35540**	**44544**	**51343**	**59592**	**68934**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**6134**	**6032**	**6628**	**9554**	**9907**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	5370	5251	5801	9046	9357
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	764	781	827	508	550
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन			**75**	**-**	**-**
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	**41674**	**50576**	**58046**	**69146**	**78841**
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**15303**	**17321**	**22303**	**27066**	**33458**
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**56978**	**67897**	**80349**	**96212**	**112299**
खण्ड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	**32584**	**38216**	**46499**	**54466**	**62477**
योजना	**8439 (26)**	**10900 (29)**	**12487 (27)**	**16892(31)**	**19096(31)**
गैर–योजना	**24145 (74)**	**27316 (71)**	**34012 (73)**	**37574(69)**	**43381(69)**
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	12202(37)	15287(40)	17729(38)	18645(34)	22018(35)
सामाजिक सेवाएँ	13186 (40)	15090 (39)	18729 (40)	23107(43)	26395(42)
आर्थिक सेवाएँ	7088 (22)	7836 (21)	10038 (22)	12710(23)	14060(23)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	108(1)	3	3	4	4
12. पूँजीगत व्यय	**7332**	**9196**	**8852**	**9585**	**14001**
योजना	**7268 (99)**	**9150 (99)**	**8812 (99)**	**9492(99)**	**13904(99)**
गैर–योजना	**64 (1)**	**46 (1)**	**40 (1)**	**93(1)**	**97(1)**
सामान्य सेवाएँ	274 (4)	396 (4)	608 (7)	717(7)	1333(10)
सामाजिक सेवाएँ	1123 (15)	1072 (12)	807 (9)	1331(14)	1858(13)
आर्थिक सेवाएँ	5935 (81)	7728 (84)	7437 (84)	7537(79)	10810(77)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**897**	**1103**	**1906**	**2086**	**807**
14. कुल (11+12+13)	**40813**	**48515**	**57257**	**66137**	**77285**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**1983**	**2190**	**2922**	**3070**	**3120**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	1169	1725	2457	2585	2559
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	814	465	465	485	561
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	**42796**	**50705**	**60181**	**69207**	**80405**
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20. लोक लेखा संवितरण	**15448**	**16749**	**21393**	**24799**	**29453**
21. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	**58428**	**67454**	**81574**	**94006**	**109858**
खण्ड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1–11)	**2943**	**6316**	**4821**	**5101**	**6442**
23. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	**(-) 5273**	**(-) 3971**	**(-) 5914**	**(-) 6545**	**(-) 8351**
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	**(-)1588**	**348**	**(-)1610**	**(-)2117**	**(-) 2892**
खण्ड द अन्य आंकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**3685**	**4319**	**4304**	**4428**	**5459**
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	**4456**	**4622**	**14444**	**17454**	**18935**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	**162923**	**203555**	**243269**	**296153**	**343054**
28. लंबित राजकोषीय देयता (वर्षान्त)	**58690**	**62858**	**67812**	**76503**	**86939**
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	**859**	**588**	**1092**	**1089**	**1090**
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्षान्त)	**1548**	**1549**	**2049**	**2046**	**2587**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**288**	**350**	**380**	**298**	**227**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	**941**	**1005**	**1579**	**1488**	**1274**
खण्ड ई राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	**0.050**	**0.048**	**0.052**	**0.055**	**0.058**
निजी करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	**0.010**	**0.005**	**0.004**	**0.004**	**0.005**
केन्द्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	**0.112**	**0.118**	**0.115**	**0.108**	**0.102**
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	**0.251**	**0.238**	**0.235**	**0.223**	**0.225**
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	**1.148**	**1.089**	**1.116**	**1.110**	**1.121**
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**0.798**	**0.787**	**0.812**	**0.824**	**0.808**
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	**0.350**	**0.333**	**0.341**	**0.370**	**0.366**
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	**0.319**	**0.343**	**0.338**	**0.306**	**0.322**
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**0.179**	**0.189**	**0.155**	**0.145**	**0.181**
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**0.173**	**0.181**	**0.144**	**0.134**	**0.164**
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	**0.018**	**0.031**	**0.020**	**0.017**	**0.019**
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	**(-) 0.032**	**(-) 0.020**	**(-) 0.024**	**(-) 0.022**	**(-) 0.024**
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	**(-) 0.010**	**0.002**	**(-) 0.007**	**(-) 0.007**	**(-) 0.008**
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	**(-) 0.558**	**(-) 1.591**	**(-) 0.815**	**(-) 0.779**	**(-) 0.771**
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	**0.360**	**0.309**	**0.279**	**0.258**	**0.253**
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	**1.652**	**1.411**	**1.321**	**1.284**	**1.261**
राजकोषीय दायित्व/राज्य का अपना ससंाधन	**6.013**	**5.791**	**5.022**	**4.400**	**4.043**

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।
@सरकार द्वारा अपनाई गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े
(स्त्रोतः वित्त लेखा 2013–14)

परिशिष्ट– 1.8

(संदर्भ: कंडिका 1.9.1 पृष्ठ 25)

31 मार्च 2014 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(₹ करोड़ में)

31/03/2013 तक	देयता		31/03/2014 तक
48825.50	**आंतरिक ऋण**		**55624.10**
	ब्याज वाले बाजार ऋण	31284.33	
	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.22	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55	
	अन्य संस्थाओं से ऋण	24318.00	
8648.85	**केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम**		**8637.79**
	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91	
	गैर–योजना ऋण	58.63	
	राज्य योजना के लिए ऋण	8530.75	
	केन्द्रीय योजना के लिए ऋण	1.01	
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	0.53	
	योजनागत योजनाओं के लिए मद	42.96	
350.00	**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
9345.75	**लघु बचत, भविष्य निधि आदि**		**9047.85**
7864.28	**जमा**		**11548.35**
2750.17	**आरक्षित निधि**		**3448.76**
74.01	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**74.01**
21345.93	**सरकारी लेखा में आधिक्य**		**27787.35**
	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	6441.42	
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	21345.93	
99204.49			**116518.21**
	परिसम्पत्तियाँ		
71884.39	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**85885.39**
	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2867.18	
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	83018.21	
20587.01	**ऋण एवं अग्रिम**		**21379.36**
	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	16535.92	
	अन्य विकास ऋण	4770.73	
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	72.71	
1161.67	**प्रेषण**		**1180.67**
114.89	**अग्रिम**		**130.57**
1740.95	**उचंत और विविध शेष**		**1785.83**
3715.58	**रोकड़**		**6156.39**
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	रिजर्व बैंक में जमा	230.03	
	विभागीय रोकड़ शेष	178.50	
	स्थायी अग्रिम	341.32	
	उद्दिष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	5406.54	
99204.49			**116518.21**

(स्त्रोतः वित्त लेखा 2013–14)

परिशिष्ट– 2.1

(संदर्भः कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 36)

₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों / विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	कुल अनुदान / विनियोजन	व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	3502.31	1935.43	1566.88	44.74
2	2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	978.48	363.79	614.69	62.82
3	3	भवन निर्माण विभाग	2064.25	1326.10	738.15	35.76
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	162.91	102.57	60.34	37.04
5	8	कला,संस्कृति एवं युवा विभाग	95.93	71.23	24.70	25.75
6	10	ऊर्जा विभाग	7604.79	5887.50	1717.29	22.58
7	12	वित्त विभाग	2297.19	727.78	1569.41	68.32
8	15	पेंशन	13775.22	9519.94	4255.28	30.89
9	16	पंचायती राज विभाग	4074.13	3003.35	1070.78	26.28
10	17	वाणिज्य कर विभाग	127.28	69.85	57.43	45.12
11	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1689.12	651.53	1037.59	61.43
12	20	स्वास्थ्य विभाग	3715.48	2786.55	928.93	25.00
13	21	शिक्षा विभाग	19545.00	14972.10	4572.90	23.40
14	25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	224.33	37.24	187.09	83.40
15	27	विधि विभाग	621.44	479.83	141.61	22.79
16	28	बिहार का उच्च न्यायालय	116.28	76.66	39.62	34.07
17	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	399.93	153.13	246.80	61.71
18	33	सामान्य प्रशासन विभाग	416.50	301.72	114.78	27.56
19	35	योजना एवं विकास विभाग	3111.00	873.98	2237.02	71.91
20	37	ग्रामीण कार्य विभाग	2969.94	2390.46	579.48	19.51
21	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	153.45	100.79	52.66	34.32
22	39	आपदा प्रबंधन विभाग	1435.81	989.10	446.71	31.11
23	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	864.00	501.80	362.20	41.92
24	41	पथ निर्माण विभाग	6183.63	4923.46	1260.17	20.38
25	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	185.69	89.14	96.55	52.00
26	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1259.95	870.43	389.52	30.92
27	46	पर्यटन विभाग	160.58	70.05	90.53	56.38
28	47	परिवहन विभाग	53.39	39.64	13.75	25.75

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	2538.40	1718.44	819.96	32.30
30	49	जल संसाधन विभाग	4304.20	2322.17	1982.03	46.05
31	50	लघु जल संसाधन विभाग	1315.04	538.80	776.24	59.03
32	51	समाज कल्याण विभाग	5247.09	3913.51	1333.58	25.42
योग			**91192.74**	**61808.07**	**29384.67**	

(स्त्रोतः राज्य का विनियोग लेखा, वर्ष 2013–14)

परिशिष्ट– 2.2

(संदर्भः कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 39)

अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2009–14 के दौरान सतत् बचत हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	राशि एवं बचत की प्रतिशतता									
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
राजस्व–दत्तमत											
		राशि	प्रतिश-तता	राशि	प्रतिश-तता	राशि	प्रतिश-तता	राशि	प्रतिश-तता	राशि	प्रतिश-तता
1	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	62.53	18.99	165.72	40.67	210.59	43.22	426.49	44.31	607.69	62.55
2	12-वित्त विभाग	39.09	10.91	55.64	13.46	122.72	43.27	223.31	31.97	106.32	27.48
3	20-स्वास्थ्य विभाग	278.83	16.79	479.42	23.92	528.85	21.52	569.78	22.26	623.24	22.30
4	27-विधि विभाग	31.32	**10.72**	130.41	26.37	148.50	26.19	151.31	26.11	141.61	22.78
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	120.13	17.17	128.43	23.06	148.70	24.05	72.52	14.96	132.67	21.20
6	41-पथ निर्माण विभाग	274.30	38.78	198.29	33.58	120.06	18.44	109.32	16.45	413.22	32.96
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	93.81	28.18	108.29	15.78	291.77	50.39	92.81	25.99	668.14	66.10
योग		**900.01**		**1266.20**		**1571.19**		**1645.54**		**2692.89**	
पूँजीगत–दत्तमत											
8	3-भवन निर्माण विभाग	26.79	29.86	66.52	36.16	292.26	57.49	722.07	69.33	659.52	40.88
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	462.89	50.68	268.62	29.99	137.81	31.09	265.47	50.66	97.55	13.62
10	49-जल संसाधन विभाग	1415.28	52.57	1722.91	56.81	625.86	25.65	672.73	27.47	1853.56	53.61
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	95.11	57.02	181.26	**75.96**	110.50	42.42	127.24	43.26	108.10	35.51
योग		**2000.07**		**2239.31**		**1166.43**		**1787.51**		**2718.73**	
महायोग		**2900.08**		**3505.51**		**2737.62**		**3433.05**		**5411.62**	

(स्त्रोतः राज्य के विनियोग लेखा, 2013-14)

परिशिष्ट– 2.3

(संदर्भः कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 39)

विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1977-78	1	24	0.06
1978-79	1	27	0.32
1981-82	2	3, 13	5.12
1982-83	1	22	0.98
1983-84	1	12	9.45
1984-85	2	3,14	2.63
1986-87	1	13	65.63
1987-88	3	9, 19, 38	15.53
1988-89	2	9, 38	6.59
1989-90	3	25, 27, 38	99.40
1990-91	2	37, 38	47.55
1991-92	2	6, 38	71.24
1992-93	1	38	87.77
1993-94	2	25, 37	157.68
1994-95	1	37	170.61
1995-96	2	25, 37	213.23
1996-97	2	23, 37	21.16
1997-98	1	7	0.01
1998-99	1	30	0.33
1999-00	1	40	0.01
2003-04	3	11, 30, 50	81.23
2004-05	3	19, 20, 21	5.62
2005-06	2	39, 40	294.50
2007-08	1	17	1.04
2008-09	2	17, 28	8.91
2010-11	1	5	0.35
कुल			**1366.95**

(स्त्रोतः लोक लेखा समिति अनुभाग से उपलब्ध सूचना)

परिशिष्ट– 2.4

(संदर्भः कंडिका 2.3.4, पृष्ठ 39)

अनुपूरक प्रावधान के मामलें (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ. राजस्व (भारित)					
1	5-राज्यपाल सचिवालय	7.87	7.65	0.22	1.64
2	13-ब्याज भुगतान	5887.97	5572.96	315.01	3.35
3	15-पेंशन	10.37	0.97	9.40	0.63
योग राजस्व (भारित)		**5906.21**	**5581.58**	**324.63**	**5.62**
अ. राजस्व (दत्तमत)					
4	1-कृषि विभाग	2550.19	1927.87	622.32	852.12
5	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	966.37	363.79	602.58	5.11
6	3-भवन निर्माण विभाग	447.47	372.68	74.79	3.84
7	4-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	145.66	97.24	48.42	5.18
8	8-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	78.70	71.23	7.47	17.23
9	9-सहकारिता विभाग	451.59	438.28	13.31	13.28
10	12-वित्त विभाग	382.49	280.54	101.95	4.36
11	15-पेंशन	11263.67	9518.97	1744.70	2500.55
12	16-पंचायती राज विभाग	3317.04	3003.35	313.69	757.09
13	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	847.96	651.53	196.43	262.65
14	20-स्वास्थ्य विभाग	2785.09	2170.49	614.60	8.64
15	21-शिक्षा विभाग	17977.78	14270.38	3707.40	682.22
16	22-गृह विभाग	4801.02	4248.27	552.75	58.40
17	24-सूचना एवं जनसंर्पक विभाग	83.75	75.28	8.47	3.19
18	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	173.71	37.24	136.47	9.62
19	26-श्रम संसाधन विभाग	200.34	193.94	6.40	18.26
20	27-विधि विभाग	619.78	479.83	139.95	1.65
21	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	233.31	76.15	157.16	4.03
22	32-विधानमंडल	109.56	102.90	6.66	4.16
23	33-सामान्य प्रशासन विभाग	411.62	297.99	113.63	0.62
24	35-योजना एवं विकास विभाग	930.96	174.01	756.95	14.13
25	37-ग्रामीण कार्य विभाग	871.92	727.96	143.96	0.14
26	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	147.95	100.79	47.16	4.51
27	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	593.18	493.06	100.12	32.55
28	42-ग्रामीण विकास विभाग	1742.92	1667.03	75.89	145.80
29	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	92.33	60.27	32.06	2.47
30	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1016.92	869.43	147.49	42.03
31	45-गन्ना उद्योग विभाग	110.84	88.54	22.30	5.51
32	46-पर्यटन विभाग	25.27	16.71	8.56	0.89
33	47-परिवहन विभाग	39.06	33.45	5.61	2.73
34	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2114.91	1717.44	397.47	422.49
35	49-जल संसाधन विभाग	818.85	718.74	100.11	28.35
36	50-लघु जल संसाधन विभाग	498.02	342.55	155.47	512.67
37	51-समाज कल्याण विभाग	4133.31	3913.51	219.80	1104.28
योग राजस्व (दत्तमत)		**60983.54**	**49601.44**	**11382.10**	**7530.75**
योग राजस्व (दत्तमत+ भारित)		**66889.75**	**55183.02**	**11706.73**	**7536.37**

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ब. पूँजीगत (दत्तमत)					
38	3-भवन निर्माण विभाग	1057.54	953.42	104.12	555.40
39	4-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	9.07	5.33	3.74	3.00
40	9-सहकारिता विभाग	70.84	64.11	6.73	17.54
41	12-वित्त विभाग	24.00	10.97	13.03	1450.07
42	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	100.60	76.98	23.62	62.00
43	35-योजना एवं विकास विभाग	974.91	699.97	274.94	1191.00
44	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	38.27	8.74	29.53	200.00
45	41-पथ निर्माण विभाग	4230.22	4083.26	146.96	700.00
46	42-ग्रामीण विकास विभाग	47.00	26.67	20.33	0.54
47	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1.00	1.00	0.00	200.00
48	46-पर्यटन विभाग	82.43	53.34	29.09	51.99
49	49-जल संसाधन विभाग	2500.35	1603.43	896.92	956.64
50	50-लघु जल संसाधन विभाग	221.70	196.25	25.45	82.66
योग पूँजीगत (दत्तमत)		**9357.93**	**7783.47**	**1574.46**	**5470.84**
महायोग		**76247.68**	**62966.49**	**13281.19**	**13007.21**

(स्त्रोतः राज्य का विनियोग लेखा, 2013–14)

परिशिष्ट– 2.5

(संदर्भः कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 40)
निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियो–जन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-001-0001- निर्देशन	8.00	0.15	6.74	0.21	1.20
2		2401-00-103-0001- बीजगुणन खेती	12.94	1.77	12.85	1.68	0.18
3		2401-00-109-0103- बाढ़ एवं सुखाड़ की आपातकालिन योजना	366.59	80.86	333.87	100.45	13.13
4	2	2404-00-001-0001- मुख्यालय स्थापना	2.65	0.02	2.25	0.34	0.08
5		2405-00-001-0102- मत्स्य प्रसार	4.00	2.50	2.05	4.41	0.04
6	3	2059-80-001-0001- निर्देशन	13.57	0.08	0.00	1.73	11.92
7		4059-80-051-0109- बिहार राज्य न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान हेतु छात्रावास का निर्माण (विधि विभाग के लिए)	0.00	5.73	3.02	0.21	2.50
8	4	2070-00-115-0001- राजकीय अतिथिशाला	0.42	0.08	0.37	0.10	0.03
9	6	2015-00-105-0001- लोक सभा का आम चुनाव	5.00	2.05	6.33	0.60	0.12
10		2015-00-106-0002- राज्य विधान परिषद् का द्विवार्षीक चुनाव	0.01	1.12	1.03	0.08	0.02
11	12	7610-00-202-0001- सरकारी सेवको को मोटरगाड़ी खरीदनें के लिए अग्रिम	4.00	1.00	4.21	0.48	0.31
12	13	2049-60-701-0003- विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय	4.00	7.00	8.78	0.00	2.22
13		2049-60-701-0005- सभी तरह के पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) और मृत्यु सहनिवृत्ति उपादान के बकाये राशि के विलंबित भुगतान पर कानूनी फैसले के अनुसार ब्याज का भुगतान	0.10	0.05	0.04	0.00	0.11
14	15	2071-01-102-0001- उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्यों का भुगतान	14.92	200.00	182.10	0.00	32.82
15		2071-01-115-0002- 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	50.50	1000.00	848.83	0.00	201.67
16		2071-01-117-0001- अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान	179.98	50.00	214.50	0.00	15.48
17	18	3456-00-001-0002- जिला प्रभार	41.32	16.67	41.14	15.75	1.10
18		3456-00-102-0004- पी0डी0एस0 का कम्प्यूटरीकरण	5.84	2.00	1.85	2.15	3.84
19	19	2406-01-001-0001- निदेशन तथा प्रशासन	11.95	0.11	11.10	0.37	0.59
20		2406-01-789-0101- अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	11.07	1.30	6.06	0.00	6.31

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियो–जन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	19	2406-02-110-0106- बाल्मिकी नगर व्याघ्र योजना (50% राज्य सरकार)	1.00	1.03	1.13	0.04	0.86
22	20	2210-01-110-0010- इंदिरा गाँधी हृदयरोग संस्थान पटना	24.50	1.00	18.40	7.06	0.04
23		2210-01-110-0013- सदर अस्पताल	172.41	30.80	182.87	19.65	0.69
24		2210-05-105-0001- पटना मेडिकल कॉलेज	60.08	0.16	50.73	8.13	1.38
25		2210-05-105-0005- नालन्दा मेडिकल कॉलेज	26.01	3.95	26.82	2.46	0.68
26		2210-05-105-0007- मगध मेडिकल कॉलेज,	18.74	4.15	19.32	3.42	0.15
27		2210-05-105-0012- नर्स प्रशिक्षण	6.02	0.35	5.26	1.10	0.01
28		2210-05-105-0022- वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, पावापुरी	11.09	0.60	7.12	4.56	0.01
29		2210-05-105-0023- राजकीय मेडिकल कॉलेज बेतिया	10.11	1.00	9.49	1.40	0.22
30	21	2202-01-197-0002- प्रखंड एवं शारीरिक शिक्षकों का समेकित भुगतान	526.73	30.00	484.49	69.23	3.01
31		2202-02-001-0002- जिला शिक्षा पदाधिकारी और अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	28.46	1.10	26.14	2.82	0.60
32		2202-02-107-0107- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजनाएँ	75.00	51.26	118.03	6.76	1.47
33		2202-03-107-0104- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	25.00	22.00	33.81	11.02	2.17
34	22	2052-00-090-0006- गृह विभाग (पुलिस)	3.45	0.06	3.22	0.00	0.29
35		2055-00-001-0001- निरीक्षण	27.87	1.66	24.88	0.00	4.65
36		2055-00-003-0002- प्रशिक्षण विद्यालय, नाथगर	10.63	0.04	10.52	0.00	0.15
37		2055-00-003-0006- बिहार पुलिस अकादमी	6.14	0.33	5.90	0.00	0.57
38		2055-00-101-0001- आपराधिक जाँच विभाग	121.33	4.08	116.63	0.00	8.78
39		2055-00-104-0002- पैदल सैन्य पुलिस	554.64	10.50	472.48	0.00	92.66
40		2055-00-104-0003- विशेष जाँच आयोग	39.00	5.72	37.74	0.00	6.98
41		2055-00-109-0017-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय	10.53	3.00	8.87	0.00	4.66
42		2055-00-113-0001-चिकित्सालय व्यय	7.57	0.61	5.92	0.00	2.26
43		2055-00-113-0004- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार ने)	6.62	1.70	8.15	0.00	0.17
44		2055-00-114-0002- कम्प्यूटर	1.56	0.09	1.32	0.00	0.33
45		2056-00-101-0002- जिला कारागार	78.15	0.16	70.28	7.10	0.93
46		2056-00-102-0001- केन्द्रीय कारागार	13.96	0.24	13.94	0.04	0.22
47		2070-00-105-0014- कोसी बाँध कटाव न्यायीक जाँच आयोग	0.51	0.32	0.74	0.07	0.02

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
48	22	2070-00-105-0016- मधुबनी पुलिस गोली कांड के लिए न्यायिक जाँच आयोग	0.40	0.23	0.44	0.17	0.02
49		2070-00-107-0001- ग्रामीण	172.72	0.15	161.59	10.77	0.51
50	27	2014-00-114-0001-विधि सलाहकार और परामर्शदाता	6.52	0.20	6.06	0.59	0.07
51		2014-00-114-0003- सरकारी मुकदमा	45.77	6.50	48.00	4.19	0.08
52	33	2053-00-101-0001- मुख्य कार्यालय	20.59	1.00	15.01	6.03	0.55
53		2070-00-115-0003- अतिथिशाला	10.14	1.50	7.21	4.34	0.09
54	35	2053-00-094-0109- जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्कताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	5.46	1.49	3.73	0.00	3.22
55		3454-02-204-0002- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	15.95	0.26	11.94	4.00	0.27
56	37	4515-00-103-0101- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	254.94	185.00	359.25	75.00	5.69
57	39	2070-00-106-0002- जिला स्तरीय व्यय	0.77	0.05	0.71	0.07	0.04
58		2245-02-101-0001- निः सहायों एवं विकलांगों को नकद भुगतान	160.00	45.50	159.00	37.79	8.71
59		2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान	5.00	3.50	4.07	3.81	0.62
60		2245-02-101-0010- वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	2.00	1.00	2.65	0.27	0.08
61		2245-02-118-0001- क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मती/नये नावों का निर्माण	6.26	0.90	3.94	3.06	0.16
62	40	2052-00-099-0001- सामान्य विभाग	3.17	0.02	2.74	0.44	0.01
63	41	3054-03-052-0001- मशीनरी तथा उपस्कर	4.10	1.50	3.94	1.23	0.43
64	47	2041-00-101-0002- मोटर वाहनों पर अधिप्त्य	23.17	0.70	21.09	2.08	0.70
65		2052-00-090-0035- परिवहन विभाग	1.35	0.05	1.29	0.06	0.05
66	49	2700-01-001-0001- स्थापना	49.60	0.03	43.75	5.64	0.24
67		2700-01-101-0002- अन्य रख रखाब व्यय	19.00	1.25	13.04	6.50	0.71
68		2700-02-001-0001- स्थापना	80.59	0.04	74.59	5.79	0.25
69		2701-04-001-0001- स्थापना	30.85	0.01	28.34	2.37	0.15
70		2711-03-001-0001- क्षेत्रीय स्थापना	24.65	0.02	22.13	2.36	0.18
71		3451-00-090-0009- जल संसाधन विभाग	14.02	0.27	13.06	1.19	0.04
72	50	2702-03-103-0002- राजकीय नलकूप	214.79	23.09	155.24	59.63	23.01
योग			**3775.78**	**1822.66**	**4614.13**	**510.80**	**473.51**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, (अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर) बिहार सरकार, 2013–14)

परिशिष्ट- 2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 40)

निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-001-0106- परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण (नई राज्य योजना कार्यक्रम)	7.00	4.02	0.72	2.23	0.03
2		2401-00-108-0114- इंटिग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्सेज पाम ऑयल एवं मेज (आइसापोम 75:25)	6.00	2.09	0.50	1.00	2.41
3		2401-00-109-0001- प्रमण्डलीय जिला एवं अनुमण्डलीय स्थापना	172.95	117.67	16.01	37.32	1.95
4		2401-00-109-0106- इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट (नई योजना)	148.73	64.88	6.34	73.20	4.31
5		2401-00-789-0104- जैविक खेती का उन्नयन	106.98	20.13	28.47	53.59	4.79
6		2401-00-789-0106- इन्टेन्सिफाईड फिल्ड डेबलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	28.67	10.60	1.22	14.11	2.74
7		2401-00-796-0132- जैविक खेती का उन्नयन	4.00	1.09	0.11	2.33	0.47
8	3	2059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक व्यय	9.00	1.65	2.25	4.98	0.12
9		2059-80-053-0001- रख–रखाव तथा मरम्मत	219.50	194.77	5.20	18.92	0.61
10		4216-01-700-0105- न्यायिक आवासीय भवनें	33.76	8.37	5.73	19.38	0.28
11	4	2013-00-104-0001- अतिथिगृह व्यय	0.35	0.16	0.09	0.02	0.08
12	6	2015-00-103-0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	37.10	34.42	1.12	1.51	0.05
13	12	7610-00-201-0001- सरकारी सेवक को भवन निर्माण अग्रिम	7.00	4.51	1.00	1.48	0.01
14	13	2049-01-101-0001- बिहार राज्य विकास ऋण पर ब्याज	2350.17	2081.02	7.08	0.00	262.07
15	15	2071-01-101-0001- 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को भुगतान	5056.50	702.73	1200.00	2500.00	653.77
16		2071-01-102-0002- 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया पेंशन का भुगतान	565.33	388.41	50.00	0.00	126.92
17	16	2515-00-198-0009- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	614.38	597.65	0.92	0.18	15.63
18		2515-00-198-0010- ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	45.45	17.32	0.40	27.14	0.59
19	18	3451-00-090-0011- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	6.39	4.96	1.17	0.21	0.05

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	19	2406-01-789-0102- नहर तट फार्म	8.19	5.74	0.66	0.11	1.68
21		2406-01-789-0103- पथ तट फार्म	9.19	6.08	0.64	0.20	2.27
22	20	2210-01-001-0001- अधीक्षण	13.79	8.77	1.65	2.10	1.27
23		2210-01-001-0002- जिला चिकित्सा पदाधिकारी	32.91	24.89	0.24	7.34	0.44
24		2210-01-110-0008- श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर	37.67	34.39	0.16	2.80	0.32
25		2210-03-101-0003- स्वास्थ्य उप–केन्द्र	66.58	43.93	3.49	19.14	0.02
26		2210-05-105-0009- दंत चिकित्सालय पटना	5.05	2.64	0.35	1.50	0.56
27		2210-05-105-0017- इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान पटना	75.50	50.00	9.10	0.00	16.40
28		2210-05-105-0024- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय	6.71	0.10	1.60	4.20	0.81
29		2210-06-101-0003- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	33.76	25.87	0.23	7.50	0.16
30		2210-06-107-0001- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	3.81	3.40	0.02	0.36	0.03
31	21	2202-01-101-0001- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	5410.51	3585.64	32.80	1762.26	29.81
32		2202-01-112-0002- मध्याह्न भोजन योजना	3.76	2.28	0.74	0.71	0.03
33		2202-02-196-0001- नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	213.60	145.02	4.00	64.08	0.50
34		2202-04-200-0001- जिला शिक्षा कार्यालय	10.38	5.13	1.77	3.39	0.09
35	22	2055-00-001-0009- अर्द्धसैनिक बलों के प्रतिनियुक्ति पर व्यय	295.00	271.81	2.05	0.00	21.14
36		2055-00-109-0003- वामपंथी उग्रवादियों का प्रत्यार्पण	1.00	0.00	0.09	0.00	0.91
37		2055-00-109-0005- स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस	164.40	114.34	19.36	0.00	30.70
38		2055-00-109-0006- एस0 आर0 ई0 स्कीम के तहत उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ0 पी0 के सुदृढ़ीकरण हेतु	16.00	7.75	1.70	0.00	6.55
39		2055-00-109-0009- एस0 आर0 ई0 योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिये जाने वाले वाहनों/हेलिकॉप्टरों/संचार संसाधन हेतु	13.00	0.04	3.00	0.00	9.96
40	26	2230-01-101-0007- कृषि में न्यूनतम मजदूरी प्रावधान को लागू करना	22.59	16.57	0.03	5.84	0.15
41	27	2014-00-105-0001- सिविल एवं सत्र न्यायालय	466.01	394.91	6.70	63.38	1.02
42	30	2251-00-090-0011- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	3.06	2.97	0.06	0.01	0.02

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	33	2053-00-093-0001- जिला प्रशासन	213.96	155.97	5.50	52.18	0.31
44	35	3454-02-204-0001- प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी	7.00	5.57	0.26	1.16	0.01
45	38	2039-00-001-0002- जिला प्रभार	78.35	41.55	0.03	35.42	1.35
46	39	2245-02-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	8.00	4.10	1.50	2.29	0.11
47		2245-02-101-0004- सूखा प्रभावित व्यक्तियों को वस्त्रों एवं बर्तनों का मुफ्त वितरण	10.00	0.05	2.50	6.56	0.89
48		2245-02-101-0006- आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	1.08	3.75	10.15	0.02
49		2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण	102.35	17.36	12.50	71.10	1.39
50		2245-02-114-0001- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	122.93	88.48	1.25	0.42	32.78
51	41	3054-80-001-0002- पर्यवेक्षण	245.73	178.61	1.50	64.21	1.41
52	42	2216-03-789-0102- इंदिरा आवास योजना	668.62	498.40	167.15	0.00	3.07
53	43	2203-00-103-0001- प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	0.98	0.79	0.03	0.14	0.02
54	49	2700-03-001-0001- स्थापना	161.61	145.64	0.79	14.65	0.53
55		4700-03-051-0102- गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना	308.04	29.00	77.01	134.00	68.03
56		4700-04-051-0102- किऊल बदुआ चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	50.00	19.55	12.50	17.33	0.62
योग			**18324.30**	**10194.87**	**1705.04**	**5112.13**	**1312.26**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, (अनुदान अकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर) बिहार सरकार, 2013–14)

परिशिष्ट– 2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 41)

वर्ष के दौरान प्रचुर अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01-कृषि विभाग	2401-00-001-0102-कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	10.00	0.23	9.77	0.00	97.70
2		2401-00-103-0109- बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	49.80	8.02	41.78	0.00	83.89
3		2401-00-105-0106- जैविक खेती का उन्नयन	305.26	53.77	176.02	75.47	57.66
4		2401-00-109-0106-इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेन्ट एंड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	148.73	64.88	79.54	4.31	53.48
5		2401-00-109-0111- सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस	41.50	5.20	29.05	7.25	70.00
6		2401-00-113-0104- प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कशॉप (मैक्रोमोड 10:90)	50.00	0.07	49.00	0.93	98.00
7		2401-00-789-0104- जैविक खेती का उन्नयन	106.97	20.13	82.05	4.79	76.70
8		2401-00-789-0105- सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस	8.00	0.96	5.60	1.44	70.00
9		2401-00-789-0106-इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेन्ट एंड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	28.67	10.60	15.33	2.74	53.47
10		2401-00-789-0117-बीज उत्पादन कार्यक्रम	9.60	0.98	8.59	0.03	89.48
11		2415-01-004-0107-मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	12.00	3.92	7.99	0.09	66.58
12		2415-01-277-0101- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	10.00	0.29	9.71	0.00	97.10
13		2415-01-277-0111- कृषि महाविद्यालय, किशनगंज	100.00	20.00	80.00	0.00	80.00
14	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-101-0101-अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	75.83	20.31	54.84	0.68	72.32
15		2403-00-104-0102- अवि एवं आजा का पोषण एवं विकास	70.06	0.55	69.50	0.01	99.20
16		2403-00-106-0607- पशुओं की बीमारी के नियत्रण एवं रोकथाम	22.12	1.42	20.70	0.00	93.58
17		2403-00-106-0104- पशुओं की बीमारी के नियत्रण एवं रोकथाम	8.00	2.18	5.79	0.03	72.38
18		2404-00-789-0101- ग्रामीण डेयरी रोजगार रोजनाएँ	12.22	0.47	11.75	0.00	96.15

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2405-00-101-0104- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	60.00	1.25	58.75	0.00	97.92
20		2405-00-101-0116- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	21.80	2.28	19.49	0.03	89.40
21		3454-01-001-0602- पशु गणना	10.00	2.99	6.15	0.86	61.50
22	03-भवन निर्माण विभाग	4059-01-789-0101- अनुसूचित जाति के लिए भवन	30.00	5.12	19.64	5.24	65.47
23		4059-80-051-0604- न्यायिक भवनें	12.74	0.53	11.77	0.44	92.39
24		4216-01-700-0003- लोक निर्माण कार्य	16.00	3.27	12.73	0.00	79.56
25		4216-01-700-0101- अन्य आवास	20.00	2.75	17.25	0.00	86.25
26		4225-80-051-0103- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण	17.69	5.28	9.06	3.35	**51.22**
27		4250-00-051-0105- अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास योजना	30.00	9.56	20.02	0.42	66.73
28		4250-00-051-0605- अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास योजना	150.00	21.94	120.31	7.75	80.21
29	09-सहकारिता विभाग	3451-00-090-0101- सहकारिता विभाग	20.00	1.25	18.75	0.00	93.75
30		6425-00-108-0612- समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंको को ऋण	27.68	5.57	22.11	0.00	79.88
31	10-ऊर्जा विभाग	2801-02-190-0001- बिहार राज्य ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लि0	10.00	3.38	6.62	0.00	66.20
32		4801-02-190-0101- बिहार राज्य ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लि0 की परियोजना (बी0आर0डी0एफ0एस0)	150.00	62.13	87.87	0.00	58.58
33		6801-00-190-0006- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि0 से लिये गए ऋण के सूद का भुगतान हेतु	48.40	10.38	38.02	0.00	78.55
34		6801-00-190-0007- बिहार राज्य ऊर्जा (होल्डिंग) कंपनी को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय प्रकोष्ठ के विद्युत संस्थानों को उपलब्ध करायी गई राशि के विरूद्ध (होल्डिंग) क0लि0 को ऋण	20.70	2.17	18.53	0.00	89.52
35		6801-00-190-0108- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी की संचरण तथा वितरण परियोजना	225.00	73.91	139.69	11.40	62.08

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-190-0111-बिहार राज्य ऊर्जा उत्पादन कंपनी लि0 की परियोजना के लिए ऋण	25.00	10.00	15.00	0.00	60.00
37		6801-00-201-0105-बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड)	63.57	16.79	46.78	0.00	73.59
38	12-वित्त विभाग	2054-00-095-0103-बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन कार्य)	40.00	2.03	37.97	0.00	94.93
39		7610-00-202-0004- मोटर वाहन खरीदने के लिए विधान सभा सदस्यों को अग्रिम	7.00	1.12	5.64	0.24	80.57
40	16-पंचायती राज विभाग	2015-00-109-0002- जिला बोर्ड/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत का चुनाव	10.00	3.27	6.58	0.15	65.80
41		2515-00-198-0010- ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	45.45	17.32	27.54	0.59	60.59
42	17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0005- मिशन मोड प्रोजेक्ट	24.03	7.23	16.80	0.00	69.91
43	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016- मानसिक अस्पताल	10.00	2.09	7.91	0.00	79.10
44		2211-00-003-0604- ए0एन0एम0 स्कूल/एल0एच0 भी0 स्कूल के प्रशिक्षण एवं शोध	15.56	6.73	8.78	0.05	56.43
45		4210-01-110-0111- मेडिकल कॉलेज अस्पताल	103.00	12.52	90.48	0.00	87.84
46		4210-01-110-0113- जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों के नवीकरण एवं निर्माण हेतु	48.00	12.95	35.05	0.00	73.02
47		4210-02-103-0101- रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीकरण एवं निर्माण हेतु	77.00	26.00	51.00	0.00	66.23
48		4210-02-110-0101- आयुष कॉलेज अस्पताल एवं औषधालय	25.00	5.30	19.70	0.00	78.80
49	21-शिक्षा विभाग	2202-01-001-0106- जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	10.00	1.90	8.07	0.03	80.70
50		2202-01-192-0001- निगम शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	30.92	12.97	17.69	0.26	57.21
51		2202-01-789-0103- सर्व शिक्षा अभियान	636.64	165.04	471.60	0.00	74.08
52		2202-02-001-0101- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	11.27	2.72	7.00	1.55	62.11
53		2251-00-090-0002- प्राथमिक माध्यमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	50.50	4.42	46.08	0.00	91.24
54		4202-01-202-0108- राज्य प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान भवन	30.00	5.79	24.21	0.00	80.70
55	22-गृह विभाग	4055-00-050-0101-पुलिस स्टेशन/चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण	25.00	5.69	15.00	4.31	60.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	22-गृह विभाग	4070-00-051-0101-बिहार अग्निशमक सेवा के लिए भवन निर्माण	15.00	4.95	10.00	0.05	66.66
57		4070-00-051-0103-केन्द्रीय/अनुमंडलीय/सदर/उप कारागार के लिए भवन निर्माण (कारा विभाग, गृह)	10.00	4.37	5.63	0.00	56.30
58	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-202-0108- राज्य डाटा केन्द्र	19.62	0.02	19.60	0.00	**99.90**
59		3451-00-090-0027- सूचना प्रावैधिकी विभाग	25.30	1.27	24.03	0.00	94.98
60	27-विधि विभाग	2014-00-106-0001- वित्त आयोग के अनुशंसा पर सुबह, शाम, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं शिफ्ट न्यायालयों का गठन	42.86	1.73	41.13	0.00	95.96
61		2014-00-114-0002- गरीबों के लिए कानूनी सहायता	18.83	7.11	11.63	0.09	61.76
62	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0103-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति	13.00	1.07	11.87	0.06	91.31
63		4250-00-051-0103-अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास योजना	27.00	9.08	14.91	3.01	55.22
64	33-सामान्य प्रशासन विभाग	2051-00-103-0001- बिहार कर्मचारी चयन आयोग	23.54	8.41	15.12	0.01	64.23
65	35- योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0620- भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	40.21	3.69	36.52	0.00	90.82
66		4515-00-101-0105- पंचायत सरकार भवनों का निर्माण वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग)	428.43	152.89	269.83	5.71	62.98
67		4515-00-102-0101-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ों जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना	264.00	110.44	144.00	9.56	54.55
68	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2235-01-200-0004- कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहायता अनुदान	10.00	0.01	9.99	0.00	99.90
69		2245-02-101-0015- बाहरी राज्यों में रहने वाले प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता अनुदान	10.00	0.27	9.63	0.10	96.30
70		2245-02-102-0001- पेयजल की आपूर्ति	7.00	0.00	6.86	0.14	98.00
71		2245-02-104-0001- चारे की आपूर्ति	12.50	0.33	12.13	0.04	96.96
72		2245-02-105-0001- पशुओं के लिए दवा	7.25	0.05	7.20	0.00	99.31

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
73	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-109-0001- खराब जल–पूर्ति, जल–निकास तथा मल–जल निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	12.00	1.11	10.18	0.71	84.83
74		2245-80-102-0104- राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स	18.00	7.34	10.44	0.22	58.00
75		2245-80-102-0105- जागरूकता एवं क्षमता विकास	8.45	0.06	8.39	0.00	99.29
76		2245-80-800-0102- जागरूकता एवं कौशल विकास	13.05	1.23	11.80	0.02	90.42
77	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3454-01-101-0002- जनगणना स्थापना 2011	14.02	5.33	8.11	0.58	57.85
78		4047-00-789-0101- भूमि अधिग्रहण हेतु	30.50	7.32	22.94	0.24	75.21
79	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-0006-राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना–निदेशन	50.00	0.00	32.62	17.38	65.24
80	42- ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-101-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन	44.40	12.44	31.96	0.00	71.98
81		2501-06-789-0101- स्वर्ण जयती ग्राम स्वरोजगार योजना	8.41	0.00	6.31	2.10	75.03
82		2501-06-789-0102- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन	47.87	3.59	32.31	11.97	67.50
83	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-104-0403- नई पॉलिटेक्निकों की स्थापना एवं वर्तमान पॉलिटेक्नीकों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण	48.40	4.12	44.28	0.00	91.49
84		4202-02-789-0101- पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिगं/तकनीकी महाविद्यालय	21.47	5.96	15.51	0.00	72.24
85	45- गन्ना उद्योग विभाग	2401-00-789-0108- गन्ना विकास	11.19	3.33	7.77	0.09	69.44
86	46-पर्यटन विभाग	3452-80-800-0102- पर्यटकीय सांचनाओं का निर्माण	13.50	5.27	8.22	0.01	60.89
87		5452-01-102-0101-नालंदा धरोहर पर्यटन योजना	12.50	4.04	7.50	0.96	60.00
88		5452-80-800-0103- पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण	119.53	46.91	70.38	2.24	58.88
89	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2015-00-109-0001- नगर निगमों/नगर परिषदों एवं नगरपंचायतों का चुनाव	10.00	0.14	9.80	0.06	98.00
90		2217-03-191-0104- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना	40.00	4.80	35.20	0.00	88.00
91		2217-03-192-0107- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन परियोजना	49.85	12.55	37.30	0.00	74.82
92	49-जल संसाधन विभाग	4700-01-051-0101- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	63.20	19.19	43.82	0.19	69.34
93		4700-01-051-0103-कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)(नाबार्ड)	24.67	9.19	13.21	2.27	53.55

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94	49-जल संसाधन विभाग	4700-01-789-0101- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना	63.27	19.48	38.70	5.09	61.17
95		4700-03-051-0102- सोन बेसिन (कार्य) (ए0आई0वी0पी0) की सिंचाई परियोजना	308.04	29.00	211.01	68.03	68.50
96		4700-04-051-0103- गंडक चान्दन (कार्य) (नावार्ड) हेतु सिंचाई परियोजना	15.00	6.68	8.14	0.18	54.27
97		4700-80-051-0101- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	345.41	85.16	260.01	0.24	75.28
98		4701-03-051-0103- सोन बेसिन (कार्य) हेतु सिंचाई परियोजना	21.60	6.33	15.27	0.00	70.69
99		4701-04-051-0101- गंडक–कियूल–बहुआ चान्दन (कार्य) बेसिन की सिंचाई योजना	9.52	1.56	7.35	0.61	77.21
100		4701-04-789-0101- गंडक किउल बडुआ चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना	17.40	3.15	10.40	3.85	59.77
101		4711-01-051-0408- गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक योजना (नेपाल भाग एवं सीमावर्ती क्षेत्र में नदी प्रबंधन (कार्य) (शत–प्रतिशत केन्द्रांश)	178.00	68.51	104.75	4.74	58.85
102		4711-01-051-0102- जल निस्सरण परियोजना (कार्य)	28.37	2.85	18.17	7.35	64.05
103		4711-01-051-0104- बाढ़ नियत्रंण तटबंध सड़क परियोजना (कार्य)(नावार्ड)	68.00	12.76	52.44	2.80	77.12
104	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-016-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	445.20	25.20	420.00	0.00	94.34
105		2702-02-789-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	84.80	4.80	80.00	0.00	94.34
106		2702-03-102-0005- अन्य रख–रखाव व्यय	13.45	2.64	10.62	0.19	78.96
107		4702-00-101-0103- वाटर वाडीज की मरम्मति,पुनरूद्धार एवं पुर्न स्थापना	25.55	0.75	24.79	0.01	97.02
108		4702-00-102-0102- नई/अधूरी/मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नावार्ड से ऋण	79.26	17.48	59.67	2.11	75.28
109	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0119- मुख्यमंत्री विकलागं सशक्तिकरण योजना (संबल)	40.00	13.16	26.54	0.30	66.35
110		2235-02-102-0615- समेकित बाल संरक्षण योजना	30.00	9.58	20.42	0.00	68.07

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
111	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0618- व्यस्क लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)	134.19	52.94	80.09	1.16	59.68
112		2235-02-102-0105- समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम हेतु	11.00	4.03	6.10	0.87	55.45
113		2235-02-102-0116- परवरिश	10.00	2.00	5.50	2.50	55.00
योग			**6790.32**	**1577.29**	**4920.75**	**292.28**	**72.47**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2013–14)

परिशिष्ट– 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 41)

निधियों का शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1-कृषि विभाग	2401-00-105-0105–उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्राजेक्ट	0.83
2		2401-00-109-0114–एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोशित परियोजना)	0.50
3		2401-00-113-0116–कृषि विस्तार एवं प्रावैधिकी का राष्ट्रीय मिशन (90:10)	20.00
4		2401-00-789-0121–उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्राजेक्ट	0.16
5		2402-00-789-0101–भूमि संरक्षण कार्य	11.20
6		2402-00-796-0108– भूमि संरक्षण कार्य	0.70
7		2415-80-789-0101–उद्यान महाविद्यालय, नालंदा	3.20
8	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-102-0101–फ्रोजेन सीमेन बैंक	105.00
9		2403-00-102-0110–गोशाला विकास की योजना	5.00
10		2403-00-104-0105–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	23.00
11		2403-00-107-0606–चारा बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण की योजना	1.85
12		2403-00-109-0106–राज्य पशुपालन प्रशिक्षण काम्पॅलेक्स	3.00
13		2403-00-113-0104–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.00
14		2403-00-789-0101–बैकयार्ड बकरी पालन योजना	19.42
15		2404-00-102-0112– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.30
16		2404-00-109-0102– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4.70
17		2405-00-101-0101–मत्स्य पालन विकास अभिकरण विश्व बैंक योजनातंर्गत	0.15
18		2405-00-101-0106–मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ।	5.00
19		2405-00-101-0107–मत्स्य अनुसंधान योजना	0.15
20		2405-00-101-0110–मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.15
21		2405-00-101-0112–मत्स्य विपणन योजना	0.05
22		2405-00-101-0601 –मत्स्य पालक विकास अभिकरण	0.45
23		2405-00-101-0603– मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.60
24		2405-00-101-0605–अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास	0.19
25		2405-00-101-0612–मत्स्य विपणन योजना	0.45
26		2405-00-120-0601–मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ	5.00
27		2405-00-789-0101–मछुआरों को सहायता	9.21
28		2415-03-277-0101–बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	20.00
29		4403-00-109-0101–राज्य पशुपालन प्रशिक्षण काम्पॅलेक्स	7.00
30	03-भवन निर्माण विभाग	3053-02-102-0001–हवाई अड्डा	0.50
31		4059-01-051-0112–पशु चिकित्सालय की सुदृढ़ीकरण योजना	3.00
32		4059-01-051-0605- पशु चिकित्सालय की सुदृढ़ीकरण योजना (केन्द्र प्रायोजित)	12.00
33		4059-01-796-0104–जनजातीय क्षेत्र उप योजना	8.10
34		4059-60-051-0101–सचिवालय स्पोर्ट स्टेडियम का निर्माण	6.00
35		4059-60-051-0110– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2.00
36		4059-60-051-0611–बाबु जगजीवन राम छात्रावास योजना	19.00
37		4059-80-051-0002–लघु कार्य	3.75

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (मुख्य लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पन
(1)	(2)	(3)	(4)
38	03-भवन निर्माण विभाग	4059-80-051-0118–आवासीय विद्यालयों एवं पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	1.00
39		4059-80-051-0119–सरकारी भूमि का घेरा	100.00
40		4216-01-700-0001–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.05
41		4216-01-051-0602–न्यायिक आवासीय भवनों	3.25
42		4216-80-101-0001–निमार्ण के पूर्व के आंरभिक कार्य	0.10
43		4235-02-104-0101–वृद्धाश्रम	2.00
44		5452-01-101-0103–पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	2.45
45	04-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2052-00-090-0147–सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय	0.35
46		2052-00-092-0103– 20 सूत्री कार्यकम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्यस्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भतें।	0.55
47		2070-00-001-0103–जन शिकायत निवारण व्यवस्था	24.81
48	09-सहकारी विभाग	2401-00-789-0110–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत किसानों को बीमित फसलों को क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	0.40
49		2425-00-003-0102–विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये अनुदान	0.06
50	10-ऊर्जा विभाग	2801-05-190-0004–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0	5.00
51		2801-05-190-0005–साउथ बिहार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि0	10.00
52		4801-05-190-01017–पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना	1104.76
53	11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0107–विद्यार्थियों हेतु छात्रावास मुख्य निर्माण कार्य (50:50)	1.00
54		2225-03-277-0108–छात्राओं हेतु छात्रावास मुख्य निर्माण कार्य (50:50)	1.00
55		2225-03-277-0606–छात्रों हेतु छात्रावास मुख्य निर्माण कार्य	1.00
56		2225-03-277-0607–छात्राओं हेतु छात्रावास मुख्य निर्माण कार्य	1.00
57	12-वित्त विभाग	2204-00-104-0005– अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतियोगिता आयोजन के लिए सचिवालय स्पोर्ट कल्ब को सहायता अनुदान	0.07
58		4058-00-103-0101–मशीनरी और उपस्कर– सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना	2.00
59		7610-00-201-0002–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम	0.50
60	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-001-0101–पंचायत मुख्यालय की स्थापना	0.05
61	17-वाणिज्यिक कर विभाग	2040-00-003-0001–बिहार वित्त सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय	0.10
62	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-102-0102–वी0पी0एल परिवारों को राज्य की अधिप्राप्ति व्यवस्था से खाद्यान्न की आपूर्ति	175.00
63		3456-00-191-0101–निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	0.50
64		3456-00-192-0101– निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	7.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (मुख्य लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पन
(1)	(2)	(3)	(4)
65	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-193-0101– निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	7.25
66		3456-00-198-0101–गठित समिति के गैर सरकारी सदस्य	10.00
67		6408-01-101-0101–खाद्य एवं असौनिक आपूर्ति निगम को ऋण	578.50
68	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0109–संजय गांधी जैविक उद्यान (50:50) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना।	0.25
69		2406-02-110-0122–डॉल्फिन रिसर्च सेन्टर	28.06
70		2406-02-110-0603–अन्य उद्यान संजय गाँधी जौविक उद्यान (शत प्रतिशत के0 प्रा0यो)	0.50
71		2406-02-110-0615–वाल्मिकी नगर ब्याघ्र योजना इको डेवलपमेंट	0.25
72		2406-02-110-0620–पशु विहार का विकास	0.10
73		2406-02-111-0601–अन्य उद्यान	0.25
74	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-001-0107–क्षमता निर्माण	0.48
75		2210-01-110-0019–रोगी कल्याण समिति	2.00
76		2210-05-105-0015–शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति	0.10
77		2210-05-105-0016–नामांकन पर्यवेक्षण समिति	0.10
78		2210-05-200-0101–इंदिरा गांधी आर्युवेदिक रोग संस्थान पटना को सहायता अनुदान	57.00
79		2211-00-001-0601–निदेशन	0.10
80		4210-01-050-0101–शहरी चिकित्सा संस्थानों के लिये भू–अर्जन	4.00
81		4210-01-110-011–इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना	4.00
82		4210-01-110-0112–मेडिकल कॉलेज अस्पताल (वाह्य सहायता योजना)	15.00
83		4210-02-050-0101–ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों के लिये भू–अर्जन	1.00
84		4210-02-051-0101–स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण (नावार्ड संपोशित योजना)	15.00
85		4210-03-050-0102–अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के लिए भू–अर्जन	0.20
86		4210-03-105-0111–दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल	4.00
87		4210-03-105-0113–चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुसंधान	1.25
88	21-शिक्षा विभाग	2202-01-101-0111–उपकरण	0.85
89		2202-01-789-0101–उपकरण	0.15
90		2202-02-001-0106–समन्वित विकलांग शिक्षा परियोजना	0.75
91		2202-02-109-0107–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	105.00
92		2202-02-109-0605–आई0टी0सी0 परियोजना	10.00
93		2202-02-109-0606–छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना	70.00
94		2202-02-109-0607–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	210.00
95		2202-03-103-0101–राजकीय महिला महाविद्यालय	5.00
96		2202-03-800-0002–अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड (सहायता अनुदान)	0.06
97		2202-80-004-0108–ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट	2.00
98		2205-00-105-0011–राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि में राज्य सरकार का अनुदान	0.40
99	23-उद्योग विभाग	2408-01-103-0101–राष्ट्रीय मिशन खाद्य प्रसंस्करण	2.00
100		2408-01-103-0601– राष्ट्रीय मिशन खाद्य प्रसंस्करण	2.86

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (मुख्य लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पन
(1)	(2)	(3)	(4)
101	23-उद्योग विभाग	2852-80-102-0110–औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान,पटना,मुजफ्फरपुर,दरभंगा	14.40
102		2852-80-102-0150–केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रावैधिकी संस्थान की स्थापना	0.30
103		2852-80-102-0164–बिहार उत्पादन (फाउन्डेशन)	3.25
104		2852-80-789-0103–केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रावैधिकी संस्थान की स्थापना	0.05
105		6885-01-190-0110–बिहार राज्य वित्त निगम को ब्याज मुक्त ऋण	0.05
106		6885-01-190-0113–बिहार राज्य फिल्म विकास निगम	0.05
107	25-सूचना प्रावौधिकी विभाग	2852-07-202-0101–राष्ट्रीय ई–शासन योजना कॉमन सर्विस सेन्टर	6.00
108		2852-07-202-0102–मुख्यमंत्री सचिवालय में जन शिकायत कोषांग	2.00
109		2852-07-202-0103–ई–शासन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	3.00
110		2852-07-202-0104–ई–क्रय योजना	1.00
111		2852-07-202-0105–राज्य की पोर्टल योजना	2.00
112		2852-07-202-0106–ज्ञान सिटी परियोजना	25.00
113		2852-07-789-0101–राष्ट्रीय ई–शासन योजना कामँन सर्विस सेन्टर	1.00
114		2852-07-789-0102–राज्य डाटा सेन्टर	1.34
115		2852-07-789-0103–ई–शासन राज्य योजना	3.07
116		2852-07-789-0104– सूचना प्रावैद्यिकी संबंधी प्रचार प्रसार योजना	1.20
117		3451-00-090-0118– सचिवालय का स्थानिय नेटवर्क	15.00
118		3451-00-090-0131– सूचना प्रावैद्यिकी विभाग का जीर्णोद्वार एवं आधुनिकीकरण	3.00
119		4859-02-004-0101–बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	40.00
120		4859-02-789-0101– बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	1.00
121	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-01-101-0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.30
122		2230-03-003-0128–भविष्य में कुशल श्रम शक्ति की आकलन के लिये अध्ययन	0.05
123	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250-00-003-0101–अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों के लिए प्रशिक्षण	0.10
124		2250-00-800-0107–वक्फ संपति के रख रखाव सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु	0.20
125		2250-00-800-0108–वक्फ संपति विकास हेतु वक्फ बोर्ड की रिवौलविंग फंड के रूप में सहायता अनुदान	0.20
126	33-सामान्य प्रशासन विभाग	2070-00-001-0004–सुशासन केन्द्र सोसायटी	5.74
127	35-योजना एवं विकास विभाग	2235-01-202-0105–आपात कालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	404.04
128		2235-01-202-0106–आपात कालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत जीविका परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	150.00
129		3454-02-204-0605–न्यायिक सर्वेक्षण के अतंर्गत लघुसिंचाई परियोजनाओं की गणना	2.90
130		3454-02-205-0602–स्थानीय विकास एवं सर्वेक्षण	2.00
131		3454-02-206-0101–वित्त आयोग यू0आई0डी0 कार्यक्रम	54.84

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (मुख्य लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पन
(1)	(2)	(3)	(4)
132	35-योजना एवं विकास विभाग	4070-00-789-0103–मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	63.00
133		4515-00-789-0105–एकीकृत कार्य योजना	66.00
134		5475-00-112-0601–भारतीय सांखियकी का सुद्धढ़ीकरण योजना	52.00
135	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-02-003-0102–राज्य जल स्वच्छता मिशन के प्रशिक्षण–सह–शोध केन्द्र के अनुश्रवण एवं अन्य कार्यो हेतु अनुदान	0.50
136		4251-01-102-010–20,000 आबादी तक के ग्रामक्षेत्र /उप नगरीय क्षेत्र	0.50
137		4251-01-102-0121–उप नगरीय/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	1.00
138		4251-01-102-0125–जलगुणवत्ता का अनुश्रवन एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	0.25
139		4251-01-102-0126–प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	0.10
140		4251-01-796-0109–ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलपूर्ति के लिए संस्चना के विकास हेतु नावार्ड से ऋण	0.38
141		4251-01-796-0115–ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.55
142	37-ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-103-0114–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	400.00
143	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2039-00-001-0007–उत्पाद दुकानों के बंदी के लिए मुआवजा	0.20
144	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0001–निः सहायों एवं विकलांगों को नकद भुगतान	30.00
145		2245-01-101-0002–खाद्यान्न की आपूर्ति	10.00
146		2245-01-101-0003–संतप्त परिवारों का अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.10
147		2245-01-101-0006–अन्य कार्य (कृषि विभाग के कृषि इनपुट हेतु अनुदान	13.00
148		2245-01-104-0001–चारे की पूर्ति	1.00
149		2245-01-105-0001–पशुओं के लिए दवा	0.50
150		2245-02-101-0011–नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि का क्षरण	2.00
151		2245-02-101-0012–विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्विंटल खद्यान्न का सुरक्षित भंडार	5.34
152		2245-02-101-0013–ग्रामीण विकास विभाग को स्वरोजगार योजना के लिए नकद भुगतान	0.10
153		2245-02-101-0014–शीत लहर एवं पाला से बचाव हेतु	0.10
154		2245-02-107-0001–सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं प्रतिष्ठापन	0.10
155		2245-02-108-0001–सरकारी आवासिय भवनों की मरम्मती/पुनः स्थापना	0.10
156		2245-02-112-0004–संचार उपकरणों का क्रय	1.00
157		2245-02-114-0002–वार्षिक फसलों के लिए अनुदान	0.50
158		2245-02-114-0003–कृषि फसलों के लिए अनुदान	0.50
159		2245-02-114-0004–बागवानी फसलों के लिए अनुदान	0.10
160		2245-02-114-0005–शाश्वत फसलों के लिए अनुदान	0.10
161		2245-02-115-0001–भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	0.50

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (मुख्य लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पन
(1)	(2)	(3)	(4)
162	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-115-0002–मत्स्य क्षेत्र से गाद बालू आदि का निकासन	0.10
163		2245-02-116-0001–खराब ट्यूबोलों की मरम्मति के लिए किसानों को अनुदान	0.10
164		2245-02-117-0001–बाढ़/सूखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	1.00
165		2245-02-119-0001–पारम्परिक हस्तशिल्प बुनकरों को करघा उपकरणों की मरम्मति/पुर्न स्थापना हेतु सहायता	0.05
166		2245-02-119-0002–सूत एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.05
167		2245-02-119-0003–हस्तकरधा बुनकरों को सहायता अनुदान	0.13
168		2245-02-122-0001–क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मति	5.00
169		2245-02-196-0001–जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	0.05
170		2245-02-197-0001–प्रखंड स्तरीय पंचायत/मध्य स्तरीय पचांयत को सहायता अनुदान	0.05
171		2245-02-282-0003–चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी0एल0ओ0 की आपूर्ति	1.00
172		2245-02-282-0004–कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार का आपूर्ति	0.44
173		2245-02-800-0007–गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहाय्य सामग्री के परिवहन तथा हथालन पर होने वाले व्यय	0.10
174		2245-02-800-0008–क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु	2.33
175		2245-06-113-0001–भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति पुर्नस्थापना	0.05
176		2245-80-001-0103–आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	1.65
177		2245-80-003-0001–आपदा प्रशिक्षण पर व्यय	0.05
178	40-राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग	2029-00-104-0004–जमींदारी उन्मूलन बाँध पटना	0.42
179		2070-00-800-0022–बिहार राज्य मेला प्राधिकार	0.43
180		4047-00-050-0106–भूमि बैंक योजना	200.55
181		4047-00-051-0104–भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायलय कक्ष का निर्माण	1.22
182	41-सड़क निर्माण विभाग	3054-05-102-0101–रेलवे के रेल–सह सड़क सेतु परियोजना	300.00
183	42-ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0104–इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	20.00
184		2216-03-105-0105–मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास संवृद्धि योजना	25.00
185		2501-01-001-0104–रि–इंजीनियरिंग का निगरानी प्रकिया	9.00
186		2515-00-003-0101–बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	3.50
187		2515-00-102-0116– बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुद्धढ़ीकरण परियोजना (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	0.54
188		4515-00-102-0102–बिहार एकीकृत संस्थान सामाजिक सुरक्षा सुद्धढ़ीकरण परियोजना (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	0.54
189	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-004-0001–अनुदान और अनुसंधान छात्रवृत्ति	0.35
190		2203-00-112-0103–तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)	1.50

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (मुख्य लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पन
(1)	(2)	(3)	(4)
191	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-112-0603– तकनीकी शिक्षा गुण्वत्ता उन्नयन कार्यक्रम (केन्द्र प्रायोजित योजना)	4.50
192	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-190-0001–प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय वृत्तियॉ	2.00
193		2225-01-277-0606–अस्वच्छ कार्यो में लगे वैसे व्यक्तियों जैसे झाड़ुबदार एवं चर्मशोधन कार्य, के बच्चों, के मैट्रिकस्तर तक छात्रवृति	1.00
194		2225-01-277-0609–मेरिट विकास कार्यक्रम	0.25
195		2225-01-102-010–अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास–संविधान की धारा 275 (1) अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	11.61
196		2225-01-102-0102–अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	14.37
197		2225-02-277-0601–वजीफा एवं छात्रवृत्तियॉ	0.05
198		2225-02-796-0125–थरुहट क्षेत्रका विकास	50.10
199		2225-02-800-0101–अन्य कल्याण गतिविधि	0.05
200		4225-01-051-0101–आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार	180.00
201		4225-02-277-0101–आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार	20.00
202	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2215-02-796-0104–गंगा जल प्रदूषण का निवारण	0.70
203		2217-01-191-0107–समेकित शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	0.39
204		2217-01-789-0103–जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना	30.00
205		2217-03-191-0107– समेकित शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	45.37
206		2217-03-192-0103– समेकित शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	134.24
207		2217-04-051-0101–राजीव आवास योजना (एन0यू0आर0यू0एम0)	10.00
208		2217-04-193-0101–समेकित आवासीय एवं विकास कार्यक्रम	55.25
209		2217-04-789-0101– समेकित आवासीय एवं विकास कार्यक्रम	29.25
210		2217-05-191-0101–बी0पी0एल0 सूची तैयार करने के लिए परिवारिक सर्वेक्षण	0.10
211		2217-80-800-0126–योजनाओं के अनुश्रवण/मूल्याकंन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र	10.50
212		2217-80-800-0133–जलवाही शौचालय का न्यूनतम मूल्य	0.50
213		3475-00-108-0101–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को सहायता अनुदान	59.50
214	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-789-0101–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	161.31
215		4701-03-051-010–सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (वर्क्स ए0आई0बी0पी0)	5.00
216		4711-01-051-0107–वित्त आयोग की अनुशांसा पर बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ	83.25
217	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0111–विभिन्न संस्थानों के क्षेत्रिय अधिकारियों को प्रशिक्षण	0.20
218		2235-02-101-0418–निःसहाय व्यत्ति एक्ट 1995 को कियान्वन करने के लिये एस0आई0पी0डी0ए0 योजना	5.86

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (मुख्य लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पन
(1)	(2)	(3)	(4)
219	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0120–आई0सी0डी0एस0 प्रणाली पोषण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण योजना बाह्य सम्पोषित	0.92
220		2235-02-102-0620– आई0सी0डी0एन0 प्रणाली पोषण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण योजना बाह्य सम्पोषित	8.25
221		2235-02-103-0110–नारी शक्ति परियोजना	8.50
222		2235-02-103-0111–कन्या बचत योजना	50.00
223		2235-02-104-0105–बाबा आम्टे कुष्ठ कल्याण योजना	4.00
224		2235-02-789-0108–मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	1.70
225		2235-02-789-0109–मुख्यमंत्री कन्या बीमा योजना	10.00
226		4235-02-051-0101–समाज कल्याण प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न भवनों का निर्माण	9.00
227		4235-02-102-0106–पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.50
योग			**5867.24**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2013–14)

परिशिष्ट– 2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 42)

प्रत्येक मामलें में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित न किए गए बचत की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	04- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2053	2.70	1.27	1.43	52.96
2	13- ब्याज भूगतान	2049	421.27	11.01	410.26	97.39
3	14- ऋण अदायगियाँ	6003	102.53	0.00	102.53	100.00
4	22- गृह विभाग	4235	81.02	41.35	39.67	48.96
5	23- उद्योग विभाग	2851	94.56	0.35	94.21	99.63
6	27- विधि विभाग	2250	1.00	0.03	0.97	97.00
7	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250	59.55	0.50	59.05	99.16
8	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202	146.48	12.44	134.04	91.51
9	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4250	71.77	14.91	56.86	79.23
10	35- योजना एवं विकास विभाग	2053	37.15	14.50	22.65	60.97
11	49- जल संसाधन विभाग	2711	16.65	11.54	5.11	30.69
योग			**1034.68**	**107.90**	**926.78**	**89.57**

(स्त्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 42)

31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01	2401- फसल कृषि कर्म	1113.37	486.80	43.72
2		2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	411.62	155.04	37.67
3	02	2403- पशुपालन	428.72	311.29	72.61
4		2404- डेरी विकास	118.00	104.65	88.69
5		2405- मत्स्य पालन	81.80	75.74	92.59
6		2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	20.00	20.00	100
7	03	2059- लोक निर्माण कार्य	329.59	37.91	11.50
8		4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	450.02	223.19	49.60
9		4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	57.00	18.79	32.96
10		4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	69.76	49.36	70.76
11		4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	180.00	140.34	77.97
12	04	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	24.81	24.81	100.00
13	09	3451- सचिवालय– आर्थिक सेवाएँ	20.00	18.75	93.75
14	10	2801- बिजली	10.00	10.00	100.00
15		4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1544.65	287.52	18.61
16		6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	313.57	201.47	64.25
17	11	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	977.34	178.38	18.25
18	12	2052- सचिवालय–सामान्य सेवाएं	52.24	18.38	35.18
19		2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन	40.00	37.97	94.93
20	16	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2961.24	941.60	31.80
21	17	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	111.52	51.16	45.88
22	18	3456- सिविल पूर्ति	799.90	427.95	53.50
23		6408- खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज	578.50	578.50	100
24	19	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	28.06	28.06	100
25	20	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1507.43	295.19	19.58
26		2211- परिवार कल्याण	436.85	92.55	21.19
27		4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	525.00	327.45	62.37
28	21	2202- सामान्य शिक्षा	16106.15	3712.23	23.05
29		2251- सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ	50.50	46.08	91.25
30		4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	703.00	143.60	20.43
31		4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	87.66	41.35	47.17
32	23	2852- उद्योग	514.40	107.48	20.89
33	25	2852- उद्योग	114.62	78.79	68.74
34		3451- सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	40.30	39.03	96.85

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	25	4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	40.00	40.00	100
36	27	2014- न्याय प्रशासन	527.70	116.14	22.01
37	28	2014- न्याय प्रशासन	112.55	31.82	28.27
38	30	2202- सामान्य शिक्षा	13.00	11.87	91.31
39		4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	27.00	14.91	55.23
40	33	2051- लोक सेवा आयोग	23.54	15.12	64.23
41		2053- जिला प्रशासन	316.25	88.27	27.91
42	35	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	554.04	554.04	100
43		3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	195.38	142.15	72.76
44		4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1178.00	807.39	68.54
45		4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	59.00	53.48	90.64
46		4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	758.43	479.83	63.27
47		5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	52.00	52.00	100
48	36	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	325.97	51.39	15.77
49		4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	250.08	34.88	13.95
50	37	2515- अन्य ग्राम विकास कार्य क्रम	236.23	50.50	21.38
51		4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	654.94	475.00	72.53
52	38	2030- स्टांप एवं निबंधन	49.42	13.97	28.27
53		2039- राज्य उत्पाद	78.35	35.42	45.21
54	39	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	13.05	11.80	90.42
55	40	2029- भू–राजस्व	521.39	103.75	19.90
56		4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	30.50	22.94	75.21
57	41	3054- सड़क तथा सेतु	245.73	64.21	26.13
58		5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	3448.33	836.56	24.26
59	42	2216- आवास	20.00	15.00	75.00
60		2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	24.53	15.03	61.27
61		2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	304.52	51.44	16.89
62		4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	47.00	20.33	43.26
63	43	2203- तकनीकी शिक्षा	28.20	22.11	78.40
64		4202- शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	69.87	59.79	85.57
65	44	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण	303.83	84.86	27.93
66		4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	20.00	20.00	100
67	45	2401- फसल कृषि कर्म	58.02	10.72	18.48
68	46	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	119.53	70.83	59.26
69	48	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	140.40	45.21	32.20

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70	48	2217- शहरी विकास	1359.79	701.53	51.59
71		3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	59.50	59.50	100
72	49	2700- मुख्य सिंचाई	191.21	28.83	15.08
73		2705- कमान क्षेत्र विकास	117.20	28.00	23.89
74		4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1309.47	871.91	66.58
75		4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	79.22	38.44	48.52
76		4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1010.02	544.44	53.90
77	50	2702- लघु सिंचाई	102.48	29.80	29.08
78		4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	142.26	74.35	52.26
79	51	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2884.73	768.84	26.65
80		2236- पोषण	1629.26	331.69	20.36
योग			**50539.54**	**17311.50**	**34.25**

(स्त्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 43)

माह मार्च 2014 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	वर्ष 2013–14 का कुल व्यय	माह मार्च 2014 में कुल व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2408	खाद्य भंडारण तथा भंडागार	266.80	250.00	93.70
2	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	28.70	24.31	84.70
3	2506	भूमि सुधार	0.65	0.51	78.46
4	2810	अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत	53.68	33.68	62.74
5	3055	सड़क परिवहन	2.00	2.00	100.00
6	3604	स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	3.85	3.52	91.43
7	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	412.24	213.44	51.78
8	4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	618.15	449.02	72.64
9	4225	अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	6.07	4.02	66.23
10	4401	फसल कृषि कर्म पूँजीगत परिव्यय	10.18	6.89	67.68
11	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	5.00	5.00	100.00
योग			**1407.32**	**992.39**	**70.52**

(स्त्रोतः लेखों पर टिप्पणी 2013–14, बिहार सरकार)

परिशिष्ट- 2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 43)

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामलें में) की असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2011- संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल	103.87	24.59
2	2014- न्याय प्रशासन	580.50	332.13
3	2015- निर्वाचन	63.45	59.31
4	2029- भू–राजस्व	470.74	464.29
5	2030- स्टांप तथा पंजीकरण	54.98	30.74
6	2039- राज्य उत्पाद	45.48	38.57
7	2041- वाहन पर कर	29.77	27.25
8	2049- ब्याज भुगतान	4815.90	4565.04
9	2051- लोक सेवा आयोग	23.22	12.16
10	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ	133.39	51.01
11	2053- जिला प्रशासन	352.42	317.92
12	2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन	51.20	43.78
13	2055- पुलिस	3804.66	837.46
14	2056- जेल	162.77	50.62
15	2059- लोक निर्माण कार्य	385.87	371.48
16	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	269.06	31.98
17	2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9463.50	9119.35
18	2202- सामान्य शिक्षा	14205.21	14100.27
19	2203- तकनीकि शिक्षा	58.28	19.80
20	2204- खेल–कूद तथा युवा सेवाएँ	31.32	29.51
21	2205- कला एवं संस्कृति	48.74	44.90
22	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1752.69	1461.32
23	2211- परिवार कल्याण	360.70	340.34
24	2215- जलापूर्ति एवं सफाई	695.65	603.06
25	2216- आवास	907.85	244.24
26	2217- शहरी विकास	1346.13	828.63
27	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण	2073.60	1843.83
28	2230- श्रम एवं रोजगार	111.13	74.45
29	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2697.84	2231.65
30	2236- पोषाहार	1225.85	716.04
31	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	800.42	793.87
32	2251- सचिवालय सामाजिक–सेवाएं	41.56	26.86
33	2401- फसल कृषि–कर्म	1683.28	405.22
34	2403- पशुपालन	273.41	14.86
35	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	229.49	229.49
36	2408- खाद्य भंडारण तथा भंडागार	266.80	266.80
37	2425- सहकारिता	227.60	174.55
38	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	28.71	23.00
39	2505- ग्राम नियोजन	471.40	469.93
40	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3559.02	3517.27
41	2700- मुख्य सिंचाई	311.71	65.63
42	2701- मध्यम सिंचाई	73.54	39.44

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
43	2702- लघु सिंचाई	339.44	108.14
44	2705- कमांड क्षेत्र विकास	54.08	54.08
45	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	230.52	114.10
46	2801- उर्जा	3182.05	2297.23
47	2852- उद्योग	519.35	307.25
48	3054- सड़क तथा सेतु	1375.10	1196.84
49	3451- सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	61.85	22.19
50	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	83.87	62.11
51	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	15.29	15.29
52	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	457.38	457.38
53	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	415.13	415.13
54	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	447.32	442.37
55	4202- शिक्षा, खेल–कूद कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	752.65	749.74
56	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	460.20	459.44
57	4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	618.15	617.54
58	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	18.51	18.51
59	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	83.24	75.67
60	4406- वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	22.13	22.13
61	4408- खाद्य भंडागार एवं भंडारण पर पूँजीगत परिव्यय	404.05	404.05
62	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	40.61	40.61
63	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1933.51	347.43
64	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	784.57	637.80
65	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	64.13	61.16
66	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	196.25	196.25
67	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	753.96	753.64
68	4801- उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1897.48	62.13
69	5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	4083.25	4083.25
70	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	52.90	30.83
71	5465- सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	25.60	25.60
	योग	**73665.28**	**59020.53**

(स्त्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 44)

नित्य प्रयोजन के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र और क्षेत्रिय विधानमंडल	सात स्कारपिओ और एक मिनी बस का क्रय	0.72
2		संसद/राज्य/क्षेत्रिय विधानमंडल	बिजली विपत्र का भुगतान	0.10
3		संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र और क्षेत्रिय विधानमंडल	लंबित चिकित्सा विपत्रों का भुगतान	0.05
4	2013	मंत्रिपरिषद	यात्रा विपत्र समायोजन	0.20
5	2049	ब्याज भुगतान	एन0सी0डी0सी0 नई दिल्ली से लिए गए ऋण का ब्याज भुगतान	3.32
6	2052	सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	नई गाडियों का क्रय	0.17
7		सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	वेतन एवं पिछले बकाये का भुगतान	0.43
8		सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	14वें वित्त आयोग के स्थापना पर व्यय	0.50
9		सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	संविदागत आधार पर नियुक्ति	0.04
10		सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	कार्यालय एवं टेलीफोन पर व्यय	0.03
11	2053	जिला प्रशासन	38 जिलों में अल्पसंख्यक कार्यालयों की स्थापना हेतु	0.55
12		जिला प्रशासन	अल्पसंख्यक कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वेतन भुगतान	0.81
13	2055	पुलिस	पूर्व में सृजित पदो के विरूद्ध पदस्थापन न होना	0.23
14		पुलिस	पूर्व में सृजित पदो के विरूद्ध पदस्थापन न होना	0.25
15	2056	जेल	विद्युत विपत्रों का भुगतान	0.46
16		जेल	जेल के बिजली विपत्रों का भुगतान	0.90
17	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	कोशी बाँध कटाव के लिए न्यायिक जाँच आयोग का गठन	0.51
18		अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	बगहा पुलिस फायरिंग के लिए न्यायिक जाँच आयोग के गठन पर व्यय	0.45
19		अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	गाड़ियों का रख रखाव एवं विशेष सेवाएँ	0.05
20		अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	किडनी प्रत्यारोपण पर चिकित्सा खर्च	0.20
21		अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	मधुबनी फायरिंग का न्यायिक जाँच	0.35
22		अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	भागलपुर सामुदायिक दंगे का न्यायिक जाँच आयोग	0.63
23	2071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधिशों को गृह भत्ता	0.63
24	2202	सामान्य शिक्षा	छात्रवृति भुगतान	195.24
25		सामान्य शिक्षा	बिहार उर्दू अकादमी का विकास कार्य	0.65
26	2205	कला एवं संस्कृति	प्रेमचंद रंगशाला के विद्युत विपत्र का प्रेषण	0.70
27	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	हार्ट वाल्व का प्रत्यारोपण	0.06
28	2230	श्रम एवं रोजगार	किराए का भुगतान	0.07
29		श्रम एवं रोजगार	मानदेय का भुगतान	0.02

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	2230	श्रम एवं रोजगार	महिला आई0टी0आई की स्थापना एवं कर्मचारियों का भुगतान	0.59
31	2250	अन्य समाजिक सेवाएँ	धार्मिक संगठनों का स्थापना	1.00
32		अन्य समाजिक सेवाएँ	खादीमल हुज्जाज पर व्यय	0.34
33	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	विशेष सेवाओं पर व्यय	0.12
34	2401	फसल उत्पादन	किसानों के लिए डीजल	150.00
35	2406	वानिकी एवं वन्य प्राणी	श्रमिकों को भुगतान	0.20
36		वानिकी एवं वन्य प्राणी	नई गाडियों की क्रय	0.10
37		वानिकी एवं वन्य प्राणी	संजय गाँधी जैविक उद्यान के बिजली विपत्र का भुगतान	0.35
38		वानिकी एवं वन्य प्राणी	नई गाड़ियों की क्रय	0.09
39		वानिकी एवं वन्य प्राणी	वाल्मिकी नगर परियोजना	1.03
40		वानिकी एवं वन्य प्राणी	श्रमिक भुगतान पर व्यय एवं गाडियों का रख रखाव	3.99
41		वानिकी एवं वन्य प्राणी	टेलीफोन एवं व्यवसायिक सेवाओं पर अग्रिम	0.26
42		वानिकी एवं वन्य प्राणी	गाडियों का रखरखाव एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.15
43	2408	खाद्य भंडारण एवं भंडागार	किसानों को बोनस	250.00
44	2506	भूमि सुधार	भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति	0.90
45	2515	अन्य ग्रामीण विकास,योजनाएँ	बिहार सरकार के सचिवालय सहायकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण हेतु	0.12
46	3451	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	टाटा सफारी गाड़ी का क्रय	0.12
47	3454	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	जनगणना सर्वेक्षण	14.02
48	3456	नागरिक आपूर्ति	उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	7.50
49	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	संस्कृति ग्राम के लिए नालंदा में भूमि अधिग्रहण	25.00
50	6003	राज्य सरकार की आन्तरिक ऋण	एन0सी0डी0सी0 नई दिल्ली द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान	1.23
51	6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण	बंद चीनी मिलों का भविष्य निधि अंशदान	24.36
योग				**689.79**

(स्त्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.14

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 44)

बजटीय प्रावधान को व्यपगत से बचाने के लिए धनराशि का आहरण

क्रम सं0	विभाग का नाम	एसी विपत्र पर आहरित राशि की अवधि	एसी विपत्र पर आहरित राशि (₹ करोड़ में)	प्रेषण की अवधि	कोषागार प्रषित अव्यतीत राशि (₹ करोड़ में)	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उप निदेशक (तकनीकी), डी0टी0डी0 उद्योग विभाग, बिहार, पटना	31/03/2005	3.00	20/11/2013	2.62	99
2	अवर सचिव ,भवन निर्माण विभाग पटना	31/03/2005	0.53	24/10/2013	0.04	98
3	अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग पटना	31/03/2005	0.60	22/10/2013	0.08	98
4	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	15/12/2004	0.16	19/02/2013	0.13	94
5	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	31/03/2005	0.05	19/02/2013	0.02	90
6	अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना	31/03/2003	9.35	25/09/2010	1.04	85
7	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य केन्द्र, मुजफ्फरपुर	24/03/2006	1.56	16/08/2013	1.32	84
8	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर	29/03/2006	1.24	14/08/2013	0.57	84
9	एन0डी0सी0,रोहतास	28/03/2006	0.87	29/07/2013	0.08	83
10	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिसवॉ, सिवान	24/03/2006	0.19	15/03/2013	0.07	79
11	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिसवॉ, सिवान	07/08/2006	0.38	15/03/2013	0.01	74
12	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गरखा, सारण	13/09/2006	0.35	13/03/2013	0.01	73
13	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, साहपुर, भोजपुर	27/09/2006	0.54	15/09/2012	0.02	67
14	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा	31/03/2008	7.10	10/07/2013	0.04	58
15	अंचलाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर	28/03/2008	4.50	17/05/2013	4.11	57
16	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायघाट	29/03/2008	9.45	23/04/2013	3.91	56
17	एन0डी0सी0,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	31/03/2008	5.54	16/03/2013	2.76	54
18	अचंलाधिकारी, विथान, रोसड़ा, समस्तीपुर	31/03/2008	9.24	14/03/2013	7.77	54
19	अचंलाधिकारी, विस्फी, मधुबनी	03/06/2008	18.97	09/05/2013	0.10	54
20	सिविल सर्जन,स्वास्थ्य विभाग,पटना	31/03/2008	199.20	27/02/2013	99.20	54
21	अंचालाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा	31/03/2008	4.49	08/02/2013	2.76	53
22	जिलाधिकारी,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी	25/04/2008	95.42	22/02/2013	7.37	53
23	अंचलाधिकारी,सिंगहवाड़ा, दरभंगा	29/03/2008	8.03	09/02/2013	3.87	53

क्रम सं0	विभाग का नाम	एसी विपत्र पर आहरित राशि की अवधि	एसी विपत्र पर आहरित राशि (₹ करोड़ में)	प्रेषण की अवधि	कोषागार प्रषित अव्यतीत राशि (₹करोड़ में)	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी	15/04/2009	0.96	07/01/2014	0.10	52
25	अंचलाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर	31/03/2008	5.86	04/12/2012	5.79	51
26	प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार, वैशाली	02/06/2008	6.20	13/12/2012	0.11	49
27	जिलाधिकारी, अररिया	12/01/2009	4.61	25/03/2013	2.68	45
28	प्रंखड विकास पदाधिकारी, कस्बा, पूर्णिया	19/01/2010	16.27	18/04/2013	0.05	34
29	अंचलाधिकारी,मधेपुर, मधुबनी	01/12/2010	1.33	06/02/2014	0.01	33
30	अंचलाधिकारी, बसंतपुर, सुपौल	29/10/2008	4.18	17/12/2011	3.05	32
31	अनुभाग अधिकारी,डेयरी विकास निदेशालय, पटना	28/03/2011	1.60	25/03/2014	0.03	30
32	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिसवॉ, सिवान	25/03/2010	0.20	15/03/2013	0.04	30
33	प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर, पूर्णिया	24/05/2010	15.76	13/05/2013	0.05	30
34	अंचलाधिकारी, नौतन, बेतिया	04/09/2010	0.07	17/08/2013	0.07	30
35	कार्यपालक अभियंता, भवन निमार्ण विभाग, पटना	31/03/2011	18.13	20/02/2014	0.10	29
36	अवर सचिव, प्रशासन बिहार, पटना	30/03/2011	3.16	23/01/2014	2.16	28
37	ए0 आई0 जी0 (मु0),बिहार, पटना	29/03/2011	46.59	20/01/2014	3.40	28
38	अवर सचिव, एस0सी0 / एस0टी0 कल्याण विभाग	21/03/2011	3.00	03/01/2014	2.50	28
39	अंचलाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी	22/05/2008	11.70	25/01/2011	3.03	27
40	अंचलाधिकारी, सदर मुंगेर	30/03/2011	0.03	23/11/2013	0.01	26
41	अंचलाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर	28/07/2011	0.07	29/01/2014	0.04	25
42	प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज, गया	23/12/2009	0.01	12/06/2012	0.01	24
43	एन0डी0सी0, गोपालगंज	21/09/2010	6.35	01/03/2013	3.48	24
44	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,रानीगंज, अररिया	14/10/2010	1.53	27/02/2013	1.21	23
45	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,रानीगंज, अररिया	12/10/2010	1.22	22/02/2013	0.56	23
46	अंचलाधिकारी,कुमारखंड, मधेपुरा	10/03/2009	12.42	07/07/2011	5.71	22
47	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बखरी,बेगुसराय	31/03/2008	3.96	22/07/2010	2.65	22
48	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण	08/12/2010	0.30	22/02/2013	0.20	21
49	आपदा प्रबंधन, दरभंगा	29/03/2010	5.96	16/05/2012	1.03	20

क्रम सं0	विभाग का नाम	एसी विपत्र पर आहरित राशि की अवधि	एसी विपत्र पर आहरित राशि (₹ करोड़ में)	प्रेषण की अवधि	कोषागार प्रेषित अव्यतीत राशि (₹ करोड़ में)	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर, पूर्णिया	29/03/2011	3.20	13/05/2013	0.05	20
51	अंचलाधिकारी, मोहीउदीन नगर, समस्तीपुर	28/03/2008	5.00	31/03/2010	3.64	18
52	अंचलाधिकारी, रोसडा, समस्तीपुर	31/03/2008	6.93	30/03/2010	5.43	18
53	अंचलाधिकारी, पिपरा, सुपौल	31/03/2011	2.61	06/02/2013	1.81	17
54	अनुमंडलाधिकारी,झंझारपुर, मधुबनी	09/05/2008	7.05	24/02/2010	5.00	16
55	जिलाधिकारी,बेगुसराय	18/03/2011	7.50	30/10/2012	5.96	14
56	अंचलाधिकारी, बछवाड़ा	23/11/2011	0.02	26/07/2013	0.01	14
57	अंचालाधिकारी,मनिगाछी, दरभंगा	31/03/2008	16.43	14/11/2009	12.63	14
58	एन0डी0सी0, मुजफ्फरपुर	31/03/2012	0.19	09/10/2013	0.05	13
59	एन0डी0सी0, सहरसा	17/03/2011	7.50	30/06/2012	7.40	10
60	एन0डी0सी0, मधुबनी	30/03/2012	11.60	14/06/2013	5.65	9
61	अतिरिक्त समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, दरभंगा	30/03/2012	14.58	29/05/2013	5.40	8
62	अंचलाधिकारी, विद्यापतिनगर,दलसिंहसराय	29/03/2008	4.50	31/03/2009	3.20	6
63	अंचलाधिकारी किशुनपुर, सुपौल	10/11/2012	0.14	18/10/2013	0.03	5
64	एन0डी0सी0, पूर्णिया	03/10/2008	12.00	03/09/2009	4.77	5
65	जिलाधिकारी कार्यालय, मुंगेर	24/02/2012	2.00	22/01/2013	1.00	5
66	अंचलाधिकारी, भागलपुर	09/09/2011	24.24	18/07/2012	14.16	4
67	अंचलाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी	20/02/2010	0.07	07/12/2010	0.01	4
68	एन0डी0सी0, कटिहार	01/02/2010	6.21	27/10/2010	3.50	3
69	प्रखंड विकास पदाधिकारी, काँटी, मुजफ्फरपुर	29/03/2008	7.00	29/11/2008	3.63	2
70	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	31/03/2008	7.10	27/11/2008	5.18	2
71	अंचलाधिकारी, हाजीपुर	19/01/2013	0.03	06/09/2013	0.01	2
योग			**698.13**		**264.49**	

(स्त्रोतः कैप अनुभाग से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 44)

शत प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	एसी बिल पर आहरित राशि की अवधि	एसी बिल पर आहरित राशि	प्रेषण की अवधि	कोषागार प्रेषित अव्यतित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नजारत उपसमाहर्त्ता, शेखपुरा	29/03/2006	0.15	13/01/2014	0.15	95
2	नजारत उपसमाहर्त्ता, शेखपुरा	29/03/2006	0.02	13/01/2014	0.02	95
3	नजारत उपसमाहर्त्ता, शेखपुरा	29/03/2006	0.05	13/01/2014	0.05	95
4	नजारत उपसमाहर्त्ता, शेखपुरा	29/03/2006	0.33	13/01/2014	0.33	95
5	नजारत उपसमाहर्त्ता, शेखपुरा	29/03/2006	0.10	13/01/2014	0.10	95
6	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी	29/03/2006	0.14	02/08/2013	0.14	89
7	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी	29/03/2006	2.66	23/07/2013	2.66	89
8	नजारत उपसमाहर्त्ता, समस्तीपुर	18/06/2004	0.01	24/08/2011	0.01	78
9	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी	26/10/2006	0.20	02/08/2013	0.20	77
10	अचंलाधिकारी पुरैनी, मधेपुरा	28/08/2007	0.02	05/09/2013	0.02	66
11	अचंलाधिकारी पुरैनी, मधेपुरा	26/12/2007	0.01	05/09/2013	0.01	66
12	जिलाधिकारी, बेतिया	06/12/2007	0.06	06/08/2013	0.06	65
13	जिलाधिकारी, बेतिया	11/08/2007	0.01	06/08/2013	0.01	65
14	सिविल सर्जन स्वास्थ्य विभाग, पटना	31/03/2008	51.91	27/02/2013	51.91	60
15	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खानपुर, समस्तीपुर	27/03/2009	0.01	28/02/2013	0.01	48
16	तकनीकी विकास निदेशक उद्योग विभाग, पटना	31/03/2008	4.00	30/08/2011	4.00	42
17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नौहटटा, सहरसा	29/03/2011	0.01	28/02/2014	0.01	36
18	उपनिदेशक (तकनीकी) डी0टी0डी0, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	31/03/2008	3.00	31/07/2010	3.00	28
19	अंचलाधिकारी अमनौर, सारण	18/03/2010	0.01	17/07/2012	0.01	22
20	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज, अररिया	12/10/2010	0.31	22/02/2013	0.31	23
21	अचंलाधिकारी मधेपुर, मधुबनी	26/03/2012	0.04	14/02/2014	0.04	23
22	अचंलाधिकारी राजनगर मधुबनी	10/03/2010	0.06	07/12/2010	0.06	8
23	अचंलाधिकारी नारायणपुर, भागलपुर	30/03/2013	0.02	25/10/2013	0.02	7
24	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनरूआ, पटना	31/03/2003	0.10	15/09/2003	0.10	6
योग			**63.23**		**63.23**	

(स्त्रोतः कैप अनुभाग से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.16

(संदर्भ: कंडिका 2.8.1; पृष्ठ 45)

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भुगतान के पक्ष में अभिश्रवों का समर्पण नहीं होना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	कोषागार का नाम	सम्मिलित राशि	अभिश्रवों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	औरंगाबाद	8.72	139
2	अररिया	4.10	76
3	अरवल	0.58	54
4	बिहार भवन	0.09	7
5	भभुआ	4.41	141
6	बगहा	3.02	70
7	भागलपुर	4.22	146
8	बेगूसराय	10.14	248
9	आरा	10.11	366
10	बांका	1.37	97
11	बेनीपुर	3.53	161
12	बाढ़	1.59	73
13	वीरपुर	0.46	46
14	बक्सर	4.87	115
15	दलसिंहसराय	0.98	24
16	दरभंगा	15.63	289
17	डिहरी	1.73	127
18	डुमराँव	1.44	57
19	दानापुर	2.42	77
20	दाऊदनगर	1.37	68
21	मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)	8.51	403
22	फारबिसगंज	0.78	11
23	गोपालगंज	5.98	181
24	गया	6.61	381
25	हिलसा	1.21	84
26	झंझारपुर	1.50	64
27	जमूई	2.04	163
28	जहानाबाद	4.32	151
29	खगड़िया	5.79	164
30	किशनगंज	0.91	74
31	कटिहार	8.44	238
32	लखीसराय	5.98	123
33	लालगंज	4.34	56
34	मधुबनी	28.16	184
35	मधेपुरा	2.28	105
36	मुंगेर	4.96	173
37	महुआ	0.32	31
38	मोकामा	0.51	37
39	मसौढ़ी	0.95	58
40	मुजफ्फरपुर	32.51	423
41	नौगछिया	1.26	50
42	नरकटियागंज	0.82	55
43	बिहारशरीफ (नालंदा)	5.66	178
44	निर्मली	0.04	7
45	नवादा	13.96	174

क्रम सं0	कोषागार का नाम	सम्मिलित राशि	अभिश्रवों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
46	पटना विकास भवन	61.26	102
47	पटना निर्माण भवन	14.70	268
48	पूर्णिया	9.25	153
49	पटना सिटी	4.34	35
50	पटना	23.19	433
51	पटना सिंचाई भवन	66.20	402
52	रोसड़ा	2.43	46
53	सासाराम (रोहतास)	9.61	163
54	सहरसा	9.35	172
55	शिवहर	4.57	80
56	शेखपुरा	5.73	198
57	सीतामढ़ी	3.17	217
58	सुपौल	1.77	59
59	शेरघाटी	1.25	67
60	छपरा	12.08	432
61	समस्तीपुर	16.16	194
62	सिवान	6.18	280
63	तेघड़ा	0.04	3
64	वैशाली (हाजीपुर)	1.62	122
65	बेतिया (पश्चिम चंपारण)	7.25	204
योग		**488.77**	**9579**

(स्त्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार से उपलब्ध आकड़े)

परिशिष्ट– 2.17

(संदर्भः कंडिका 2.8.2; पृष्ठ 45)

पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान का विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम सं0	नि0प्र0सं0 एवं वर्ष	कंडिका संख्या	कोषागार का नाम	पेंशनभोगी/परिवारिक पेंशनभोगी का नाम	पी0पी0ओ0 संख्या	अधिक भुगतान की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03/2013-14	1	महुआ	(i) अहमदी बेगम	एस/83612	144988.00
				(ii) मचनिया देवी	एस/108677	8884.00
2	04/2013-14	1	लालगंज	(i) श्रीमती शारदा देवी	एस/124414	168777.00
3	05/2013-14	1	किशनगंज	(i) अब्दुल रशिद	201011131667	236033.00
				(ii) महादेव लाल	201011072140	87356.00
				(iii) मोहीबुर रहमान	201011142197	153002.00
4	06/2013-14	1 ब (vi)	फारबिसगंज	(i) राधा देवी	233313	143500.00
5	07/2013-14	1	जमुई	(i) श्री रमेश सिंह	201114094309	4223.00
				(ii) श्री शम्भु प्रसाद सिंह	20111134313	10676.00
				(iii) श्रीमती सुनीता देवी	201012121282	121707.00
				(iv) श्रीमती रूकमिनी देवी	442422	2748.00
				(v) लीला प्रसाद	200911081769	2748.00
				(vi) श्रीमती कांति	441395	1980.00
				(vii) साधना देवी	एस /83780	2321.00
				(viii) श्री दुर्गा पासवान	201311123466	7303.00
6	08/2013-14	15	औरंगाबाद	(i) श्री मिथिलेश शर्मा	201211102391	15662.00
				(ii) श्री नन्हें प्रसाद	201311074248	17048.00
				(iii) श्री लक्ष्मण प्रसाद	201211081658	3520.00
				(iv) श्री नाथून राम	201211062105	5701.00
				(v) श्रीमती लीलावती कुमारी	201211101523	14892.00
				(vi) श्री कामता सिंह	201211151340	6926.00
7	09/2013-14	23	लखीसराय	(i) श्रीमती शान्ति देवी	एस /89237	77734.00
				(ii) श्रीमती सावित्री देवी	255615	2024.00
				(iii) श्रीमती सुमित्रा देवी	389523	2375.00
8	12/2013-14	21	नौगछिया	(i) अमबुज कुमारी	421419	527.00
				(ii) चन्द्र देव राय	404398	564.00
				(iii) शेख नियामत	201211081873	6618.00
9	15/2013-14	6	दरभंगा	(i) सरस्वती देवी	201014092741	10090.00
				(ii) मो0 मोकिम खान	432637/डब्लू0बी0	13009.00
				(iii) विद्यावती देवी	412709/डब्लू0बी0	7648.00
10	16/2013-14	16	मसौढ़ी	(i) श्रीमती प्रभावती देवी	201112125326	256.00
11	23/2013-14	1	पटना सदर	(i) बच्चु शर्मा	201211021070	10773.00
12	29/2013-14	18	रोहतास	(i) राम सुरेश सिंह	459591	2558.00
13	32/2013-14	2	कैमूर	(i) शिव कुमारी	एस /95803	2230.00
				(ii) सदरून निशा	414356	2395.00
				(iii) शारदा कुंवर	एस /105506	3413.00
योग						**1302209.00**

(स्त्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.18

(संदर्भः कंडिका 2.8.2; पृष्ठ 45)

पेंशन/पारिवारिक पेंशन का कम भुगतान से संबधित विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम सं0	नि0प्र0 सं0 एवं वर्ष	कंडिका संख्या	कोषागार का नाम	पेंशनभोगी/परिवारिक पेंशनभोगी का नाम	पी0पी0ओ0 संख्या	कम भुगतान की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	16/2013-14	16	मसौढ़ी	अरूणा देवी	201312063876	68.00
				ब्रजेश कुमार सिन्हा	201212052643	50.00
				नवलेश कुमार सिंह	201211121337	16000.00
2	25/2013-14	16	सिंचाई भवन	गीता देवी	एस/76718	600.00
				जालकी देवी	एस /263885	2408.00
				शिव पूजन सिंह यादव	266997	730.00
				जगरोशन देवी	एस /25981	1838.00
				साफिया बानो	233624	2757.00
3	29/2013-14	18	रोहतास	फूलवा कुंवर	46061010007297	1587.00
				कबुतरा कुंवर	460610110000506	1121.00
योग						**27159.00**

(स्त्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.19

(संदर्भः कंडिका 2.8.3; पृष्ठ 46)

रिक्त पदों के लिए निधि का प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0/विभाग का नाम	शीर्ष	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-101-0003	18.83	डी0डी0ओ0 का पदरिक्त
2	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-001-0003	4.06	डी0डी0ओ0 का पदरिक्त
3	27-विधि विभाग	2014-00-105-0001	63.38	कर्मियों का रिक्त पद
4	27-विधि विभाग	2014-00-114-0002	11.63	कर्मियों का रिक्त पद
5	27-विधि विभाग	2014-00-800-0006	0.49	बिहार राज्य न्यायिक आयोग के सदस्य सचिव एवं अन्य समूह III के रिक्त पद
6	33-सामान्य प्रशासन विभाग	2070-00-104-0012	0.58	संयुक्त सचिव/उपसचिव के पद एवं अन्य रिक्त पद
7	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग	2030-02-001-0001	0.17	सेवानिवृति एवं रिक्त पद
8	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग	2030-03-001-0001	0.50	पदाधिकारियों के रिक्त पद रहने एवं स्टाफ के सेवानिवृति
9	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग	2039-00-001-0001	3.11	सेवानिवृति एवं रिक्त पद
10	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग	2052-00-092-0007	0.27	सचिव एवं निजी सचिव का स्थाई पदस्थापना
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0001	29.80	स्टाफ का रिक्त पद
12	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-03-101-0001	0.66	स्टाफ का रिक्त पद
13	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-03-102-0004	1.32	स्टाफ का रिक्त पद
14	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-03-103-0002	59.63	स्टाफ का रिक्त पद
15	50-लघु जल संसाधन विभाग	3451-00-090-0030	1.63	स्टाफ का रिक्त पद
योग			**196.06**	

(स्त्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.20

(संदर्भः कंडिका 2.8.4; पृष्ठ 46)

मासिक कोषागार लेखाओं का विलंब से समर्पण

क्रम सं0	महीना	कोषागार का नाम	नि0प्र0 संख्या	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अप्रैल 2012	दरभंगा	15/2013-14	09/05/2012	7
		मसौढ़ी	16/2013-14	09/05/2012	7
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	14/05/2012	12
		मोतिहारी	18/2013-14	09/05/2012	7
		निर्माण भवन	22/2013-14	09/05/2012	7
		पटना सदर	23/2013-14	16/05/2012	14
		विकास भवन	24/2013-14	11/05/2012	9
		बगहा	27/2013-14	10/05/2012	8
		सारण	30/2013-14	15/05/2012	13
2	मई 2012	मुजफ्फरपुर	17/2013-14	13/06/2012	11
		मोतिहारी	18/2013-14	14/06/2012	12
		पटना सदर	23/2013-14	18/06/2012	16
		बगहा	27/2013-14	11/06/2012	9
		दरभंगा	15/2013-14	13/06/2012	11
		रोहतास	29/2013-14	11/06/2012	9
		सारण	30/2013-14	15/06/2012	13
3	जून 2012	किशनगंज	05/2013-14	09/07/2012	7
		जमूई	07/2013-14	11/07/2012	9
		रोसड़ा	10/2013-14	09/07/2012	7
		मसौढ़ी	16/2013-14	12/07/2012	10
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	13/07/2012	11
		मोतिहारी	18/2013-14	12/07/2012	10
		निर्माण भवन	22/2013-14	09/07/2012	7
		पटना सदर	23/2013-14	18/07/2012	16
		विकास भवन	24/2013-14	09/07/2013	7
		बगहा	27/2013-14	09/07/2012	7
		रोहतास	29/2013-14	13/07/2012	11
		भभुआ	32/2013-14	09/07/2012	7
		सारण	30/2013-14	12/07/2012	10
4	जुलाई 2012	शेखपुरा	01/2013-14	14/08/2012	12
		जमूई	07/2013-14	13/08/2012	11
		रोसड़ा	10/2013-14	23/08/2012	21
		दलसिंहसराय	13/2013-14	21/08/2012	19
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	09/08/2012	7
		मोतिहारी	18/2013-14	10/08/2012	8
		पटना सदर	23/2013-14	30/08/2012	28
		सिंचाई भवन	25/2013-14	13/08/2012	11
		बगहा	27/2013-14	13/08/2012	11
		रोहतास	29/2013-14	09/08/2012	7
		भभुआ	32/2013-14	09/08/2012	7
		सारण	30/2013-14	14/08/2012	12
5	अगस्त 2012	शेखपुरा	01/2013-14	12/09/2012	10
		जमूई	07/2013-14	10/09/2012	8
		दरभंगा	15/2013-14	10/09/2012	8
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	11/09/2012	9

क्रम सं0	महीना	कोषागार का नाम	नि0प्र0 संख्या	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	अगस्त 2012	मोतिहारी	18/2013-14	10/09/2012	8
		निर्माण भवन	22/2013-14	10/09/2012	8
		पटना सदर	23/2013-14	21/09/2012	19
		सिंचाई भवन	25/2013-14	10/09/2012	8
		बगहा	27/2013-14	10/09/2012	8
		रोहतास	29/2013-14	12/09/2012	10
		भभुआ	32/2013-14	10/09/2012	8
		सारण	30/2013-14	12/09/2012	10
6	सितम्बर 2012	शेखपुरा	1/2013-14	12/10/2012	10
		दरभंगा	15/2013-14	09/10/2012	7
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	11/10/2012	9
		मोतिहारी	18/2013-14	10/10/2012	8
		पटना सदर	23/2013-14	19/10/2012	17
		सिंचाई भवन	25/2013-14	09/10/2012	7
		बेनीपुर	28/2013-14	10/10/2012	8
		रोहतास	29/2013-14	10/10/2012	14
		सारण	30/2013-14	12/10/2012	10
7	अक्टूबर 2012	शेखपुरा	1/2013-14	14/11/2012	12
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	09/11/2012	7
		मोतिहारी	18/2013-14	12/11/2012	10
		निर्माण भवन	22/2013-14	12/11/2012	10
		पटना सदर	23/2013-14	22/11/2012	20
		विकास भवन	24/2013-14	12/11/2012	10
		बगहा	27/2013-14	09/11/2012	7
		रोहतास	29/2013-14	14/11/2012	12
		सारण	30/2013-14	09/11/2012	07
8	नवम्बर 2012	शेखपुरा	1/2013-14	17/12/2012	15
		जमूई	7/2013-14	11/12/2012	10
		दरभंगा	15/2013-14	10/12/2012	8
		मसौढ़ी	16/2013-14	18/12/2012	16
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	17/12/2012	15
		मोतिहारी	18/2013-14	10/12/2012	8
		पटना सदर	23/2013-14	12/12/2012	10
		विकास भवन	24/2013-14	11/12/2012	9
		सिंचाई भवन	25/2013-14	11/12/2012	9
		रोहतास	29/2013-14	14/12/2012	12
		भभुआ	32/2013-14	12/12/2012	10
		सारण	30/2013-14	12/12/2013	10
9	दिसम्बर 2012	शेखपुरा	1/2013-14	21/01/2013	19
		जमूई	7/2013-14	11/01/2013	9
		दरभंगा	15/2013-14	09/01/2013	7
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	30/01/2013	28
		मोतिहारी	18/2013-14	11/01/2013	9
		बांका	21/2013-14	09/01/2013	7
		निर्माण भवन	22/2013-14	14/01/2013	12
		पटना सदर	23/2013-14	16/01/2013	14
		विकास भवन	24/2013-14	10/01/2013	8
		सिंचाई भवन	25/2013-14	10/01/2013	8
		बगहा	27/2013-14	14/01/2013	12
		रोहतास	29/2013-14	17/01/2013	15
		सारण	30/2013-14	11/01/2013	9

क्रम सं0	महीना	कोषागार का नाम	नि0प्र0 संख्या	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	जनवरी 2013	शेखपुरा	1/2013-14	14/02/2013	12
		किशनगंज	5/2013-14	11/02/2013	9
		जमूई	7/2013-14	13/02/2013	11
		दरभंगा	15/2013-14	11/02/2013	9
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	13/02/2013	11
		मोतिहारी	18/2013-14	11/02/2013	9
		निर्माण भवन	22/2013-14	12/02/2013	10
		पटना सदर	23/2013-14	14/02/2013	12
		सिंचाई भवन	25/2013-14	11/02/2013	9
		हिलसा	26/2013-14	11/02/2013	9
		रोहतास	29/2013-14	11/02/2014	9
		सारण	30/2013-14	14/02/2013	12
		बगहा	27/2013-14	11/02/2013	9
11	फरवरी 2013	जमूई	7/2013-14	12/03/2013	10
		हिलसा	26/2013-14	10/02/2013	10
		मोतिहारी	18/2013-14	11/03/2013	9
		पटना सदर	23/2013-14	13/03/2013	11
		विकास भवन	24/2013-14	11/03/2013	9
		बगहा	27/2013-14	12/03/2013	10
		रोहतास	29/2013-14	15/03/2013	13
		भभुआ	32/2013-14	11/03/2013	9
		सारण	30/2013-14	12/03/2013	10
12	मार्च 2013	किशनगंज	5/2013-14	12/04/2013	10
		जमूई	7/2013-14	12/04/2013	10
		दरभंगा	15/2013-14	15/04/2013	8
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	18/04/2013	11
		पटना सदर	23/2013-14	22/04/2013	15
		बगहा	27/2013-14	16/04/2013	9
		मोतिहारी	18/2013-14	17/04/2013	10
		रोहतास	29/2013-14	25/04/2013	18
		भभुआ	32/2013-14	15/04/2013	8
		सारण	30/2013-14	17/04/2013	10
13	अप्रैल 2013	मुजफ्फरपुर	17/2013-14	13/05/2013	11
		मोतिहारी	18/2013-14	13/05/2013	11
		दाउदनगर	20/2013-14	18/04/2013	16
		निर्माण भवन	22/2013-14	10/05/2013	8
		पटना सदर	23/2013-14	09/05/2013	7
		विकास भवन	24/2013-14	09/05/2013	7
		सिंचाई भवन	25/2013-14	10/05/2013	8
		बगहा	27/2013-14	10/05/2013	8
		सारण	30/2013-14	10/05/2013	8
14	मई 2013	मोतिहारी	18/2013-14	11/06/2013	9
		पटना सदर	23/2013-14	10/06/2013	8
		विकास भवन	24/2013-14	11/06/2013	9
		सिंचाई भवन	25/2013-14	10/06/2013	8
		रोहतास	29/2013-14	11/06/2013	9
		सारण	30/2013-14	14/06/2013	12
15	जून 2013	जमूई	07/2013-14	11/07/2013	9
		मुजफ्फरपुर	17/2013-14	11/07/2013	9
		मोतिहारी	18/2013-14	12/07/2013	10

क्रम सं0	महीना	कोषागार का नाम	नि0प्र0 संख्या	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	जून 2013	पटना सदर	23/2013-14	12/07/2013	10
		सिंचाई भवन	25/2013-14	10/07/2013	8
		सारण	30/2013-14	11/07/2013	9
16	जुलाई 2013	मोतिहारी	18/2013-14	16/08/2013	14
		पटना सदर	23/2013-14	12/08/2013	10
		रोहतास	29/2013-14	13/08/2013	11
		सारण	30/2013-14	14/08/2013	12
17	अगस्त 2013	मुजफ्फरपुर	17/2013-14	09/09/2013	7
		बगहा	27/2013-14	09/09/2013	7
		रोहतास	29/2013-14	09/09/2013	7
		सारण	30/2013-14	11/09/2013	9
18	सितम्बर 2013	मुजफ्फरपुर	17/2013-14	10/10/2013	8
		सारण	30/2013-14	15/10/2013	13
19	अक्टूबर 2013	मुजफ्फरपुर	17/2013-14	14/11/2013	12
		बगहा	27/2013-14	11/11/2013	9
		हिलसा	26/2013-14	11/11/2013	9
		रोहतास	29/2013-14	14/11/2013	12
		सारण	30/2013-14	14/11/2013	12
20	नवम्बर 2013-14	रोहतास	29/2013-14	10/12/2013	8
		सारण	30/2013-14	13/12/2013	11
21	दिसम्बर 2013-14	बगहा	27/2013-14	13/01/2014	11
		रोहतास	29/2013-14	13/01/2014	11
		सारण	30/2013-14	15/01/2014	13
22	जनवरी 2013-14	सारण	30/2013-14	10/02/2014	8
		रोहतास	29/2013-14	11/02/2014	9

(स्त्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.21

(संदर्भः कंडिका 2.8.5; पृष्ठ 46)

सी0वी0पी0/पेंशन के भुगतान का गलत वर्गीकरण

(राशि ₹ में)

क्रम सं0	नि0प्र0 संख्या/कोषागार का नाम	कंडिका सं0	विपत्र कोड	भाउचर सं0	पी0पी0ओ0	पेंशन भोगी का नाम	राशि	जिस बिल कोड में बुक किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	24/2013-14 (विकास भवन पटना)	9	एन0-2071-01-102-0002	पी0/2071/00046	201311043472	ओम प्रकाश सिन्हा	438150.00	एन0-2071-01-102-0001
2		9	2071-01-102-0002	पी0/2071/00052	201311163727	महेश्वरी नंदन	498916.00	एन0-2071-01-102-0001
3		9	2071-01-102-0002	पी0/2071/00055	201311083376	राधेकृष्ण वाजपयी	463518.00	एन0-2071-01-102-0001
4		9	2071-01-102-0002	पी0/2071/00057	201311022148	बलराम सिंह	994883.00	एन0-2071-01-102-0001
5		9	2071-01-102-0002	पी0/2071/00060	201311043557	हेमन्त कुमार सिन्हा	582298.00	एन0-2071-01-102-0001
6		9	2071-01-102-0002	पी0/2071 00053	20131103327	भाकरी नाथ सिन्हा	435200.00	एन0-2071-01-102-0001
योग							**3412965.00**	
7	25/2013-14 (सिंचाई भवन)	10	एन0-2071-01-102-0002	पी0/2071/0132	20131102197	श्री लक्ष्मी नारायण मांझी	631856.00	एन0-2071-01-102-0001
8		10	एन0-2071-01-102-0002	पी0/2071/0271	20131103318	श्री दशरथ साह	639525.00	एन0-2071-01-102-0001
9		10	एन0-2071-01-102-0002	पी0/2071/0493	20131116381	रामायण यादव	255259.00	एन0-2071-01-102-0001
10		10	एन0-2071-01-102-0002	पी0/2071/0491	20131108332	सत्यराम सिंह	515042.00	एन0-2071-01-102-0001
योग							**2041682.00**	
11	30/2013-14 (सारण)	9	2071-01-101-0002	एन0ए0	213453	राम इकबाल राऊत	13438.00	2071-01-101-0001
12		9	2071-01-101-0002	एन0ए0	289759	स्वातिया प्रसाद	19128.00	2071-01-101-0001
13		9	2071-01-101-0002	एन0ए0	278276	विश्वनाथ सिंह	12584.00	2071-01-101-0001
14		9	2071-01-101-0002	एन0ए0	278358	राम नारायण सिंह	12849.00	2071-01-101-0001
योग							**57999.00**	
महायोग							**5512646.00**	

(स्त्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.22

(संदर्भःकंडिका 2.9.4; पृष्ठ 49)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

भाग (क) 31 मार्च 2014 से पहले निधि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास -0102-पशु चिकित्सा पर्षद	0.04	211	28/01/14
2	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास -0606-पशु चिकित्सा पर्षद	0.04	212	28/01/14
3	2404-डेरी विकास-00-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-0102-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4.70	74	23/01/14
	योग–अ	**4.78**		

भाग (ख) 31 मार्च 2014 को निधि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2403-पशुपालन-00-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-0001-राज्य पशुधन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	1.31	712	31/03/2014
2	2403-पशुपालन-00-103-कुक्कुट विकास-0003-रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	1.52	709	31/03/2014
3	2403-पशुपालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-अधीक्षण	0.63	702	31/03/2014
4	2403-पशुपालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0003-अधीक्षण–क्षेत्रीय स्थापना	4.06	703	31/03/2014
5	2403-पशुपालन-00-107-चारा तथा चारागाह विकास-0001- चारा और खाद्य विकास	0.11	710	31/03/2014
6	2403-पशुपालन-00-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-0002-पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में सांख्यिकी इकाईयाँ	0.17	713	31/03/2014
7	2403-पशुपालन-00-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-0001-प्रसार एवं प्रशिक्षण	0.01	711	31/03/2014
8	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-01-जनगणना-001-निदेशन तथा प्रशासन-0003-पशु गणना	0.02	714	31/03/2014
9	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0006-पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना	6.44	707	31/03/2014
10	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0007-मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी और पशु कल्याण	0.11	708	31/03/2014
11	2403-पशुपालन-00-101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-0003- अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापना	18.83	704	31/03/2014
12	2403-पशुपालन-00-101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-0004-पशुओं में यक्ष्मा रोग के अनुसंधान एवं रोकथाम की योजना	0.10	705	31/03/2014

क्रम. सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	3451-सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0008-पशु एवं मत्स्य विभाग	0.46	1065	31/03/2014
14	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0001- पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना तथा डुमरॉव)	0.19	706	31/03/2014
15	2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-0101-शीतकरण केन्द्र	92.90	594	31/03/2014
16	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-0102-पशु चिकित्सा समिति	0.11	725	31/03/2014
17	2403-पशुपालन-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना-0603-पशु चिकित्सा निवारण परिषद	0.04	739	31/03/2014
18	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-0606-पशु चिकित्सा समिति	0.11	736	31/03/2014
19	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-0104-पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	5.79	726	31/03/2014
20	2403-पशुपालन-00-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-0106-राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	3.00	727	31/03/2014
21	2403-पशुपालन-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना-0101-बैक यार्ड बकरी पालन योजना	19.42	729	31/03/2014
22	2403-पशुपालन-00-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-0104-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.00	728	31/03/2014
23	2403-पशुपालन-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना-0103-पशु चिकित्सा निवारण परिषद	0.04	731	31/03/2014
24	2404-डेरी विकास-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-मुख्यालय स्थापना	0.34	592	31/03/2014
25	2405-मत्स्य पालन-00-120- मत्स्य पालन सहकारी समितियाँ-0601-मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य सुविधाएँ	5.00	573	31/03/2014
26	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0612-मत्स्य विपणन योजना	0.45	572	31/03/2014
27	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0605-अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास	0.19	571	31/03/2014
28	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0603-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.60	570	31/03/2014
29	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0601-मत्स्यपालक विकास अभिकरण सहायक अनुदान/अंशदान/आर्थिक सहायता	0.45	569	31/03/2014
30	2405- मत्स्य पालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-मत्स्य विकास योजना	3.95	567	31/03/2014
31	2404-डेरी विकास-00-191-डेरी सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता-0102-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	6.35	598	31/03/2014
32	2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-0112-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.30	597	31/03/2014
33	2404-डेरी विकास-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ	11.75	596	31/03/2014

क्रम. सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-0103-प्रशिक्षण	0.27	595	31/03/2014
35	2403-पशुपालन-00-101- पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ-0101-अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना	54.84	716	31/03/2014
36	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0101-फ्रोजेन सीमेन बैंक	105.00	718	31/03/2014
37	2403-पशुपालन-00-101-पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य-0107-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4.67	717	31/03/2014
38	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0110-गोशाला के विकास की योजना	5.00	719	31/03/2014
39	2403-पशुपालन-00-103-कुक्कुट विकास-0106-मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	2.59	720	31/03/2014
40	2403-पशुपालन-00-103-कुक्कुट विकास-0109-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.96	721	31/03/2014
41	2403-पशुपालन-00-104-भेड़ तथा ऊन विकास-0102-अवि एवं अजा का पोषण एवं विकास	69.50	722	31/03/2014
42	2403-पशुपालन-00-104-भेंड़ तथा ऊन विकास-0105-राष्ट्रीय कृषि विकास येाजना	23.00	723	31/03/2014
43	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-0101-दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन के सर्वेक्षण की योजना	0.55	724	31/03/2014
44	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-0605-दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन व सर्वेक्षण की योजना	0.55	735	31/03/2014
45	2403-पशुपालन-00-103-कुक्कुट विकास-0610-ग्रामीण बैंक यार्ड कुक्कुट	0.48	734	31/03/2014
46	4403-पशुपालन पर पूँजी परिव्यय-00-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-0101-राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	7.00	733	31/03/2014
47	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-03-पशुपालन-277-शिक्षा-0101-बिहार पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विश्वविद्यालय	20.00	732	31/03/2014
48	2403-पशुपालन-00-107-चारा तथा चारागाह विकास-0606-चारा बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण की योजना	1.85	738	31/03/2014
49	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-0607-पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	20.70	737	31/03/2014
50	2405-मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0116-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	19.49	584	31/03/2014
51	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0112-मत्स्य विपणन योजना	0.05	583	31/03/2014
52	2405- मत्स्य पालन-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-मछुआरों की सहायता	9.21	585	31/03/2014
53	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0110-मत्स्य प्रशिक्षण तथा प्रसार योजना	0.15	582	31/03/2014
54	2405- मत्स्य पालन-00-101- अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0107-मत्स्य अनुसंधान योजना	4.30	581	31/03/2014

क्रम. सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55	2405- मत्स्य पालन-00-101- अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0106-मछुआरों के लिए आवास,शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ	5.00	580	31/03/2014
56	2405- मत्स्य पालन-00-101- अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0104-तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	56.25	579	31/03/2014
57	2405- मत्स्य पालन-00-101- अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0103- मत्स्य बीज का विकास	0.74	578	31/03/2014
58	2405- मत्स्य पालन-00-101- अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0102-मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा हेतु अनुदान	0.11	577	31/03/2014
59	2405- मत्स्य पालन-00-101- अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0101-विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण	0.15	576	31/03/2014
60	2405- मत्स्य पालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0101-मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	3.93	574	31/03/2014
61	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0001-मत्स्य पालक विकास अभिकरण	1.70	568	31/03/2014
62	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-05- मत्स्य पालन-004-अनुसंधान-0001-मत्स्य अनुसंधान योजना	0.04	566	31/03/2014
63	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-01-जनगणना-001-निदेशन तथा प्रशासन-0602-पशु गणना	6.15	715	31/03/2014
64	2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-0010-क्षेत्रीय स्थापना	0.46	593	31/03/2014
65	2405- मत्स्य पालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0102-मत्स्य प्रसार	4.41	575	31/03/2014
योग–ब		**616.85**		
महायोग–(अ+ब)		**621.63**		

(स्त्रोतः विभागीय सूचना के आधार पर)

परिशिष्ट– 2.23

(संदर्भः कंडिका 2.9.5; पृष्ठ 49)

निधि के अनुपयोग के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	शीर्ष	अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)
1	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0101-फ्रोजेन सीमेन बैंक	105.00
2	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0110-गोशाला के विकास की योजना	5.00
3	2403-पशुपालन-00-104-भेंड़ तथा ऊन विकास-0105-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	23.00
4	2403-पशुपालन-00-107-चारा तथा चारागाह विकास-0606-चारा बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण की योजना	1.85
5	2403-पशुपालन-00-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-0106-राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	3.00
6	2403-पशुपालन-00-113-प्रशसानिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-0104-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.00
7	2403-पशुपालन-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना-0101-बैक यार्ड बकरी पालन योजना	19.42
8	2403-पशुपालन-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना-0603-पशु चिकित्सा निवारण परिषद	0.04
9	2403-पशुपालन-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना-0103-पशु चिकित्सा निवारण परिषद	0.04
10	2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-0112-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.30
11	2404-डेरी विकास-00-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-0102-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4.70
12	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0601-मत्स्य पालक विकास अभिकरण सहायक अनुदान/अंशदान आर्थिक सहायता	0.45
13	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0603-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.60
14	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0605-अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास	0.19
15	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0612-मत्स्य विपणन योजना	0.45
16	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0101-विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण	0.15
17	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0106-मछुआरो के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ	5.00
18	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0107-मत्स्य अनुसंधान योजना	4.30
19	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0110-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.15
20	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0112-मत्स्य विपणन योजना	0.05
21	2405- मत्स्य पालन-00-120- मत्स्य पालन सहकारी समितिया-0601-मछआरों के लिए आवास एवं अन्य सुविधाएँ	5.00
22	2405- मत्स्य पालन-00-789-अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-मछुआरों की सहायता	9.21
23	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-03-पशुपालन-277-शिक्षा-0101-बिहार पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विश्वविद्यालय	20.00
24	4403-पशुपालन पर पूँजी परिव्यय-00-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-0101-राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	7.00
योग		**217.90**

(स्त्रोतः विभागीय सूचना के आधार पर)

परिशिष्ट– 2.24

(संदर्भः कंडिका 2.9.6; पृष्ठ 50)

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता

(राशि ₹ में)

क्रम. सं.	शीर्ष	उपलब्ध निधि	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2403-पशुपालन-00-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-0001-राज्य पशुधन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	63739295	63663915	63740704	76789
2	2403-पशुपालन-00-103-कुक्कुट विकास-0003-रेंज मुर्गीपालन की प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास तथा मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	48216238	48216238	48100738	115500
3	2403-पशुपालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-अधीक्षण	45342942	45336236	45342942	6706
4	2403-पशुपालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0003-अधीक्षण क्षेत्रीय स्थापना	170593346	166589696	166170667	419029
5	2403-पशुपालन-00-107-चारा तथा चारागाह विकास-0001-चारा तथा चारागाह विकास	9617348	9310776	9546342	235566
6	2403-पशुपालन-00-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-0002-पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में सांख्यिकी ईकाइयाँ	11096836	11090836	11098717	7881
7	2403-पशुपालन -00-102-पशु तथा भैंस विकास-0006-पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना	375092562	374187976	374878033	690057
8	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0007-मवेशी मेला, प्रदर्शनी और पशु कल्याण	9694443	9684377	9694443	10066
9	2403-पशुपालन-00-101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-0003-अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापना	944503189	940618186	940859452	241266
10	2403-पशुपालन-00-101-पशु–चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-0004- पशु यक्ष्मा के अनुसंधान एवं रोकथाम के लिए योजना	6123509	6118500	6122100	3600
11	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं-00-090-सचिवालय-0008-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	15928710	16036448	15928710	107738

क्रम. सं.	शीर्ष	उपलब्ध निधि	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	2403-पशुपालन-00-102-पशु तथा भैंस विकास-0001-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमराँव)	27068128	27068128	27053272	14856
13	2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-0101-शीतकरण केन्द्र	128766170	144656738	128766170	15890568
14	2403-पशुपालन-00-106- अन्य पशुधन विकास-0104-पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	22065916	21809781	21820995	11214
15	2404-डेरी विकास-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-मुख्यालय स्थापना	23306008	22503810	23306008	802198
16	2405-मत्स्य पालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-मत्स्य विकास योजना	134132983	133189070	134132983	943913
17	2404-डेरी विकास-00-191- डेरी सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता-0102-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	233540000	316130000	233540000	82590000
18	2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-0103-प्रशिक्षण	17316425	17301507	17316425	14918
19	2403-पशुपालन-00-101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-0101-अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना	209961367	203075625	201394877	1680748
20	2403-पशुपालन-00-103-कुक्कुट विकास-0106-रेंज मुर्गीपालन की प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	555569380	555393002	555360640	32362
21	2403-पशुपालन-00-104-भेंड़ तथा ऊन विकास-0102-अवि एवं आजा का पोषण एवं विकास	5622580	5505247	5622580	117333
22	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-0101-दुग्ध,अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन के सर्वेक्षण की योजना	4476047	4420779	4423999	3220
23	2403-पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-0605-दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन के सर्वेक्षण की योजना	4513496	4462598	4433524	29074
24	2405-मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0103-मत्स्य बीज का विकास	520656	477483	520656	43173

क्रम. सं.	शीर्ष	उपलब्ध निधि	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	2405-मत्स्य पालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0101-मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	2170943	2096432	2170943	74511
26	2405- मत्स्य पालन-00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन-0001-मत्स्य पालक विकास अभिकरण	53873521	53191157	53873521	682364
27	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-05- मत्स्यपालन-004-अनुसंधान-0001-मत्स्य अनुसंधान योजना	5900285	5497447	5900285	402838
28	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-01-जनगणना-001-निदेशन तथा प्रशासन-0602-पशु गणना	38503570	29866165	31899236	2033071
29	2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-0010-क्षेत्रीय स्थापना	56804335	56893292	56804335	88957
30	2405- मत्स्य पालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0102-मत्स्य प्रसार	20933986	20504227	20933986	429759
	योग				**107799275**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा 2013–14, तथा विभागीय आँकड़े)

परिशिष्ट– 2.25

(संदर्भःकंडिका 2.10.4; पृष्ठ 52)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

भाग (अ) दिनांक 24 जनवरी 2014 को अभ्यर्पित निधि

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3456-सिविल पूर्ति-00-102-सिविल पूर्ति योजना-0102-बी.पी.एल. परिवारों को राज्य की अधिप्राप्ति व्यवस्था से खाद्यान्न की आपूर्ति	124.18	43	24/01/2014
2	6408-खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह के लिए कर्ज-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पुर्ति-0101-खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ऋण	125.82	44	24/01/2014
योग–अ		**250.00**		

भाग (ब) दिनांक 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित निधि

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0011-खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	0.21	93	31/03/2014
2	3456-सिविल पूर्ति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-मुख्यालय प्रभार	33.67	91	31/03/2014
3	3456-सिविल पूर्ति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	4.43	97	31/03/2014
4	3456-सिविल पूर्ति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0002-जिला प्रभार	15.76	96	31/03/2014
5	3456-सिविल पूर्ति-00-102-सिविल पूर्ति योजना-0004-पी. डी. एस. सिस्टम के कम्प्यूटीकरण	2.15	94	31/03/2014
6	3456-सिविल पूर्ति-00-102-सिविल पूर्ति योजना-0102-बी. पी. एल. परिवारों को राज्य की अधिप्राप्ति व्यवस्था से खाद्यान्न की आपूर्ति	50.82	92	31/03/2014
7	3456-सिविल पूर्ति-00-102-सिविल पूर्ति योजना-0103-जिला प्रभार–जन वितरण प्रणाली व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण	0.29	95	31/03/2014
8	3456-सिविल पूर्ति-00-191-नगर निगम को सहायता-0101-निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.50	84	31/03/2014
9	3456-सिविल पूर्ति-00-192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-0101- निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	7.00	85	31/03/2014
10	3456-सिविल पूर्ति-00-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र के समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-0101 – निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	7.25	86	31/03/2014
11	3456-सिविल पूर्ति-00-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0101-निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	10.00	87	31/03/2014

क्रम. सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	3456-सिविल पूर्ति-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 0101-बी.पी.एल. परिवारों को राज्य की अधिप्राप्ति व्यवस्था से खाद्यान्न की आपूर्त्ति	193.53	90	31/03/2014
13	6408-खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह के लिए कर्ज-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-0101-खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम को ऋण	452.68	88	31/03/2014
योग–ब		**778.29**		
महायोग–(अ+ब)		**1028.29**		

(स्त्रोतः अनुदान पंजी, बिहार सरकार, 2013–14 एवं विभागीय आँकड़ें)

परिशिष्ट– 2.26

(संदर्भःकंडिका 2.10.6; पृष्ठ 53)

विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

(₹ लाख में)

क्रम सं0	लेखे का शीर्ष	व्यय के आँकड़ें		भिन्नता
		महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित	विभाग द्वारा दिखाये गये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0011-खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	496.06	500.49	4.43
2	3456-सिविल पूर्ति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-मुख्यालय प्रभार	2897.72	2887.79	9.93
3	3456-सिविल पूर्ति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0002-जिला प्रभार	4113.80	4189.77	75.97
4	3456-सिविल पूर्ति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	944.71	961.78	17.07
5	3456-सिविल पूर्ति-00-102-सिविल पूर्ति योजना-0004-पी.डी.एस. सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण	184.64	172.97	11.67
	भिन्नता का योग			**119.07**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, 2013–14, बिहार सरकार एवं विभागीय आँकड़ें)

परिशिष्ट– 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.3, पृष्ठ 56)

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

क्रम सं0	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखा प्रस्तुत किये गए	लेखा प्राप्ति की तिथि	जिस अवधि तक पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि	विधान मंडल में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उपस्थापन	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10 तक	2009-10	12/09/2013	2009-10	21/04/2014	वित्तीय वर्ष 2001–02 तक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधान मंडल में स्थापन हेतु विभाग के पत्र दिनांक 23/12/2009 को किया गया।	तीन वर्ष दो माह	कोई नहीं
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2004-05 से आगे	2009-10 से 2011-12	03/04/2014	2008-09	27/08/2014	सूचना प्राप्त नहीं हुई।	तीन वर्ष नौ माह	कोई नहीं
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2012-13	01/08/2014	2011-12	जरी नहीं किया गया।	उपस्थापन	एक वर्ष एक माह	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विलंब से प्राप्ति के कारण जारी नहीं किया गया।
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर	2011-12 तक	2012-13*	03/04/2014	2009-10	23/07/2014	वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2002–03 तक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान मंडल में उपस्थापन हेतु विभाग के पत्र दिनांक 29/7/2009 को किया गया।	नौ माह	कोई नहीं

** वर्ष 2012–13 की अवधि के वार्षिक लेखे, में प्रबंधक बोर्ड के बिना अनुमोदन के कार्यालय में प्राप्त किये गये।*

(स्त्रोतः महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के सामान्य, आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्षेत्तों द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ)

परिशिष्ट– 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.7, पृष्ठ 59)

लघु शीर्ष 800–''अन्य व्यय'' की कार्य प्रक्रिया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष–800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
3	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	52.90	46.47	87.84
योग			**52.90**	**46.47**	**87.84**

(स्त्रोतः वित्त लेखा, वर्ष 2013–14)

परिशिष्ट– 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.7, पृष्ठ 59)

लघु शीर्ष 800–''अन्य प्राप्तियाँ'' की कार्य प्रक्रिया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0029	भू–राजस्व	201.71	125.53	62.23
2	0059	लोक निर्माण	10.80	10.82	100.19#
3	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	29.93	19.45	64.98
4	0215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4.94	3.64	73.68
5	0230	श्रम एवं रोजगार	4.85	3.44	70.93
6	0401	फसल कृषि–कर्म	6.66	3.43	51.50
7	0404	डेरी विकास	3.12	3.12	100.00
8	0425	सहकारिता	35.99	34.64	96.25
9	0506	भूमि सुधार	0.12	0.14	116.67#
10	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.08	0.07	87.50
11	0852	उद्योग	3.66	3.66	100.00
12	1054	सड़क एवं पुल	40.72	40.84	100.29#
13	1452	पर्यटन	2.31	2.31	100.00
14	1456	असैनिक आपूर्ति	0.10	0.10	100.00
योग			**344.99**	**251.19**	

मुख्य शीर्ष 0059, 0506 तथा 1054 अंतर्गत क्रमशः ₹ 0.04 करोड़, ₹ 0.03 करोड एवं ₹ 0.16 करोड की लेखा में वापसी सम्मिलित हैं। इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।

(स्त्रोतः वित्त लेखा, वर्ष 2013–14)

(संदर्भः कंडिका 3.8: पृष्ठ 59)

गबन, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि के मामलों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	गबन		दुर्विनियोजन		हानि		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	5	9.43	-	-	1	0.01	6	9.44
2	उद्योग	1	1.84	-	-	-	-	1	1.84
	योग	**6**	**11.28**	**-**	**-**	**1**	**0.01**	**7**	**11.28**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट–3.5

(संदर्भः कंडिका 3.8ः पृष्ठ 59)

गबन, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि (31 मार्च 2014 के अन्त तक अंतिम निपटारा हेतु लंबित मामले) का वर्षवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	मामलों की संख्या एवं राशि						
		05 वर्ष तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से अधिक	योग
1	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	5	1	-	-	-	-	6
2	उद्योग	..	-	-	1	-	-	1
	योग	5	1	-	1	-	-	7

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट–3.6

(संदर्भः कंडिका 3.8ः पृष्ठ 59)

गबन के मामलों का प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	अवधि से संबंधित	राशि
1	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	2004–05 से 2011–12	9.44
2	उद्योग	1997–98	1.84
योग			11.28

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं0	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ले. एवं हक.	लेखा एवं हकदारी
2	ए.सी	सार आकस्मिक
3	ए.ई	संचयी व्यय
4	ए. आइ. ए	अखिल भारतीय औसत
5	ए पी	वार्षिक योजना
6	बी बी एम	बिहार बजट मैनुअल
7	बी ई	बजट अनुमान
8	बी टी सी	बिहार कोषागार संहिता
9	सी ए जी	नियंत्रक– महालेखापरीक्षक
10	सी ए जी आर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
11	सी ई	पूँजीगत व्यय
12	सी एफ एस	राज्य के संचित निधि
13	सी एस एफ	संचित निक्षेप निधि
14	डी सी	विस्तृत आकस्मिक
15	डी सी आर एफ	ऋण संकलन एंव राहत सुविधा
16	डी डी ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
17	डी ई	विकास व्यय
18	डी आर डी ए	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
19	ई एस	आर्थिक सेवाएं
20	जी आई ए	सहायता अनुदान
21	जी ओ बी	बिहार सरकार
22	जी ओ आई	भारत सरकार
23	जी एस	सामान्य सेवाएँ
24	जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
25	आई ए वाई	इंदिरा आवास योजना
26	आई जी ए एस	भारत सरकार लेखाकरण मानक
27	एम टी एफ पी	मध्यकलिक राजकोषीय नीति
28	एन ए बी ए आर डी	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
29	एन पी आर ई	गैर –योजना राजस्व व्यय
30	एन एस एस	राष्ट्रीय लघु बचत
31	एन एस एस एफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
32	एन टी आर	करेत्तर राजस्व
33	ओ टी आर	स्वयं कर राजस्व
34	पी ए सी	लोक लेखा समिति
35	पी एफ	भविष्य निधि
36	पी एम जी एस वाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
37	आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
38	आर ई	राजस्व व्यय
39	आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
40	एस एण्ड डब्लू	वेतन एवं मजदूरी
41	एस ए आर	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
42	एस एस	सामाजिक सेवाएँ
43	एस एस ए	सर्व शिक्षा अभियान
44	टी एच एफ सी	तेरहवें वित्त आयोग
45	यू सी	उपयोगिता प्रमाण –पत्र
46	भी ए टी	मूल्य वृद्धि कर